सर्व शिक्षा अभियान

वार्षिक कार्य योजना

एंव

बजट

वर्ष 2004- 2005

जनपद - देहरादून

उत्तरांचल

सर्व शिक्षा अभियान – जनपद देहरादून

वार्षिक योजना – वर्ष 2003–2004

अनुक्रमाणिका

क0स0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	जनपद देहरादून – एक परिचय	1–11
2	जनपद का शैक्षिक परिदृश्य	12–30
3	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्य	31–32
4	परियोजना की अध्यतन प्रगति	32–35
5	नियोजन प्रकिया	36–46
6	समस्याएँ एंव रणनीतियाँ	47–56
7	योजना क्रियान्व्यन एवं अनुश्रवण	57 – 68
8	वर्ष 2004–05 की कार्ययोजना एवं बजट	69 – 81
(i)	एन0 पी0 ई0 जी0 एल0 कार्य योजना	82
(ii)	शैक्षिक नवाचार (क)	83
(iii)	शैक्षिक नवाचार (ख)	83
	Budget at Agance	1
(iv)	Last Year Activites Progress Table A	1-3
(v)	Spill Over WorkPlan for coming yearTable B	1-3
(vi)	Plan for 2004-05 Table C & NPEGL Plan	1-3
(vii)	Main Activity Expenses 2003-04 Table D	1-3

अध्याय–1

जनपद देहरादून – एक परिचय

जनपद देहरादून हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित उत्तरांचल राज्य का महत्वपूर्ण नगर व राजधानी है। यह नगर प्रदेश तथा देश के मानचित्र पर अपनी नैसर्गिक सौन्दर्यता एवम् शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रसिद्ध है। हमारा जनपद शिवालिक पर्वत श्रृंखला की धाटी में स्थित है। इसको दून धाटी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल की ऐतिहासिक एंवम् सांस्कृतिक विरासत से संतृप्त दून धाटी अपनी आध्यात्मिक एवम् सांस्कृतिक उपलब्धियों के इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपती रही है। अशोक महान का अहिंसा का संदेश कालसी के प्रस्तर खंड (शिलालेख) से सदियों तक इस धाटी में गूँजता रहा। गुरू राम राय ने यहां डेरा डालकर समन्वय एवम् सद्भावना का अलख जगाया कदाचित अपनी विशिष्ट संस्कृति का निर्वाह करते हुए,देहरादून जनपद आज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्व्रह कर रहा है। अनेक लब्ध प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों के साथ श्री गुरू राम राय मिशन द्वारा शिक्षा के प्रसार के लिए जो कार्य इस जनपद से हो रहा है,वह निसंदेह अद्वितीय है। मात्रात्मक ही नहीं, शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए देहरादून भारत के मानचित्र में एक अलग पहचान बनाए हुए है।

1.1 नाम उद्भव

देहरादून नगर अपने नाम व अनेक सांस्कृतिक एंवम् धार्मिक विविधताओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके नाम के सम्बन्ध में अनेक किवदन्तियाँ प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार गुरू द्रोणाचार्य की तपस्थली होने के कारण इस क्षेत्र का प्राचीन नाम के अनुसार द्रोणाश्रम था, जो कालान्तर में देहरादून के नाम से प्रचलित हो गया।एक अन्य मत के अनुसार देहरादून शब्द देहरा और दून शब्दों से मिलकर बना है। इस मत को गुरूरामराय के यहॉ डेरा डालने से जोड़ा जाता है। इस प्रकार देहरा (डेरा) को दून के साथ जोड़ने से यह क्षेत्र देहरादून के नाम से पुकारा जाता है। भूगोल वेत्ताओं के मतानुसार, दो पहाडियों के बीच की घाटी को दून के नाम से पुकारा जाता हैं।

1.2 जनपद देहरादून की भौगोलिक स्थिति;

- ❖ जनपद देहरादून उत्तरांचल राज्य के गढवाल मण्डल के अन्तर्गत स्थित है। इसको दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है।
- ❖ जनपद देहरादून शिवालिक पर्वत श्रृखंला की घाटी में स्थित हैं।

❖ जनपद देहरादून उत्तरांचल की उत्तर पश्चिम सीमा पर **29.57** था **31.2** डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा **77.35** डिग्री एवं **29.20** डिग्री पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है।

❖ जनपद के पश्चिम में टौन्स और यमुना नदी, जनपद को हिमाचल प्रदेश से अलग करती है।

❖ इस जनपद के पूर्व में टिहरी, पौड़ी, उत्तर में उत्तरकाशी तथा दक्षिण में हरिद्वार व सहारनपुर जनपद हैं।

❖ जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल **3088** वर्ग किमी है।

❖ **2001** की जनगणना के अनुसार जनपद की जनसंख्या **1279083** है। **603534** स्त्रियॉ, **675549** पुरूष है। जनपद में जनसंख्या का घनत्व **414** प्रति वर्ग किमी है।

❖ जनपद में वर्ष **1991** की जनगणना के अनुसार **764** ग्राम आबाद है तथा **21** वनग्राम है। जनपद की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत **21.6** प्रतिशत है।

❖ प्रतिवेदित क्षेत्रफल का **15.9** प्रतिशत बायो क्षेत्रफल है।

❖ जनपद की वार्षिक सामान्य वर्षा **2212** मि0मी0 है।

❖ प्रमुख नदियॉ--- गंगा, यमुना, टोंस, आसन, सुसवा, विन्दाल, रिस्पना, सौंग है।

❖ भूमिगत जल--- भूगर्भ जल **50** फीट से लेकर **350** फीट तक उपलब्ध है।

❖ वन सम्पदा--- इस जनपद में **219811** हेक्टेअर क्षेत्रफल में वन है।

❖ खनिज सम्पदा--- खनिज पदार्थो में चूना, संगमरमर, चिप्स, फासफाइट, डोलोमाइट एवंम् ताबॉ प्रमुख हैं।

❖ तहसील–जनपद देहरादून में चकराता, देहरादून, विकासनगर एवम् ऋषिकेश **4** तहसीलें हैं।

❖ विकासखण्ड– इस जनपद में चकराता, कालसी, विकासनगर, सहसपुर डोईवाला तथा रायपुर छः विकासखण्ड हं।

❖ भौगोलिक दृष्टि से– इस जनपद को **3** भागों में बॉटा जा सकता है।

- उत्तरी पहाड़ी भाग
- मध्य भाग
- दक्षिणी पहाड़ी भाग

❖ उत्तरी पहाड़ी भाग–

यह भाग अधिकतर पहाड़ी है जो समुद्रतल से **900** से **2700** मी ऊॅचाई तक फैला है। इसमें देववन, चकराता एवं बाबर मुख्य पहाड़ है।

❖ मध्य भाग घाटी–

यह भाग गंगा एवं यमुना के बीच का भाग है और समुद्र तल से **90** मीटर से **315** मीटर ऊँचाई तक फैला हुआ है। यह भाग धान की फसल के लिए बहुत अच्छा है। इस मध्य भाग को देहरादून नगर कहते है।

❖ दक्षिणी पहाड़ी भाग–

यह भाग शिवालिक पहाड़ी की तलहटी है जो समुद्र की सतह से **300** मीटर से **900** मीटर ऊँचा है। सहारनपुर जाते समय रास्ते में पहाड़ के बीच से जो सुंरग बनाई गयी हैं, ये ही शिवालिक की पहाडियाँ है।

1.3 जलवायु–

जनपद देहरादून की जलवायु शीतोष्ण है। यह स्वास्थ्य के लिये बहुत लाभकारी है। जनपद देहरादून वनों के लिए प्रसिद्ध है, यहॉ दो प्रकार के वन पाये जाते हैं–

◆ प्रथम प्रकार के वन– चकराता में पाये जाते हैं, जो शंकुधारी है। इसमें देवदार, कैल, चीड़ आदि प्रमुख इमारती लकड़ी वाले वन हैं।

◆ दूसरे प्रकार के वन– अपेक्षाकृत कम ऊँचाई पर पाये जाते हैं। इनमें शीशम, तुन, बेर, बहेड़ा, आदि विभिन्न प्रकार की वनौषधियॉ पाई जाती हैं।

1.4 लिंग अनुपात

" प्रति हजार पुरूषों में महिलाओं की संख्या 893 हैं। " (जनगणना 2001)

1.5 जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण

वर्ष **1991** की जनगणना के अनुसार प्रमुख कर्मकर कुल जनसंख्या का **31.4** प्रतिशत हैं तथा कृषिकर्मकर कुल जनसंख्या का **10.4 प्रतिशत** है तथा कृषि श्रमिक **3.1** प्रतिशत है। इसी प्रकार पारिवारिक उद्योगो में लगे कर्मकर कुल जनसंख्या के **0.9** प्रतिशत है। उक्त के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में जैसे उद्योग, निर्माण, परिवहन एवं अन्य सेवाओं में लगे कर्मकरों की संख्या कुल जनसंख्या का **64.6** प्रतिशत है। कर्मकर तथा काम न करने वालों का अनुपात **32:68** है। पुरूषों का अनुपात **51:49** तथा स्त्रियों में **11:89** प्रतिशत है। ग्रामीण जनसंख्या में से **35** प्रतिशत तथा नगरीय जनसंख्या में **30** प्रतिशत कार्य करने वाले है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कर्मकरों में से **51** प्रतिशत कृषि मजदूर हैं तथा कृषक का प्रतिशत **49** हैं।नगरीय क्षेत्रों में कार्य करने वालों में से **67** प्रतिशत अकृषकों का है तथा **3** प्रतिशत कृषकों व श्रमिकों का हैं। जनपद में स्त्री कर्मकरों की जनसंख्या **11** प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में कर्मकरों का प्रतिशत **83** है जबकि **17** प्रतिशत कर्मकर अकृषक कार्यो में लगी हैं। **" स्त्रोत– जिला सांख्यिकी "**

1.6 सामाजिक दशा– जनपद देहरादून एक ऐसा जनपद है, जिसमें सभी संस्कृतियों और जातियों का समावेश है। संस्कृति, जातिगत एवं भाषागत विविधताओं के चलते भी सभी सामाजिक कियाकलापों में समन्वय, सहयोग एवं सद्भावना देखने को मिलती है। जनपद देहरादून में जौनसार बावर की एक विशिष्ट संस्कृति है। जौनसार बावर क्षेत्र पौराणिक काल में महाभारत की संस्कृति से जुड़ा रहा, इसके पुष्ट प्रमाण इस क्षेत्र में मिलते हैं। जौनसार बावर की संस्कृति में कौरवों एवं पाण्डवों की संस्कृति की झलक मिलती हैं। जौनसार बावर के रीति रिवाज जनपद के सामान्य रीति रिवाजों से अलग हैं। इस क्षेत्र का पहनावा एवं खान–पान विशिष्टता लिये हुये हैं। लोकगीत, लोकनृत्यों के संदर्भ में यह क्षेत्र बहुत समृद्ध है। जौनसार बावर क्षेत्र में ऊन तथा भेड़ पालन एक प्रमुख काम के रूप में है। जनपद के अन्य भागों में लोग मुख्यतः कृषि पर आधारित हैं।

1.7 जनपद की प्रशासनिक इकाइयॉं

क.सं	प्रशासनिक इकाइयाँ	संख्या
1	तहसील	04
2	विकासखण्ड	06
3	न्याय पंचायत	40
4	ग्राम पंचायत	335
5	राजस्व ग्राम	744
6	आबाद ग्राम	746
7	गैर आबाद ग्राम	18
8	वनग्राम	21
9	नगर निगम	01
10	नगर पालिका परिषद	03
11	छावनी क्षेत्र	04
12	नगर पंचायत	02
13	नोटीफाइड एरिया	01
14	सेन्सस टाउन	06
15	पुलिस स्टेशन–क. ग्रामीण ख. नगरीय	06 11

स्त्रोत–जिला सांख्यिकी

1.8 जनपद स्तर पर;

जनसंख्या 1991 के अनुसार;	जनसंख्या 2001 के अनुसार;
पुरूष – **556432**	पुरूष – **675549**
महिला – **469247**	महिला – **603534**
कुल योग – **1025679**	कुल योग – **1279083**

वृद्धि दर – **24.71 प्रतिशत**

लिंग अनुपात – **893** प्रति हजार पुरूष

जनसंख्या घनत्व – **414** प्रति वर्ग किमी

अनुसूचित जाति;	अनुसूचित जनजाति;
पुरूष – **92598**	पुरूष – **55510**
महिला – **7883**	महिला – **49304**
कुल योग – **171431**	कुल योग – **104814**

जनसंख्या

जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001
ग्रामीण – **510199**	ग्रामीण – **636255**
नगरीय – **515480**	नगरीय – **642828**
कुल जनसंख्या – **1025679**	कुल जनसंख्या – **1279083**

स्त्रोतः– जनगणना कार्यालय

1.9 जनपद में स्थित प्रमुख संस्थान

हमारे जनपद में महत्वपूर्ण कार्यालय व संस्थान स्थित है। हमारा जनपद संस्थानों के लिये प्रसिद्ध है। कुछ प्रसिद्ध संस्थानों का विवरण और उनके कार्यो के विषय में जानकारी दी जा रही है।

❖ भारतीय सर्वेक्षण विभाग (सर्वे आफ इण्डिया)

इस संस्थान में मानचित्रों का निर्माण होता है मानचित्रों का मानव जाति के लिये अत्यन्त महत्व है। मानचित्र बनानें के लिये भारत सरकार द्वारा यही एक मान्यता प्राप्त संस्थान है। इसकी स्थापना सन् 1967 में हुयी थी। भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय देहरादून में ही स्थित है।

❖ तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ. एन. जी. सी)

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का कार्यालय देहरादून में स्थित हैं। जिसको तेल भवन भी कहा जाता है। इस संस्थान का कार्य भूमि के अन्दर छिपे तेल का पता लगााना है और उसे निकालना है।

❖ वन अनुसंधान संस्थान (एफ. आर. आई)

जनपद देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसमें भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के साथ–साथ वन अनुसंधान का कार्य किया जाता है।

❖ भारतीय सैन्य अकादमी (आई0एम0ए0)

देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है,जिसमें कैडिटों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद ये कैडिट भारतीय सेना में नियुक्ति पाते हैं।

❖ लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी

लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी इसी जनपद के मसूरी नगर में स्थित है,जहां देश के सभी भावी प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

❖ भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आई0आई0पी0)

पेट्रोलियम उत्पादों से सम्बन्धित शोध कार्य के लिए जनपद में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। इस संस्थान में पेट्रोलियम पदार्थो के विषय में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान किए जाते हैं।

❖ आयुध निर्माणी (आर्डीनेन्स फैक्ट्री)

आयुध निर्माणी देहरादून में रायपुर नामक स्थान पर स्थित है। यह रक्षा सम्बन्धी उपकरणों का विशाल कारखाना है।यहाँ रक्षा उपकरणों का निर्माण एवंम् अनुसंधान होता है।

❖ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी देहरादून में स्थित है।यह विभाग प्राचीन संस्कृति की खोज एंवम् संरक्षण का कार्य करता है।

❖ राष्ट्रीय दृष्टि बधितार्थ संस्थान

दृष्टिहीनों के लिए देहरादून नगर में विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय दृष्टि बधितार्थ संस्थान है,जो दृष्टिहीनों में आत्मविश्वास,आत्मनिर्भरता लाने में अपना योगदान करता है।

❖ हिमालियन चिकित्सा विज्ञान संस्थान

यह संस्थान जौलीग्रांट में स्थित है। इसकी स्थापना महान विद्वान संत श्री स्वामी राम जी ने की है। इस संस्थान में चिकित्सा विज्ञान में उपाधि दी जाती है तथा रोगियों का इलाज किया जाता है।

❖ वाडिया संस्थान

यह संस्थान देहरादून नगर क्षेत्र में जनरल महादेव सिंह मार्ग पर स्थित है इस संस्थान में भूगर्भ विज्ञान सम्बन्धित शोध कार्य किए जाते है।

1:10जनपद देहरादून का रेशम उद्योग

जनपद देहरादून रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हमारे जनपद में इस उद्योग का प्रारम्भ **1858** में मसूरी कें झड़ीपानी गाँव में,अंग्रेजी शासनकाल में कैप्टन हिल्टन के द्वारा किया गया था। आज पूर्वी देहरादून का रेशम माजरी इस उद्योग में सबसे आगे है। स्न **1881** से यह कार्य इस गॉव में किया जा रहा हैं। यहॉ लगभग **35** एकड़ भूमि सरकार द्वारा किसानों को रेशम उद्योग के लिये दी गयी थी, इस समय **1647** परिवार इस उद्योग में लगे हुये हैं।

1.11 जनपद देहरादून में पर्यटन

भारत के पर्यटन स्थलों की गणना में उत्तरांचल प्रमुख है। उत्तरांचल एक पर्वतीय प्रदेश है,जिसमें कुमायूँ एवम् गढवाल दो मण्डल है। जनपद देहरादून गढ़वाल मण्डल का एक सुन्दर जनपद है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यहॉ की जलवायु स्वास्थ्यवर्द्धक है। पर्यटन की दृष्टि से वास्तव में समूचा जनपद महत्वपूर्ण है; किन्तु जनपद के कुछ पर्यटन केन्द्र अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक एवम् नैसर्गिक सुन्दरता के लिये प्रसिद्ध है।

❖ देहरादून नगर

देहरादून नगर आधुनिक नगरों में से एक है। नगर में देश के अनेक महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जो कि पर्यटन के दृष्टि से ही नहीं अपितु वैज्ञानिक, शैक्षिक एवम् अनुसंधानात्मक कार्यो के लिये भी महत्वपूर्ण है। भारत के प्रथम प्रधानमत्री पं0 जवाहरलाल नेहरू को देहरादून शहर बहुत पसन्द था।

❖ सहस्त्रधारा

यह स्थान देहरादून से 12 कि0 मी0 की दूरी पर स्थित है, तथा अपनी प्राकृतिक सौन्दर्यता के लिये प्रसिद्ध है। इस नदी से कई धाराऐं निकलती हैं, इसलिये इसे सहस्त्रधारा कहते है। नदी के किनारों पर प्राकृतिक रूप से शुद्ध गन्धक के जल के फब्बारे निकलते हैं।

❖ हनोल

यह स्थान देहरादून से 155 कि0 मी0 दूर है।यहॉ पर भगवान (महासू) का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। लोगों का विश्वास है, कि हिमालय यात्रा के दौरान पाण्डवों ने भगवान विष्णु की आराधना करने के लिये इस मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान विष्णु महासू जौनसार बावर के जनजाति लोगों के आराध्य देव तथा न्याय के प्रतीक हैं।

❖ मसूरी

देहरादून के पर्यटक स्थलों में सबसे मनोरंजक मसूरी है। यह देहरादून से **35** कि0 मी0 उत्तर में स्थित है। उसकी ऊँचाई समुद्र तल से **1791** मीटर है। मसूरी नगर अत्यधिक रमणीक है। इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि बडी रोचक है। इसे सन् **1811**में एक यूरोपियन मेजर " हिदरसे " ने खरीदा था, तत्पश्चात् **1812** में उसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों बेच दिया। गर्मियों में जलवायु आनन्दायक होती है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर कैम्टी,मैसी फाल नामक दो सुन्दर जल प्रपात हैं। प्रतिवर्ष लाखों देश–विदेश के पर्यटक यहॉ अप्रैल से जून तक आते है।

❖ ऋषिकेश

यह देहरादून से पूरब की ओर हिमालय की तलहटी में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह प्रसिद्ध तीर्थस्थान हरिद्वार से **24** कि0 मी0 दूर है। यहॉ पर **250** मी0 लम्बे लोहे के रस्सो से बना पुल हैं, जिसे लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है।

❖ टपकेश्वर मंदिर

यह मंदिर देहरादून नगर से **6** कि0 मी0 दूरी पर स्थित है। यह ऐतिहासिक एवम् धार्मिक महत्व का स्थान है। महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य जी ने शिवजी से धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिये तथा शिव जी को प्रसन्न करने के लिये इस गुफा में तपस्या की थी।

❖ डाकपत्थर

यह स्थान देहरादून से **45** कि0 मी0 दूर है, सिंचाई विभाग तथा यमुना जल विद्युत परियोजना के तहत सुन्दर बैराज का निर्माण किया गया है। यहॉ से यमुना तथा टौंस नदी का पानी पक्की नहर द्वारा ढकरानी व ढालीपुर विद्युत पावर हाउस के लिये लाया है।

❖ कोटी छिबरू

देहरादून से लगभग **60** कि0 मी0 दूर इस स्थान पर टौंस नदी के किनारे भारतीय वैज्ञानिकों तथा इन्जिनीयरों की सहायता से स्वदेशी तकनीकी द्वारा **240** मेगावाट क्षमता के एक भूगर्भ पावर हाउस का निर्माण किया गया है। कोटी स्थित बाँध से टौन्स का पानी लगभग **24** कि0मी0 लम्बी सुरंग से छिबरू भूगर्भ पावर हाऊस तक लाया जाता है।

❖ लाखमण्डल

यह स्थान देहरादून से **168** कि0 मी0 दूर स्थित है। कहा जाता है कि महाभारत के समय पाण्डवों की मृत्यु की कामना से लाक्षागृह का निर्माण यहीं पर हुआ था। यहॉ खुदायी में लाखों मूर्तियॉ प्राप्त हुयी है। यहॉ पर प्राचीन शिव मंदिर है।

❖ चकराता

चकराता देहरादून से **100** कि0 मी0 उत्तर में स्थित है। यह अति सुन्दर पहाड़ी नगर है। कहा जाता है कि महाभारत काल में यह नगर पाण्डवों से सम्बद्ध रहा है। उस समय इसका नाम चकानगरी था। इसका आधुनिक नाम ही चकराता है। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेज इसकी प्राकृतिक सुन्दरता से प्रभावित हुये तथा उन्होने इसे आवासीय बना दिया है। यह नगर चीड़ तथा देवदार के वृक्षों से ढका हुआ है, तथा जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर का केन्द्र स्थल हैं। यहॉ पर सैनिक छावनी भी है।

1.12 प्रमुख उपज एवम् उद्योग–धन्धे

हमारा जिला पहाड़ी होने के कारण पथरीला और ऊँचा–नीचा है। इसके पहाड़ी भागों मे घने जंगल पाये जाते हैं। मैदानी भाग में मिट्टी ऊपजाऊ होने के कारण फसल अच्छी होती हैं।फसलों को हम दो भागों में बॉट सकते हैं––

❖ खरीफ की फसल

यह फसल जून–जुलाई में बोयी जाती है, और अक्टुबर–नवम्बर में काट ली जाती है। इस फसल की मुख्य पैदावार मक्का, बाजरा, ज्वार, धान, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि है। देहरादून में धान सबसे अधिक होता हैं। देहरादून का बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध हैं, जो दूर–दूर तक भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त पहाड़ी स्थानों पर अदरक, चौलाई, कोंदों, कंगनी, हल्दी, मिर्च, गागली आदि भी उगायी जाती है चकराता और कालसी आलू, मिर्च, राजमा तथा गागली के लिये प्रसिद्ध है।

❖ रबी की फसल

यह फसल अक्टुबर–नवम्बर में बोयी जाती हैं, जो अप्रैल–मई में काट ली जाती है। इसकी मुख्य उपज गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिलहन आदि हैं।

1.12.1 उद्योग–धन्धे

❖ चाय

हमारा जिला चाय की पैदावार के लिये प्रसिद्ध है। लगभग **4000** एकड़ भूमि पर चाय के बगीचे हैं। गुडरिच, उदियाबाग, हरबर्टपुर, कौलागढ़, अम्बीवाला, निरंजनपुर, आरकेडिया इत्यादि में चाय के बागान हैं। यहॉ पर हरी चाय तैयार की जाती हैं, जो विदेशों को भी भेजी जाती है।

❖ चावल

हमारे जिले का बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध है।सेवला, माजरा, बद्रीपुर, तपोवन, मझोन, कांढली का बासमती चावल प्रसिद्ध है।

❖ चूना

इस जनपद में पहाड़ी नदियों और पहाड़ों से चूने का पत्थर निकालकर इसे– भट्टों में फूंककर चूना बनाया जाता है। यह उद्योग रिस्पना नदी के किनारे अधोईवाला गॉव के आस–पास अधिक स्थित है।

❖ जिप्सम पत्थर

यह पत्थर मसूरी, सहस्त्रधारा, और पश्चिमी भाग की ओर फैली पर्वत श्रेणियों से निकाला जाता हैं। इन पहाड़ियों में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने वाला पत्थर तथा गन्धक युक्त पत्थर भी मिलता है।

❖ लकड़ी

हमारे जिले में पहाड़ों पर चीड़,देवदार,कैल, इत्यादि पेड़ अत्यधिक पाए जाते हैं और मैदानी भागों में साल,शीशम,हल्दू,सांदन आदि इमारती लकड़ी के जंगल पाए जाते हैं। देहरादून से इमारती लकड़ी बाहर भी भेजी जाती है। यहाँ पर छड़ी,स्लीपर,टोर,बल्लियाँ,शहतीर आदि इमारती लकडियों का व्यापार भी होता है।

❖ ऊन

हमारे जिले के जौनसार बावर क्षेत्र में भेड़ें पाली जाती हैं, जिनसे ऊन मिलती हैं। ऊन से कम्बल और कोट के कपड़े और ऊनी चादर तैयार करके उनका व्यापार होता है। चकराता और ऋषिकेश में ऊन के सरकारी केन्द्र भी हैं। यहाँ पर पशुलोक में ऊन के लिए उन्नत विदेशी भेड़ें पाली जाती है,और ऊन साफ करके बाजार में भेजी जाती है। देहरादून – मसूरी मार्ग पर भी ऊन की एक मिल है।

❖ जड़ी–बूटी

यहाँ पहाड़ व जगंल अधिक होने के कारण जड़ी–बूटी व औषधियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ राजपुर रोड़ पर अमृतधारा फार्मेसी ट्रस्ट है जो जड़ी–बूटियों से दवाइयाँ तैयार करके बाहर भेजती हैं।

❖ बाग

इस जिले में अनेक प्रकार के फलों के बाग पाए जाते हैं जिनमें मुख्य रूप से लीची, आम, चूलू, सेब, आड़ू, नाशपाती के बाग हैं। इसके अतिरिक्त पपीता और अमरूद का व्यापार भी होता हैं।

❖ चीनी/गुड़

हमारे जिले में डोईवाला नामक स्थान पर चीनी मिल है जो लगभग **5** लाख कुंतल चीनी प्रति वर्ष तैयार करती है। कुछ किसान गुड़ स्वंय बनाते हैं।

जनपद देहरादून

एक

परिचय

अध्याय –1 (ख)

शैक्षिक परिदृश्य

जनपद देहरादून ने शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहचान राष्ट्र के मानचित्र में रेखांकित की है। शिक्षा के क्षेत्र में श्री गुरू राम राय द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यो एवम् पहुँच ने शिक्षा के सर्व सुलभीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। विश्व भर में प्रसिद्ध दून स्कूल तथा व्हेलम स्कूल भी इसी जनपद में है। महिला साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय साक्षरता प्रतिशत से अधिक होने के कारण इस जनपद को सभी के लिए शिक्षा तथा डी0पी0ई0पी0 जैसी परियोजनाओं से आच्छादित नहीं किया गया। इस जनपद में किसी भी शिक्षा परियोजना को संचालित न होने के बावजूद भी प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत नामांकन,ठहराव और सम्प्राप्ति की दशा अपेक्षाकृत अच्छी है। बालिका शिक्षा को जनपद में प्रोत्साहन मिला है। इस जनपद में उच्च शिक्षा के भी पूर्ण एवम् बेहतर अवसर है। डी0ए0वी0,डी0बी0एस0,एम0के0पी0, गुरू राम राय, पी0जी0 महाविद्यालय है। यह महाविद्यालय किसी परिचय के मोहताज नही हैं। इन महाविद्यालयों में अपने जनपद की ही नही बल्कि असेवित दूरदराज एवं बाहय जनपदों के छात्रों के भविष्य को सवाँरने में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। इन महाविद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा,पत्रकारिता,पर्यावरण,कम्प्यूटर आदि के पाठ्यक्रम संचालित है। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट पाठ्यक्रमों को लेकर इन्दिरा गाँधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का क्षेत्रीय कार्यालय भी इस जनपद में स्थापित है। शिक्षा में नवाचार लाने में एवम् प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण की दिशा में वर्ष 1994 से इस जनपद में डायट संचालित है। उत्तरांचल राज्य गठन के बाद शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए एंवम् विशिष्ट प्रशिक्षणों के लिए राज्य में सिमेट तथा एस0सी0ई0आर0टी0 का प्राविधान किया जाना अपेक्षित है। शैक्षिक परिदृश्य के अन्तर्गत जनपद की स्थिति सारिणीयों में अंकित है– **सारणी 2.1**

राज्य एवं जनपद स्तर पर साक्षरता एवं साक्षरता दर Data ?

स्तर	जनसंख्या			साक्षरता			साक्षरता दर		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
राज्य स्तर	4316401	4163161	8479562	3044487	2130689	5175176	84.01	60.26	72.28
जिला स्तर	675549	603534	1279083	506621	374855	881476	85.57	71.22	78.96

स्त्रोत – जनगणना कार्यालय

सारणी – 2.2

विकासखण्डवार साक्षरता (1991 के अनुसार)

क्र0सं0	विकासखण्ड का नाम	पुरूष प्रतिशत	महिला प्रतिशत	योग प्रतिशत
1	चकराता	27.08	12.36	27.88
2	कालसी	53.22	20.12	38.06
3	विकासनगर	57.64	32.31	46.01
4	सहसपुर	71.81	51.51	62.30
5	रायपुर	80.39	60.26	71.20
6	डोईवाला	81.51	57.14	70.46
7	नगरक्षेत्र	86.95	73.71	81.04
	जनपद की कुल साक्षरता	77.95	59.26	69.05

स्त्रोत – जनगणना कार्यालय

सारिणी 2.3(अ) ग्रामीण/नगरीय जनसंख्या विवरण – 1991 के अनुसार

क्रम	विकासखण्ड	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति संख्या			अनुसूचित जनजाति संख्या		
सं0		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	चकराता	26341	22756	49097	7291	6353	13644	16705	15224	31929
2	कालसी	26514	23000	49514	6234	5449	11683	17151	15868	33019
3	विकासनगर	47167	40333	87500	6060	5156	11216	6775	5502	12277
4	सहसपुर	54242	48073	102315	7281	6163	13444	680	563	1243
5	रायपुर	58326	49752	108090	7484	6171	13655	63	35	98
6	डोईवाला	55656	47093	102749	6664	5409	12073	1261	1077	2338
7	वनक्षेत्र	5866	5070	10936	847	725	1572	51	20	71
8	नगर क्षेत्र	282520	233160	515680	32390	27787	60177	1824	1247	3071
	योग	556432	469247	1025679	74251	63213	137464	44510	39536	84046

सारिणी 2.3(ब)

जनगणना 2001 के अनुसार

क्रम	विकासखण्ड	कुल जनसंख्या संख्या			अनुसूचित जाति संख्या			अनुसूचित जनजाति संख्या		
सं0		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	चकराता	32850	28379	61229	9093	7923	17016	20833	18986	39819
2	कालसी	33065	28683	61748	7774	6795	14569	21389	19788	41177
3	विकासनगर	58822	50299	109121	7557	6430	13987	8449	6861	15310
4	सहसपुर	67645	59952	127597	9080	7686	16766	848	702	1550
5	रायपुर	72738	62046	134784	9333	7696	17029	79	44	123
6	डोईवाला	69409	58730	128139	8311	746	15057	1573	1343	2916
7	वनक्षेत्र	7315	6322	13637	1056	904	1960	64	25	89
8	नगर क्षेत्र	333705	330923	642828	40394	34653	75047	2275	1555	3830
	योग	675549	603534	1279083	92598	78833	171431	55510	49304	104814

नोटः– जनगणना 2001 के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1279083 है। जिसमें पुरूष 675549 व महिला 603534 है। जनपद की पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 24.71 प्रतिशत है, इस आधार पर विकासखण्डों व नगर क्षेत्र की जनगणना को वर्ष 2001 के लिए आंगणित कर प्रक्षेपित किया गया है।

जनपद का शाक्षक संस्थाएं 30.9.2003 की स्थिति

क्रम	विवरण	परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त वित्तसहित विद्यालय			मान्यता प्राप्त वित्तविहिन विद्यालय			कुल योग		
सं0		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	प्राथमिक विद्यालय	777	86	863	0	0	0	317	193	510	1062	279	1341
2	माध्य0 विद्यालय सम्बद्ध	0	0	0	0	16	16	0			0	0	16
	प्राइमरी अनुभाग			0	0								
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	224	12	236	20	26	45	126	70	196	344	108	452
4	माध्यमिक विद्यालय से	0	0	50	0	0	57	0	0	0	0	0	107
	सम्बद्ध (उ0प्रा0 अनुभाग)												
5	केन्द्रीय विद्यालय	8	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
6	नवोदय विद्यालय	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	हाई स्कूल	33	3	36	11	6	17	0	0	0	44	9	53
8	इण्टरमीडिएट	39	5	44	19	24	43	0	73	73	58	102	160
9	डिग्रीकालेज	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	0	1	1	0	5	5	0	0	0	0	0	7
11	प्रशिक्षणसंस्थान(बी0एड0)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
12	तकनीकी संस्थान	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
13	आंगनबाडी केन्द्र	349	57	406	0	0	0	0	0	0	349	57	406
14	मकतब/मदरसे	0	0	0	6	1	7	0	0	0	6	1	7
15	बी0 आर0 सी	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	सी0आर0सी	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	डी0आई0ई0 टी0(डायट)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
18	विकलांग संस्थाऐं	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5

स्त्रोत–विभागीय

प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/अभिकर्मियों का विवरण जनवरी 2003 की स्थिति

क्रम	विकास खण्ड	वि0 की	प्रधानाध्यापक			सहायक अध्यापक			योग		कुल योग
सं0	का नाम	संख्या	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	अध्यापक	शिक्षा मित्र	
1	चकराता	155	32	25	57	70	101	171	228	69	297
2	कालसी	150	27	77	104	14	129	143	247	40	287
3	विकास नगर	91	70	19	89	56	131	187	276	1	277
4	सहसपुर	107	41	40	81	10	263	273	354	0	354
5	रायपुर	115	44	43	87	24	256	280	367	6	373
6	डोईवाला	127	58	25	83	24	219	243	326	1	327
	योग ग्रामीण	745	272	229	501	198	1099	1297	1798	117	1915
1	न0क्षे0देहरादून	57	16	34	50	19	47	86	116	0	116
2	न0क्षे0मसूरी	16	5	6	11	6	19	25	36	0	36
3	न0क्षे0ऋषिकेश	13	4	9	13	3	14	17	30	0	30
	योग नगरीय	86	25	49	74	28	80	128	202	0	202
	कुल योग	831	297	278	575	226	1179	1425	2000	117	2117

स्त्रोत–विभागीय

सारणी – 2.6

परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की उपलब्धता– जनवरी की स्थिति 2003

क्रम	विकास खण्ड	विद्यालय का प्रकार				अध्यापकों की उपलब्धता						कुल
						प्रधानाध्यपाक			स0 अध्यापक			
सं0	का नाम	बालक	बालिका	क्रमोत्तर	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	योग
1	चकराता	34	0	2	36	32	0	32	102	0	102	134
2	कालसी	32	1	1	34	31	0	31	62	7	69	100
3	विकास नगर	26	3	1	30	26	1	27	113	18	131	158
4	सहसपुर	27	4	2	33	23	5	28	93	40	133	161
5	रायपुर	20	6	3	29	14	5	19	70	62	132	151
6	डोईवाला	26	5	5	36	19	4	23	100	69	169	192
	योग ग्रामीण	165	19	14	198	145	15	160	540	196	736	896
1	देहरादून	5	1	1	7	2	1	3	17	16	33	36
2	मसूरी	4	0	0	4	1	3	4	6	10	16	20
3	ऋषिकेश	1	0	0	1	0	0	0	0	4	4	4
	योग नगरीय	10	1	1	12	3	4	7	23	30	53	60
	योग	175	20	15	210	148	19	167	563	226	789	956

स्त्रोत–विभागीय

सारणी– 2.7

परिषदीय एंव मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

कम0संख्या	विकासखण्ड	प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता			बस्तियों की संख्या		
	का नाम	1कि0मी0	1कि0मी0 से अधिक परन्तु	1.5 कि0मी0 से	1कि0मी से कम	1कि0मी0 से अधिक परन्तु	1.5 कि0मी0 से
		से कम पर	1.5 कि0मी0 से कम पर	अधिक दूरी पर	पर प्रा0वि0	1.5 कि0मी0 से कम पर प्रा0वि0	अधिक दूरी पर प्रा0वि0
1	चकराता	154	0	0	51	9	66
2	कालसी	70	1	1	137	10	25
3	विकासनगर	39	0	0	131	9	7
4	सहसपुर	79	30	3	223	3	5
5	रायपुर	49	1	2	184	16	64
6	डोईवाला	44	21	2	123	11	11
	योग	435	53	8	849	58	178

स्त्रोत–विभागीय

What about [illegible] ?

सारणी 2.8 (ब) विद्यालय रहित बस्तियों का विवरण

क्र0सं0	विकासखण्ड	प्रथमिक विद्यालय रहित बस्तियों की संख्या	6–11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या	उच्च प्रा0वि0 रहित बस्तियां	11–14 वय वर्ग के बच्चे	कुल ई0जी0एस0 की आवश्यकता	कुल ए0एस0 की आवश्यकता	कुल ई0जी0एस0 उच्चीकरण
1	चकराता	84	290	78	195	20	10	10
2	कालसी	77	125	68	108	12	8	6
3	विकासनगर	44	262	26	313	20	15	10
4	सहसपुर	70	116	30	93	10	6	5
5	रायपुर	36	152	17	118	10	10	6
6	डाईवाला	119	35	69	20	3	2	2

2.2.1 विश्लेषण –

सारिणी 2.1 से स्पष्ट है कि जनपद देहरादून की कुल साक्षरता दर **78.96** प्रतिशत है,जिसमें पुरूष साक्षरता दर **85.57** प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर **71.22** प्रतिशत है,जो कि राज्य की कुल साक्षरता दर **72.28** प्रतिशत जिसमें पुरूष साक्षरता दर **84.01** प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर **60.26** प्रतिशत की तुलना में अधिक है तथा राष्ट्रीय साक्षरता से भी अधिक है। परन्तु इस जनपद में कुछ विकासखण्ड ऐसे हैं जिनमें पुरूषों एंव महिलाओं दोनो की साक्षरता दर जनपद की कुल साक्षरता दर की तुलना में अत्यन्त न्यून हैं। सारिणी–2.2 में वर्ष **1991** की जनगणना के अनुसार चकराता विकासखण्ड में कुल साक्षरता दर **27.88** प्रतिशत है जिसमें पुरूषों की साक्षरता दर **27.08** प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर **12.36** प्रतिशत है,विकासखण्ड कालसी में कुल साक्षरता दर **38.06** प्रतिशत है,जिसमें पुरूष साक्षरता दर **53.22** प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर **20.12** प्रतिशत हैं। विकासनगर ब्लाक में कुल साक्षरता दर **46.01** प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता दर **57.64** प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर **32.31** प्रतिशत हैं। विकासखण्ड चकराता, कालसी एवम् विकासनगर में महिला साक्षरता अतिन्यून हैं। विकासखण्ड चकराता में पुरूष साक्षरता दर भी न्यून हैं।

जनपद देहरादून में वर्तमान समय में **1341** प्राथमिक विद्यालय हैं,एंवम् **16** प्राथमिक अनुभाग माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध हैं,तथा **452** उच्च प्रा0वि0 हैं,एवम् **107** ऐसे माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें कक्षा **6** से **8** तक की कक्षाएँ संचालित होती हैं। इस जनपद में **11** केन्द्रीय विद्यालय, **53** हाईस्कून, **160** इण्टरमीडियट कालेज,ग्रामीण क्षेत्र में

02 डिग्री कालेज,नगर क्षेत्र में **07** स्नातकोत्तर महाविद्यालय,एक प्रशिक्षण संस्थान बी0एड0 प्रशिक्षण के लिए, **06** तकनीकी संस्थान जिसमें आई0टी0आई0 एंवम् पॉलीटेक्निक सम्मिलित है, **406** आंगनवाड़ी केन्द्र हैं,जो ग्रामीण एंवम् नगरीय दोनो क्षेत्रों में स्थित हैं। जनपद में वर्ष **1994** से जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। विकलांगों के शैक्षिक सहायतार्थ **05** संस्थाएं हैं। जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में **06** तथा नगर क्षेत्र में **01** मकतब/मदरसे हैं। इस जनपद में नवोदय विद्यालय,बी0आर0सी0/एन0आर0सी0 व सी0आर0सी0 अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं।

सारणी 2.5 से स्पष्ट हैं कि जनपद में कुल **2117** अध्यापक कार्यरत हैं,जिसमें **2000** पूर्णकालिक अध्यापक तथा **117** शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में **1798** पूर्णकालिक अध्यापक एंवम् **117** शिक्षा मित्र एंवम् नगरीय क्षेत्र में **202** पूर्णकालिक अध्यापक कार्यरत हैं। जनपद के **831** परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में **575** प्र0अ0 कार्यरत हैं,जिसमें **297** पुरूष प्र0अ0 एंवम् **278** महिला प्र0अ0 हैं तथा **1425** स0अ0 में से **226** पुरूष अध्यापक तथा **1179** महिला अध्यापिकाएं कार्यरत हैं।

सारिणी 2.6 में स्पष्टतः दृष्टिगत हैं,कि जनपद के उच्च प्रा0विद्यालय में कुल **956** अध्यापक हैं, जिसमें **167** प्रधानाध्यापक तथा **789** स0अ0 कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कुल **896** अध्यापक हैं, जिनमें **160** प्रधानाध्यापक तथा **736**स0अ0 कार्यरत हैं। जनपद में कुल **167** प्रधानाध्यापकों में से **148** पुरूष प्रधानाध्यापक एवं **19** महिला प्रधानाध्यापिका कार्यरत हैं तथा **789** अध्यापकों में से **563** पुरूष अध्यापक एवं **226** महिला अध्यापिका कार्यरत हैं। जनपद में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में **160**प्रधानाध्यापक एवं **736** सहायक अध्यापक कार्यरत हैं तथा नगर क्षेत्र में **07** प्रधानाध्यापक एवं **53** सहायक अध्यापक कार्यरत हैं।

सारिणी 2.7 से स्पष्ट हैं, कि जनपद में कुल **435** गाँव ऐसे हैं, जहाँ **1** कि0 मी0 के अन्दर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं तथा **61 (53+8)** गाँव ऐसे है, जहाँ पर **1** कि0मी0 से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं इन ग्रामों के लिए माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नवीन प्रा0 वि0 को वार्षिक योजनाओं में प्रस्तावित किया जायेगा, इसके साथ ही जनपद मे कुल **849** ऐसी बस्तियाँ हैं, जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं, परन्तु **236 (58+178)** ऐसी बस्तियाँ हैं, जो **1** कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित हैं। इन बस्तियों के लिए माइक्रोप्लानिंग के आधार पर ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 का प्रस्ताव वार्षिक योजनाओं में किया जायेगा।

सारिणी 2.8 परिषदीय एंव मान्यता प्राप्त उ0प्रा0वि0 की उपलब्धता

क0सं	विकासखण्ड	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता		बस्तियों की संख्या	
		3कि0मी0	3कि0मी0 से अधिक परन्तु	3कि0मी0	3कि0मी0 से अधिक परन्तु
		से कम पर	5 कि0मी0 से कम पर	से कम पर	5 कि0मी0 से कम पर
1	चकराता	36	6	13	6
2	कालसी	20	0	72	20
3	विकासनगर	27	0	42	3
4	सहसपुर	112	0	227	4
5	रायपुर	27	0	67	16
6	डोईवाला	41	2	241	1
	योग	263	8	662	50

स्त्रोत विभागीय

सारिणी 2.8 से स्पष्ट है कि जनपद में कुल **263** ग्राम तथा **662** बस्तियाँ ऐसी हैं, जहाँ **11–14** वय वर्ग के बच्चों के लिये उच्च प्रा0 शिक्षा (**कक्षा 6 से 8 तक**) की पहुँच हैं। परन्तु **08** ग्राम एवम् **50** बस्तियाँ असेवित है, इन असेवित बस्तियों तथा ग्रामों की दूरी उच्च प्राथमिक विद्यालयों से **3** कि0मी0 से **5** कि0मी0 तक है। इन बस्तियों में माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नवीन उच्च प्राथामिक विद्यालयों या ए0आई0ई0 केन्द्रों को वार्षिक योजनाओं में प्रस्तावित किया जायेगा।

सारिणी–2.9 से स्पष्ट है

सारिणी 2..9 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

क0स0	विकासखण्ड /	प्राथमिक विद्यालयों	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सं0				2:1 के अनुपात में उ0प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0
	नगर क्षेत्र	की सख्या	परिषदीय	राजकीय हा0/इ0	मान्यताप्राप्त हा0/इ0	योग	की आवश्यकता	की कमी
				से सम्बद्ध	से सम्बद्ध			
1	चकराता	155	36	6	0	42	77	35
2	कालसी	150	34	6	0	40	75	35
3	विकासनगर	91	30	6	4	40	45	5
4	सहसपुर	107	33	10	11	54	53	–1
5	श्रायपुर	115	29	6	9	44	57	13
6	डोईवाला	127	36	12	8	56	63	7
7	न.क्षे. देहरादून	57	7	2	18	27	28	1
8	न.क्षे.मसूरी	16	4	1	4	9	8	–1
9	न.क्षे.ऋषिकेश	13	1	01	3	5	6	1
	कुल योग	831	236	50	57	317	412	97

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत **2:1** के अनुपात में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जानी है अर्थात् दो प्राथमिक विद्यालय पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय ।इस तरह जनपद में कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या **831** हैं। सारिणी **2.14** से स्पष्ट है कि जनपद में **2:1** के अनुपात में **412** उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी परन्तु **307** उ0प्रा0वि0 तथा सम्बद्ध उ0प्रा0वि0 पूर्व से संचालित है। अतः **105** उ0प्रा0वि0 की कमी होगी। सारिणी **2.14** से स्पष्ट है कि विकासखण्ड चकराता तथा कालसी में **35–35** उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कमी हैं,किन्तु **2:1** के अनुपातिक मानक के अनुसार छात्र संख्या अति न्यून है, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों का खोला जाना उपयुक्त नही होगा। इन ग्रामों/बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्रस्तावित किये जायेगे।

सारणी– 2.10

जनपद में आँगनवाडी केन्द्रों का विवरण– 30.9.2001

क0स0	नगर/विकासखण्ड	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	बच्चों की संख्या	20 से कम छात्र सं0 के केन्द्र	20 से अधिक छात्र सं0 के केन्द्र
1	नगर क्षेत्र देहरादून	100	2712	7	91
2	चकराता	50	1835	6	44
3	विकासनगर	97	2806	4	93
4	कालसी	50	1453	6	44
5	सहसपुर	160	3700	72	86
6	रायपुर	95			
7	डोईवाला	98			
	योग	650	12506	95	358

स्त्रोत – विभागीय

जनपद में कुल **650** आँगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें **3** से **6** वयवर्ग के **12506** से अधिक बच्चें नामांकित हैं। मसूरी एवंम् ऋषिकेश नगर क्षेत्र में आँगनवाड़ी केन्द्र नहीं है। इन क्षेत्रों में **3** से **6** वयवर्ग के बच्चों के लिये ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के खोलने के लिये आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय किया जायेगा तथा आँगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

नगर क्षेत्र देहरादून, विकासखण्ड चकराता, विकासनगर, कालसी तथा सहसपुर में अभी भी ऐसी बस्तियाँ हैं, जहाँ **3** से **6** वयवर्ग के बच्चों की संख्या **20** या **20** से अधिक है। अतः इन बस्तियों/ग्रामों में ई0सी0सी0ई0 केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया जायेगा।

सारिणी– 2.11(अ)

जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान देहरादून का संगठनात्मक ढ़ाँचा एवम् उपलब्ध जनशक्ति

(30–9–2001 के अनुसार)

क0स0	पद का नाम	सृजित	कार्यरत	रिक्त
1	प्राचार्य	1	1	0
2	उप प्राचार्य	1	0	0
3	वरिष्ठ प्रवक्ता	6	5	1
4	प्रवक्ता	17	17	0
5	सहायक अध्यापक	3	3	0
6	कार्यालय अधिक्षक	1	1	0
7	लेखाकार	1	0	1
8	आशुलिपिक	1	1	0
9	प्रयोगशाला सहायक	2	2	0
10	कनिष्ठ लिपिक	9	9	0
11	परिचारक	5	5	0

स्त्रोत – विभागीय

सारिणी–2.11(ब) **जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान देहरादून का संकायगत ढ़ाँचा**

क0स0	संकाय का नाम	उप प्राचार्य/वरिष्ठ प्रवक्ता	प्रवक्ता	सहायक अध्यापक	लिपिक	योग
1	सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण संकाय	1	8	0	1	10
2	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण संकाय	1	1	0	1	3
3	पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवम्	1	1	0	0	2
	मूल्यांकन संकाय					
4	कार्यानुभव संकाय	1	1	1	0	3
5	शैक्षिक तकनीकी संकाय	1	1	1	0	3
6	जिला संसाधन इकाई	1(उप प्राचार्य)	4	0	1	6
7	शैक्षिक नियोजन एवम् प्रबन्ध संकाय	1	1	1	0	3

स्त्रोत– विभागीय

सारिणी–2.12

जनपद में विकासखण्डवार एकल अध्यापकीय विद्यालय – 30 जनवरी 2003 के अनुसार

क0स	विकासखण्ड /	परिषदीय विद्यालयों	एकल शिक्षक विद्यालय	बंद विद्यालयों	एकल शिक्षक विद्यालय जहाँ	शेष एकल शिक्षक
	नगर क्षेत्र	की संख्या	की संख्या	की संख्या	शिक्षा मित्रों की व्यवस्था है	विद्यालय
1	चकराता	155	108	00	69	39
2	कालसी	150	67	00	40	27
3	विकासनगर	91	07	0	1	07
4	सहसपुर	107	03	0	1	2
5	रायपुर	115	23	0	6	17
6	डोईवाला	127	08	0	1	07
7	नगर क्षेत्र देहरादून	57	12	0	0	12
8	नगर क्षेत्र मसूरी	16	3	0	0	3
9	नगर क्षेत्र ऋषिकेश	13	1	0	0	1
	कुल योग	831	232	3	117	115

स्त्रोत– विभागीय

सारिणी 2.12 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जनपद में कुल **115** प्रा0वि0 ऐसे है जहाँ पर एक शिक्षक कार्यरत है। चकराता विकासखण्ड जो पर्वतीय व दुर्गम है विकासखण्ड स्तर पर आयोजित गोष्ठी में क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की आम राय थी कि चकराता व कालसी विकासखण्ड में स्थानीय समुदाय के लोगों की नियुक्ति शिक्षा मित्र के रूप में की जाए।

जनपद देहरादून बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति

क्र0सं0	पदनाम	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत	कुल योग	कार्यरत	रिक्त
1	प्र0अध्यापक जूनियर	180		180	152	28
2	स0अ0 जूनियर	766	142	908	750	161
3	प्र0अ0 प्राथमिक	538		538	476	52
4	स0अ0 प्राथमिक	1261	58	1307	1332	25 अध्यापक प्र0अ0 पद के प्रति कार्यरत है।
5	शिक्षा मित्र	125	58	171	116	55

विकलांग बच्चों का विवरण – ग्रामीण क्षेत्र 2003–04

जनपद – देहरादून।

क्र0सं0	विकासखण्ड का नाम	पंचायत की संख्या	बस्ती की संख्या	0–03 वय वर्ग			3–6 वय वर्ग			6–11 वय वर्ग			11–14 वय वर्ग			14–18 वय वर्ग		
				बालिका	बालक	योग	बालिका	बालक	योग	बालिका	बालक	योग	बालिका	बालक	योग	बालिका	बालक	योग
1	चकराता	9+1	277	4	5	9	6	10	16	23	15	38	11	9	20	7	12	19
2	कालसी	9	260		1	1	3	7	10	12	16	28	3	9	12	3	8	11
3	विकासनगर	5+2	215	2	3	5	5	6	11	12	22	34	17	21	38	8	22	30
4	सहसपुर	6	229	3	2	5	3	9	12	13	26	29	11	14	25	10	18	28
5	रायपुर	6	276	5	1	6	3	4	7	14	14	28	8	11	19	14	10	24
6	डोईवाला	5+1	315					1	1	4	8	12	5	5	10		3	3
	योग		**1572**	**14**	**12**	**26**	**20**	**37**	**57**	**78**	**101**	**169**	**55**	**69**	**124**	**42**	**73**	**115**

स्त्रोत – विभागीय (परिवार सर्वेक्षण)

सारणी–2.13 प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधन– जनपद देहरादून 30 सितम्बर 2003

क्र0 सं0	ब्लाक	कुल प्रा0 वि0 की सं0	भवनों की स्थिति										शौचालय	पेयजल	चाहरदीवारी
			एक कक्षीय	दो कक्षीय	तीन कक्षीय	चार कक्षीय	पांचं कक्षीय	पांच से अधिक	भवनहीन	अपूर्ण भवन	कुल भवन	जर्जर भवन			
1	चकराता	155	1	85	41	0	1	0	0	27	128	19	0	15	0
2	कालसी	150	4	107	7	8	2	0	0	22	128	25	7	2	4
3	विकास नगर	91	1	58	6	8	8	0	0	10	81	9	46	24	15
4	सहसपुर	107	0	49	32	7	3	5	0	11	96	14	22	28	21
5	रायपुर	115	2	55	31	5	5	3	0	14	101	22	64	32	19
6	डोईवाला	127	4	44	40	15	7	3	0	14	113	6	52	55	30
7	न0क्षे0देहरादून	57	0	8	5	6	4	1	किराए पर 33	0	24	0	18	18	19
8	न0क्षे0मसूरी	16	1	5	2	0	2	1	5	0	11	2	0	5	5
9	न0क्षे0ऋषिकेश	13	1	0	1	2	8	0	1	0	12	1	7	5	7
	योग	831	14	411	165	51	40	13	39	98	694	98	216	184	120

स्रोत – विभागीय

सारिणी–2.14 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधान जनपद– देहरादून 30.6.01

क्र0 सं0	ब्लाक	कुल प्रा0 वि0 की	भवनो की स्थिति										पेयजल	शौचालय	चाहरदीवारी
			एक	छो	तीन	चार	पांचं	पांच से अधिक	भवनहीन	अपूर्ण भवन	कुल भवन	जर्जर भवन			
		सं0	कक्षीय	कक्षीय	कक्षीय	कक्षीय	कक्षीय								
1	चकराता	36	0	0	3	13	0	9	7	4	25	3	10	5	0
2	कालसी	34	0	1	7	11	8	0	7	0	27	5	12	13	4
3	विकास नगर	30	0	0	14	10	0	2	3	1	26	0	14	7	4
4	सहसपुर	33	0	1	0	0	0	26	6	0	27	3	13	16	3
5	रायपुर	29	0	0	6	4	2	8	6	3	20	1	18	12	10
6	डोईवाला	36	0	0	4	6	1	16	7	2	27	1	19	19	9
7	हा0/इण्टर से सम्बद्ध														
	डच्च प्रा0विद्यालय	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	11	21
8	न0क्षे0देहरादून	7	0	1	2	1	2	0	1	0	6	0	3	4	6
9	न0क्षे0मसूरी	4	0	0	2	0	1	0	1	0	3	0	4	0	4
10	न0क्षे0ऋषिकेश	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1
	योग	258	0	3	38	46	14	61	38	10	162	13	130	88	62

स्रोत – विभागीय

सारिणी–2.15(अ)

प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधान की आवश्यकता

विकासक्षेत्र / नगर क्षेत्र	भवन (पुनःनिर्माण)	मरम्मत		शौचालय	पेयजल	चारदीवारी	अति0कक्षा कक्ष
		लघु	वृहद				
चकराता	46	0	26	85	106	109	35
कालसी	50	0	14	88	101	99	43
विकास नगर	22	0	37	42	48	57	62
सहसपुर	25	0	23	55	54	61	79
रायपुर	40	0	60	39	47	60	68
डोईवाला	22	0	30	55	52	77	66
न0क्षे0देहरादून	10	0	24	6	6	5	34
न0क्षे0मसूरी	2	0	9	12	4	4	2
न0क्षे0ऋषिकेश	4	0	5	10	4	4	12
योग	221	0	228	392	422	476	401

स्रोत – विभागीय

सारणी 2.15(अ)

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधान की आवश्यकता

विकासक्षेत्र / नगर क्षेत्र	भवन (पुनःनिर्माण)	मरम्मत		शौचालय	पेयजल	चारदीवारी	अति0कक्षा कक्ष
		लघु	वृहद				
चकराता	14	0	10	21	12	22	3
कालसी	12	0	7	11	10	18	2
विकास नगर	4	0	23	22	12	22	13
सहसपुर	9	0	4	8	11	21	14
रायपुर	10	0	13	19	8	9	14
डोईवाला	10	0	2	7	7	17	12
हा0 / इण्टर से सम्बद्ध उ0प्रा0वि0	0	0	0	37	12	27	198
न0क्षे0देहरादून	1	0	0	22	3	0	8
न0क्षे0मसूरी	0	0	3	1	0	0	1
न0क्षे0ऋषिकेश	0	0	1	1	0	0	5
योग	60	0	63	149	75	136	270

स्रोत – विभागीय

सारिणी 2.9 प्राथमिक स्तर पर 6–11वर्ग की बाल गणना 2001–02

क्र	विकास	6–11 वर्ष के कुल बच्चो की संख्या			6–11 वर्ष के पढ़ने वाले बच्चे			6–11 वर्ष के न पढ़ने वाले बच्चे			कुल नामाकंन			सकल नामांकन
सं0	खण्ड/नगर क्षेत्र	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	अनुपात
1	चकराता	5472	5468	10940	4840	4845	9685	632	643	1275	4840	4845	9685	88.52
2	कालसी	4921	4816	9737	4627	4465	9092	323	322	645	4627	4465	9092	93.37
3	विकास नगर	10347	8340	18687	9636	7940	17576	711	400	1111	9639	7940	17579	94.05
4	सहसपुर	12890	11692	24582	10425	9945	20370	1805	1600	3405	10425	9945	20370	82.86
5	रायपुर	12165	10454	22619	11453	9716	21169	712	738	1450	11453	9716	21169	93.58
6	डोईवाला	10680	9751	20431	10336	9415	19751	344	336	680	10336	9415	19751	96.67
7	न0क्षे0 देहरादून	20648	14775	35423	19942	14251	34193	706	524	1230	19942	14251	34193	96.52
8	न0क्षे0 मसूरी	1773	1627	3400	1653	1499	3152	120	128	248	1653	1499	3152	92.70
9	न0क्षे ऋषिकेश	5535	4532	10067	5477	4453	9930	58	79	137	5477	4453	9930	98.63
	योग	84431	71455	155886	78389	66529	144918	5411	4770	10181	78392	66529	144921	92.96

स्त्रोत–विभागीय

सारणी 2.10 सकल नामांकन अनुपात उच्च प्राथमिक स्तर पर 11–14 वर्ष वर्ग की बालगणना (2000–2001)

क्रम सं0	विकास खण्ड/नगर क्षेत्र	11–14 वर्ष के कुल बच्चो की संख्या			11–14 वर्ष के पढ़ने वाले बच्चे			11–14 वर्ष के न पढ़ने वाले बच्चे			कुल नामाकंन			सकल नामाकंन
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	अनुपात
1	चकराता	1597	1375	2972	1486	1232	2718	111	143	254	1486	1232	2718	91.45
2	कालसी	2077	1648	3725	1840	1403	3243	237	245	482	1840	1403	3243	87.06
3	विकास नगर	4120	3530	7650	3981	3329	7310	139	201	340	3981	3329	7310	95.55
4	सहसपुर	5972	5769	11741	5312	5410	10722	660	359	1019	5312	5410	10722	91.32
5	रायपुर	4286	4320	8606	4059	4019	8078	227	301	528	4059	4019	8078	93.86
6	डोईवाला	5769	5535	11304	5741	5519	11260	28	16	44	5741	5519	11260	99.60
7	न0क्षे0 देहरादून	18741	16634	35375	18236	16214	34450	505	420	925	18236	16214	34450	97.38
8	न0क्षे0मसूरी	820	795	1615	750	760	1510	70	35	105	750	760	1510	93.49
9	न0क्षे0ऋषिकेश	2510	2722	5232	2502	2777	5279	8	5	13	2502	2777	5279	100.89
	योग	45892	42328	88220	43907	40663	84570	1985	1725	3710	43907	40663	84570	95.86

स्त्रोत–विभागीय

वर्ष 2003–04 के अनुसार छात्र–संख्या

छात्र संख्या (6–11 वय वर्ग)

	प्राथमिक																	
	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			पिछड़ी जाति			अल्पसंख्या			विकलांग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
विद्यालय का प्रकार																		
राजकीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
परिषदिय	39728	40168	79896	10553	10512	21065	5853	6993	12846	3055	3016	6071	6642	6300	12942	197	126	323
सहायता प्राप्त	8775	9840	18615	315	700	1015	621	303	924	500	250	750	319	292	611	–	–	–
असहायता प्राप्त	15926	10008	25934	3000	1865	4865	1200	1090	2290	1000	903	1903	1100	852	1952	–	–	–
योग	**64429**	**60016**	**124445**	**13868**	**13077**	**26945**	**7674**	**8386**	**16060**	**4555**	**4169**	**8724**	**8061**	**7444**	**15505**	197	**126**	**323**

छात्र संख्या (11–14 वय वर्ग)

	जूनियर हाईस्कूल																	
	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			पिछड़ी जाति			अल्पसंख्या			विकलांग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
विद्यालय का प्रकार																		
राजकीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
परिषदिय	10427	9321	19748	2282	2098	4380	1799	1739	3538	911	933	1844	1330	1136	2466	–	–	–
सहायता प्राप्त	2327	2234	4561	259	221	480	65	65	130	125	92	217	57	30	87	–	–	–
असहायता प्राप्त	5610	4437	10047	612	455	1067	172	153	325	299	254	553	111	103	214	–	–	–
योग	**18364**	**15992**	**34356**	**3153**	**2774**	**5927**	**2036**	**1957**	**3993**	**1335**	**1279**	**2614**	**1498**	**1269**	**2767**			

– स्त्रोत विभागीय

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

अध्याय–1 (ग)

सर्व शिक्षा अभियान लक्ष्य एवं उद्देश्य

सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य वर्ष **2003** तक **6** से **14** वर्ष के सभी बच्चों का प्रारम्भिक शिक्षा में नामांकन, वर्ष **2007** तक **6** से **11** वय वर्ग के बच्चों को कक्षा **5** तक की गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना, तथा वर्ष **2010** तक सभी नांमाकित बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा **VIII** तक पूरी कराना है। स्कूल प्रबन्धन एवम् स्कूल के शिक्षण शिक्षणेत्तर एंव निर्माण कार्यो में समुदाय की भागीदारी को सक्रिय बनाना, सर्वशिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। समाज के **सभी** वर्गो स्त्री पुरूषों की शिक्षा में भागीदारी सुनिशिचित करा कर वर्ग भेद एंव स्त्री पुरूषों के विभेद को समाप्त करना भी सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण बिन्दु है।

इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को शिक्षण के बारे में अनुमति देना, तथा उनकी मानवीय क्षमता को अर्थात् भौतिकवादी और अध्यात्मिक दोनों में, सहज रूप से नैसर्गिक वातावरण में पूरी तरह से विकसित होने की अनुमति प्रदान करना है।

(3.1) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत व्यापक कार्यनीतियॉ :

☐☐संस्थागत सुधार –

इस अभियान के अन्तर्गत सस्थाओं को शिक्षा की गुणवत्ता तथा शिक्षण पद्धिति में सुधार लाना होगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में तथ्य परक मूल्यांकन करना होगा। शैक्षिक प्रशासन, स्कूलों में निर्धारित उपलब्धि स्तर पर वित्तीय निर्गम, केन्द्रित एवं समुदाय आधारित शिक्षा व्यवस्था, राज्य अधिनियम की **समीक्षा**, शिक्षकों **की** पूर्ति मानीटरिंग, मूल्यांकन, बालिकाओं, विकलांगों, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के कमजोर वर्गो के बच्चों की शिक्षा, और शैशव कालीन देखरेख जैसी नीतियाँ शामिल है।

☐☐सतत् वित्त पोषण –

सर्वशिक्षा अभियान इस तथ्य पर आधारित है कि इसके लिए सतत पोषण जारी रहेगा।

☐☐सामुदायिक स्वामित्व –

शिक्षा में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, समाज में शिक्षा एंव स्कूली व्यवस्था के प्रति "स्वामित्व" की भावना का प्रादुर्भाव करना होगा। महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति तथा पंचायती राज के सदस्यों को शामिल कर के इस कार्यक्रम को गतिशील बनाया जाएगा।

☐☐**संस्थागत क्षमता का निर्माण** –

इस अभियान के अन्तर्गत विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना कर, विशेषज्ञों के स्थायी सहयोग से संस्थागत क्षमता निर्माण किया जाएगा।

☐☐**शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा का सुधार** –

इसमें संस्थागत विकास, नई पहल को शामिल करके और लागत प्रभावी और कुशल पद्धतियों को अपना कर शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार करने की अपेक्षा है।

(3.2) सर्वशिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 के लिए जनपद के लक्ष्य एवं उददेश्य :

इस जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत मलिन बस्तियों मजरों के 0–6, 6–11, 11–14 वय वर्ग के ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना जी विद्यालयी शिक्षा से बाहर हैं।

इस जनपद में ड्राप आउट रेट 4.20 है, उसे समाप्त कर शत प्रतिशत नामाकंन सुनिश्चित करना।

☐ 6 से 14 वय वर्ग के बच्चो के ठहराव को सुनिश्चित करना।

☐ सम्प्राप्ति स्तर को बढ़ाने के लिए गुणवत्ता परक शिक्षा, एवं गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान करना।

☐ भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सुदूर क्षेत्रो में समुदाय की आवश्यकता पर तथा मलिन बस्तियों में उस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप नये प्राथमिक विद्यालयों, ई0 जी0 एस0 की स्थापना।

☐ मरम्मत योग्य भवनों की मरम्मत, उनमें शौचालय, पेयजल एवं चाहरदीवारी का निर्माण करवाना।

☐ 6 से 14 वय वर्ग की बालिकाओं, अनु0 जाति, के बालकों, अनु जन जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण

☐ बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना और वांछित वय वर्ग की बालिकाओं का नामाकंन और ठहराव सुनिश्चित करना।

☐ स्त्री पुरूषों साक्षरता अन्तर को समाप्त करना।

☐ विकंलाग बच्चों को पहचान कर उनकी विकंलागता के अनुरूप, उन्हें शिक्षा प्रदान करना, तथा विद्यालयों में विंकलाग शिक्षा हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षको की व्यवस्था करना।

☐ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था करना।

☐ वर्तमान, सकल नामांकन अनुपात को 93%से बढ़ाकर 100% तक पहुचाना।

☐ उच्च प्राथमिक शिक्षा में सकल नामांकन 97.02% से बढ़ाकर 100% पहुचाना।

९९.४६%

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य

अध्याय – 2

परियोजना की अद्यतन प्रगति

1. निर्माण कार्य – वर्ष 2003–04

क्र0 सं0	निर्माण कार्य का नाम	प्रस्तावित	स्पील ओवर	योग	पूर्ण	शेष
1	नवीन प्रा0 विद्यालय	20	12	32	32	
2	नवीन उ0प्रा0वि0	20	06	26	26	
3	पुनः निर्माण (प्रा0वि0)	15	16	31	31	
4	पुनः निर्माण (उ0प्रा0वि0)	6	9	15	15	
5	अति कक्षा कक्ष	125	–	125	125	
6	पेयजल	55	3	58	58	
7.	शौचालय	45		45	45	
8.	चहारदीवारी (प्रा0)	15		15	15	
9	चहारदीवारी (उ0प्रा0वि0)	06		06	06	
10	सी0आर0सी0	12	02	14		
11	बी0आर0सी0		02	03	05	5

- जनपद देहरादून में वष्र 2003–04 में 32 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 26 नवीन उच्च प्राथमक विद्यालयों को निर्माण कार्य किया गया।
- 31 प्राथमिक विद्यालय एवं 15 उच्च प्राथमिक विद्यालय का पुनःनिर्माण किया गया ।
- 120 प्राथमिक विद्यालयों एवं 25 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष का निर्माण किया गया।
- 45 विद्यालयों में शौचालय निर्माण किया गया।
- 15 प्राथमिक विद्यालय एवं 6 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी बनायी गयी।

- 14 सी0आर0सी0 बनाने हेतु धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खाते में हस्तानांतरित की गयी।
- 05 बी0आर0सी0 निर्माण हेतु धनराशि शेष जारी की गयी।

शिक्षा की पहुँच का विस्तार

(क) ई0जी0एस0 वर्ष 2003–04

विकासखण्ड	प्रस्तावित केन्द्रों की संख्या	संचालित केन्द्र		शेष	
		विभाग द्वारा	एन0जी0ओ0 के द्वारा	विभाग द्वारा	एस0जी0ओ0 द्वारा
चकराता	23	09	14		
कालसी	11	07	04		
विकासनगर	08	01	07		
सहसपुर	02		02		
रायपुर	04	02	02		
डोईवाला					
देहरादून (न0क्षे0)	09		09		
मसूरी (न0क्षे0)					
ऋषिकेश					
योग	57	19	38		

(ख) ए0आई0ई0केन्द्र – वर्ष 2003–04

जनपद में 6–14 वयवग्र के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये 06 ए0आई0ई0 केन्द्र प्रस्तावित किये गये थे। जनपद में देहरादून नगरक्षेत्र के 500 बच्चों के लिये नवाचारी शिक्षा केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव था। वर्ष 2004–05 में 1033 (परिवार सर्वेक्षण के आँकड़े) बच्चों के लिये मलिन बस्तियों में नवाचारी शिक्षा केन्द्र खोले जायेगें।

ठहराव के लिये वृद्धि कार्यक्रम

क्र0सं0	मद का नाम	**प्रस्तावित (2003–04)**	स्पील ओवर	योग	पूर्ण	शेष
1	टी0एल0ई0 (प्रा0वि0)	46	12	58		58
2	टी0एल0ई0 (उ0प्रा0वि0)	57		57		57
3	टी0एल0ई0 (उ0प्रा0वि0) not covered under OBB	22	56	78		78
4	विद्यालय विकास अनुदान (प्रा0वि0 + उ0प्रा0वि0)	1204		1204	1204	
5	मरम्मत (प्रा0 + उ0प्रा0वि0)	1091		1091	1091	
6	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय	 73977 बच्चे 49319 बच्चे		 73977 बच्चे 49319 बच्चे	 73977 बच्चे 49319 बच्चे	
7	शिक्षक अनुदान प्रा0+उ0प्रा0वि0	3061 अध्यापक		3061 अध्यापक	3061 अध्यापक	

58 प्राथमिक एवं 57 उच्च प्राथमिक नये विद्यालयों हेतु टी0एल0ई0 की धनराशि शेष जारी की गयी 78 उच्च प्राथमिक विद्यालय जो आप्रेशन ब्लेक बोर्ड से आच्छादित नहीं थे के लिए टी0एल0ई0 धनराशि शेष जारी की गयी। शिक्षक अनुदान, विद्यालय अनुदान, मरम्मत आदि की धनराशि उक्त सारणी के आधार पर व्यय की गयी।

शैक्षिक नवाचार के कार्यक्रम :

(क) ई0जी0सी0ई0 केन्द्रों की स्थापना : वर्ष 2003–04 में 3 से 6 वय वर्ग के बच्चों के लिये 40 केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव था। ये सभी 40 केन्द्रों को संचालित किया गया है।

(ख) वर्ष 2003–04 में जनपद देहरादून के न्यून महिला साक्षरता दर वाले जनजातीय क्षेत्र में स्थिति चकराता तथा कालसी विकासखण्ड के एकल अध्यापकीय विद्यालयों में बहु कक्षा शिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत ऋषिवैली सैटेलाइट स्कूल पैटर्न को प्रशासित करने हेतु प्रस्ताव किया गया है। यह कार्यक्रम माह जनवरी, 2004 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

(ग) बालिका शिक्षा के संवेदीकरण एवं स्तरोन्नयन हेतु 04 कन्या पूर्व माध्यामिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव था। यह कार्यक्रम के अन्दर प्रत्येक विद्यालय में कम्प्यूटर, कम्प्यूटर कक्ष,

साज–सज्जा, उपकरण तथा सम्बन्धित अध्यापकों एवं संकुल समन्वयकों को प्रशिक्षण प्रदान कर माह जनवरी से प्रारम्भ कर दिया गया है।

(घ) एम0सी0डी0ए0 वर्ष 2003–04 में बालिका शिक्षा संवेदीकरण हेतु जनपद में संकुल केन्द्रों पर एम0सी0डी0ए0 के अन्तर्गत नुक्कड़, नाटक, माँ बेटी मेला, लिंग संवेदीकरण कार्यशाला/गोष्ठी, डबलू एम0जी0, ममता का गठन आदि कार्यक्रम माह फरवरी 2004 में प्रारम्भ किया जायेगा।

(घ) समेकित शिक्षा –जनपद में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में समेकित करने के लिये तथा गम्भीर विकलांगता वाले बच्चों को उपकरण प्रदान करने हेतु वर्ष 2003–04 में विकलांगता शिविर, उपकरण वितरण, खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन का प्रस्ताव किया गया था। उक्त क्रियाकलापों का आयोजन विकासखण्ड रायपुर, विकासनगर तथा डोईवाला में सम्पन्न किया जा चुका है। शेष विकासखण्ड़ों में माह जनवरी तथा फरवरी में शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

(ड़) शोध, सर्वेक्षण, मूल्यांकन और अनुश्रवण के कार्यक्रम :

वर्ष 2003–04 की कार्ययोजना एवं बजट के प्रस्ताव में शौक्षिक समस्याओं पर शोध, क्रियात्मक शोध, सर्वेक्षण तथा विद्यालय कोटिकरण एवं मूल्यांकन एवं विद्यालय, संकुल, ब्लाक तथा जनपद स्तर पर प्रशिक्षण एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के अनुश्रवण एवं क्रियाकलाप प्रस्तावित थे। उक्त क्रियाकलापों का सम्पादन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला परियोजना कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।

(च) प्रशिक्षण

वर्ष 2003–04 में गुणवत्ता हेतु निम्नलिखित प्रशिक्षण प्रस्तावित थे।

1. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण – 10 दिवसीय
2. शिक्षा मित्रों का 30 दिवसीय आधार भूत प्रशिक्षण।
3. ए0बी0एस0ए0 तथा बी0आर0सी0,, सी0आर0सी समन्वयकों का प्रशिक्षण।

उक्त प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा सम्पन्न किया जा चुका है।

नियोजन प्रक्रिया

अध्याय–4

नियोजन प्रक्रिया

यह सर्वविदत और सर्वमान्य तथ्य है कि, किसी भी कार्य के प्रभावी ढंग से सम्पादन के लिए पूर्व नियोजन आवश्यक है। नियोजन का वर्तमान स्वरूप जनसहभागिता पर आधारित नहीं रहा हैं , जिसके फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में बनने वाली योजनाऐं लक्ष्य समूह की आवश्कताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही है और ना ही योजना कियान्वयन में गुणवत्ता आ पा रही है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अर्थात् सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित योजना निर्माण की प्रक्रिया स्वीकार की गई है । ऐसी शैक्षिक योजना जो समुदाय की अपेक्षा की पूर्ति का साधन बन सके, इस अभियान के अन्तर्गत सभी बच्चों के लिए स्कूल व शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। अनु0जाति, अनु0जनजाति के बच्चों की शिक्षा, विकलांग बच्चों की शिक्षा, ग्राम शिक्षा समिति एवम् सामुदायिक सक्रियता, आदि प्रमुख रूप से उभरे हुये मुद्दों से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के लिये, ग्राम, बस्ती, मजरे पर आधारित आवश्कताओं को विकास खण्ड स्तर पर संकलित कर, योजना का निर्माण किया गया है।

4.1 स्कूल चलो अभियान (वर्ष 2000–2001)

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 6–14 वय वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से जनपद में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के संचालन हेतु जनपदमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें जिला स्तर, तहसील स्तर, ब्लाक स्तर, ग्राम स्तर के समस्त शिक्षाधिकारी, शिक्षक, निरीक्षक, जनप्रतिनिधि को सम्मिलित किया गया। वर्ष 2000–2001 में स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत चिन्हित एवम् नामांकित बच्चों का विवरण सारिणी 4.1.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.1.1

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत चिन्हित एवम् नामांकित बच्चों का विवरण वर्ष 2000–2001

क0स0	विकासखण्ड नगर क्षेत्र	विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या (6–14 वय वर्ग)			बीच में विद्यालय छोडने वाले बच्चों की संख्या		
		चिन्हित बच्चों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या	शेष	चिन्हित बच्चों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या	शेष
1	चकराता	2007	1970	37	179	173	6
2	कालसी	7454	7446	8	43	35	8
3	विकासनगर	4544	4050	494	387	246	141
4	सहसपुर	1615	1516	99	128	0	128
5	रायपुर	1209	1089	120	85	69	16
6	डोईवाला	1544	1510	34	14	14	0
7	नगर क्षेत्र देहरादून	451	279	172	177	98	79
8	नगर क्षेत्र मसूरी	1073	697	376	395	233	162
9	नगर क्षेत्र ऋषिकेश	549	396	153	70	46	24
	कुल योग	20446	18953	1493	1478	914	564

स्त्रोत–विभागीय

(4.2) माइक्रोप्लानिंग

जनपद देहरादून में ग्राम तथा परिवार को इकाई मानकर माइक्रोप्लानिंग क्रिया गया। वर्ष **2000 – 2001** की जनसंख्या एवं विभागीय आँकडों का संकलन किया गया है। विकास खण्ड एवम् नगर क्षेत्र स्तर पर स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों कों शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ई0जी0एस0 अथवा ए0आई0ई0 खोलने के लिये प्रस्ताव तैयार किये गय है। नये प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विधालयों के खोलने एवम् वर्तमान समय में विधालय भवनों की मरम्मत/जीर्णोद्धार, पेयजल , शौचालय ,चाहरदीवारी पुस्तकालय प्रयोगशाला आदि सुविधाओं से सम्बन्धित प्रस्ताव पर चर्चा की गई। गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिये डी0पी0ओ0 एवम् डायट जिला स्तर पर, बी0आर0सी0 ब्लाक स्तर पर,सी0आर0सी0 स्थानीय स्तर एवं नगर क्षेत्र में संकुल केन्द्र स्थापित करने तथा उन्हे संसाधनों से युक्त करने के सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार किये गये। राज्य स्तर पर एस0सी0ई0आर0टी0 एवम् सीमेट के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यक्रम,पाठ्य, पुस्तक संदर्भ पुस्तक एवम् ग्राम शिक्षा समिति की शैक्षिक आवश्कताओं पर आधारित प्रस्ताव तैयार किये गये है।

उपरोक्त क्रिया कलापों के सम्पादन से इस जनपद के ग्राम, बस्ती मजरे स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान का प्रचार प्रसार हुआ तथा समुदाय की भागीदारी सशक्त हुयी । ग्राम्य स्तर पर जन – समुदाय द्वारा बेहिचक अपनी आवश्कताओं की पूर्ति के लिये नियोजन प्रक्रिया में भागीदारी की गयी। शिक्षा की योजना निर्माण प्रक्रिया में ग्राम प्रधानों पंचायत सदस्यों जनप्रतिनिधियों शिक्षकों एवम् शिक्षा विदों को एक साथ सम्मिलित किया जा रहा है तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजना निर्माण किया जा रहा है।

4.3 योजना पूर्व गतिविधियाँ

– विभिन्न स्तरों पर आयोजित बैठकों तथा फोकसग्रुप चर्चा एवम् विचार विमर्श के मुद्दें :–

क्रम0 सं0	दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों की संख्या व विवरण	विचार–विमर्श के मुद्दे एवंम् सम्पादित कार्य
1.	20 मई से 31 मई 2000	समस्त जनपद	–	बालगणना
2.	1 जुलाई से 3जुलाई 2001	समस्त जनपद	–	– स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत सर्वेक्षण, प्रभात फेरियाँ।

3.	दिनांक 5, 6, 7 जुलाई 2001	रूलेक, देहरादून	डायट के प्राचार्य, चार प्रवक्ता, बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, देहरादून	1– सर्व शिक्षा अभियान क्या हैं ? 2.– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत योजना निर्माण प्रकिया। 3– पहुँच, नामांकन, ठहराव, संस्थागत क्षमता सम्वर्द्धन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा।
4.	दिनांक 16 अगस्त 2001	सर्वशिक्षा अभियान जिला प्रकोष्ठ देहरादून	बेसिक शिक्षा अधिकारी,प्राचार्य डायट,उप बेसिकशिक्षाअधिकारी,समस्त स0बे0शि0अ0,प्रवक्ता डायट	1 सर्वेक्षण प्रपत्र निर्माण। 2 जिला कोर टीम का गठन। 3 आँकडों एंव सूचनाओं के संकलन के लिए रणनीति तैयार की गई।
5	दिनाँक 30 अगस्त 2001	सर्व शिक्षा अभियान प्रकोष्ठ देहरादून	जिला कोर टीम के सदस्य	विकासखण्ड स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान अभिमुखीकरण कार्यशाला के आयोजन हेतु विचार विमर्श किया गया तथा तिथियाँ सुनिश्चित कर स0बे0शि0अ0 को उत्तरदायित्व सौंपा गया।
6	दिनाँक 3 सितम्बर 2001	सर्व शिक्षा अभियान प्रकोष्ठ देहरादून	जिला कोर टीम के सदस्य	1 योजना निर्माण की प्रकिया। 2 आँकड़ों का विश्लेषण।

				3 फोकस ग्रुप की पहचान। 4 समस्याओं की पहचान। 5 समस्याओं के समाधान की रणनीति तैयार करना।
7	14 सितम्बर 2001	उच्च प्राथमिक विद्यालय फर्गर,नगर क्षेत्र	1 मलिन बस्ती के सामाजिक कार्यकर्ता। 2 अध्यक्ष प्रा0शि0 संध उत्तरांचल। 4 प्रा0 एंव उ0प्रा0विद्यालय के शिक्षक। 5 स्वंय सेवी संस्था के पदाधिकारी व सदस्य। 6 शिक्षा अधिकारी। 7 वरिष्ठ प्रवक्ता डायट। 8 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य।	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 फोकस ग्रुप चर्चा में मलिन बस्तियों के बच्चों को विद्यालय तक न पहुँचने की समस्या पर चर्चा हुई। 3 गुणवत्ता विकास पर चर्चा की गई।

8	17 सितम्बर 2001	विकासखण्ड कार्यालय रायपुर,देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 विकासखण्ड अधिकारी। 3 ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत सदस्य। 4 प्रा0 तथा उ0प्रा0 वि0 के शिक्षक। 5 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य।	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 ग्राम व बस्ती स्तर की समस्याओं पर चर्चा की गई। 3 स्कूल से बाहर बच्चों के लिए ई0जी0एस0,ए0आई0ई0 केन्द्रों के बारे में चर्चा की गई। 4 ग्राम शिक्षा समितियों के बारे में चर्चा की गई।
9	18 सितम्बर 2001	विकासखण्ड कार्यालय डोईवाला,देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 ब्लाक उपप्रमुख। 3 ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत सदस्य। 4 प्रा0 तथा उ0प्रा0 वि0 के शिक्षक। 5 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य।	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 नवीन विद्यालय,भवन निर्माण,मरम्मत तथा अन्य भौतिक सुविधाओं पर चर्चा की गई।
10	20 सितम्बर 2001	विकासखण्ड कार्यालय चकराता,देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 ज्येष्ठ प्रमुख।	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई।

		चकराता,देहरादून	3 निदेशक एंव अध्यक्ष समता। 4 समता के कार्यकर्ता। 5 प्रा0 व उ0प्रा0वि0 के शिक्षक। 6 ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्य। 7 स0बे0शि0अधिकारी 8 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य।	2 इस क्षेत्र में दूर–दूर तक फैले हुए मजरों के बारे में चर्चा हुई। 3 शिक्षकों के ठहराव न होने के कारणों पर चर्चा की गई। 4 ग्राम शिक्षा समिति की निष्क्रियता के कारणों पर चर्चा की गई।
11	दिनांक 21 सितम्बर 2001	विकासखण्ड कार्यालय देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 ज्येष्ठ प्रमुख। 3 निदेशक एंव अध्यक्ष समता। 4 समता के कार्यकर्ता। 5 प्रा0 व उ0प्रा0वि0 के शिक्षक। 6 ग्राम प्रधान व पंचायत	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 इस क्षेत्र में दूर–दूर तक फैले हुए मजरों के बारे में चर्चा हुई। 3 शिक्षकों के ठहराव न होने के कारणों पर चर्चा की गई। 4 ग्राम शिक्षा समिति की निष्क्रियता के कारणों पर चर्चा की गई।

			सदस्य। 7 स0बे0शि0अधिकारी। 9 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य। 10 बहुधंधी कर्मचारी।	6 शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा की गई। 7 नए विद्यालयों के निर्माण एंव अन्य भौतिक आवश्यकताओं पर चर्चा हुई। 8 जनजाति बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।
12	दिनांक 22 सितम्बर 2001	राज्य प्रकोष्ठ,इेहरादून	1 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। 2 जिला कोर ग्रुप के सदस्य	1 एक वर्षीय कार्ययोजना के सम्बन्ध में चर्चा की गई। 2 आँकडों एवम् सूचनाओं को संकलित तथा विश्लेषण करने की रणनीति पर चर्चा की गई।
13	दिनांक 24 सितम्बर 2001	विकासखण्ड विकासनगर, देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 ब्लाक उपप्रमुख। 3 ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत सदस्य। 4 प्रा0 तथा उ0प्रा0 वि0 के शिक्षक। 5 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 नवीन विद्यालय,भवन निर्माण,मरम्मत तथा अन्य भौतिक सुविधाओं पर चर्चा की गई। 3 फोकस ग्रुप चर्चा में नामांकन,ठहराव एंव गुणवत्ता विकास की समस्याओं पर बल दिया गया।

			सदस्य।	
14	दिनांक 26 सितम्बर 2001	विकासखण्ड सहसपुर,देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 ब्लाक उपप्रमुख। 3 ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत सदस्य। 4 प्रा0 तथा उ0प्रा0 वि0 के शिक्षक। 5 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य।	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन,ठहराव एवम् गुणवत्ता विकास में अवरोधों पर चर्चा हुई।

15	18 अक्टूबर 2001	जनपद देहरादून	1 एन0एस0डार्ट के निदेशक तथा विशेषज्ञ। 2 शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल। 3 मुख्य विकास अधिकारी। 4 जिला विकास अधिकारीं। 5 समस्त बी0डी0ओ0। 4 क्षेत्रीय विधायक। 5 समस्त ब्लाक प्रमुख,प्रधान,पंचायत सदस्य,पालिका अध्यक्ष	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 जिले का पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करने हेतु एन0एस0डार्ट के विशेषज्ञों द्वारा आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागियों द्वारा चिन्हित समस्याओं :– जैसे भौतिक संसाधनों की कमी,शिक्षकों की कमी,गुणवत्ता आदि का विश्लेषण किया गया।
16	09 अप्रैल से 15 अप्रैल 2002	जनपद देहरादून	1. जिला कोर टीम के सदस्य। 2. राज्य परियोजना के विशेषज्ञ।	1. दि0 2001 से मार्च 2002 तक की कार्ययोजना में स्वीकृत एंव आवंटित बजट पर चर्चा। 2. वर्ष 2002–03 की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट पर चर्चा की गई।

15	दिनांक 20–21 दिसम्बर 2003	राज्य परियोजना कार्यालय उत्तरांचल देहरादून	जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मी डायट के प्रवक्ता	एक वर्षीय कार्ययोजना 2004–05 निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा हुयी।

समस्याएँ एवं रणनीतियाँ

अध्याय–3 (ख)

समस्यायें एवं रणनीतियां

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रकिया अपनायी गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों का शत्–प्रतिशत् नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित किया जाना है। ठहराव के साथ–साथ शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाए जाने पर विशेष बल दिया जायेगा। इस हेतु जनपद के विकासखण्ड़ों एवं नगरक्षेत्रों में ग्राम्य, बस्ती, मजरे स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान अभिमुखीकरण कार्यशालाओं, गोष्ठियों तथा फोकस ग्रुप डिस्कशन का आयोजन किया गया जिसमें शिक्षकों, शिक्षाविदों समुदाय के विभिन्न वर्गो, ग्राम प्रधानों अभिभावकों आदि ने प्रतिभाग किया। फोकसगुप डिस्कशन एवं ग्राष्ठियों में सम्पन्न चर्चा से उभरे मुद्दों के समाधान के लिये इस अभियान के अन्तर्गत जो रणनीतियाँ अपनाई जायेगी उनका वर्णन निम्नवत हैं–

समस्यायें	रणनीतियाँ
(अ) शिक्षा की पहुँच सम्बन्धी	
1– सामाजिक एवम् आर्थिक पिछड़ापन	जनपद में मलिन बस्तियों एवम् जनजाति क्षेत्र की महिलाओं में समाजिक चेतना जागृत करने तथा बच्चों एंव उनके माता पिता,अभिभावकों की सोच में सकारात्मक परिवर्तन हेतु महिला मँगल दल, महिला सशक्तिीकरण,कला जत्था, जनसम्पर्क आदि का

	क्रियावयन ग्राम शिक्षा समितियों एवम् जागरूक नागरिकों के सहयोग से लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी।
2–जनपद में असेवित बस्तियों मे विद्यालय का अभाव	जनपद में ऐसी असेवित बस्तियाँ जहाँ की आबादी **200** या इससे अधिक है तथा 1 कि0मी0 की दूरी पर विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं,वहाँ पर विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाएगा।ऐसे ग्राम व बस्ती जहाँ पर 6–11 वय वर्ग के **20** बच्चे उपलब्ध हैं, वहाँ पर ई0जी0एस0 खोले जाएगें तथा ड्राप आउट होने वाले बच्चों के लिए ए0आई0ई0 केन्द्र खोले जाएगें।
3–शिक्षा की उपादेयता का संदिग्ध होना।	जनपद की मलिन बस्तियों तथा जनजाति क्षेत्रों की बस्तियों के लोगों के लिए व्यवसाय या धन कमाना,शिक्षा के अपेक्षाकृत प्रमुख है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की उपादेयता पर लगे प्रश्नचिन्ह के समाधान के लिए उ0प्रा0 स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा को जोड़ा जाएगा,जिससे

	बच्चों में आत्मनिभरता का विकास हो सके तथा उनका आर्थिक पिछडापन भी दूर होसके। विशेषकर बालिकाओं के लिए कढाई,बुनाई, सिलाई, चटाई निर्माण, झाडू निर्माण, टोकरी निर्माण, मोमबत्ति बनाना, जूस, चटनी ,अचार, जैली बनाना आदि सिखाने का प्राविधान किया जाएगा।
4–जनपद में निजी(पब्लिक,मोन्टेसरी) विद्यालयों के प्रति आर्कषण।	इस जनपद में अभिभावक अपने बच्चों को अधिक शुल्क अदा करके अंग्रेजी स्कूल में पढाना अपने सामाजिक स्तर का प्रतीक मानते हैं। जनपद के सभी परिषदीय तथा मान्यताप्राप्त विद्यालयों की भौतिक आवश्यकताओं जैसे कक्षा–कक्ष, शौचाजय,पेयजल,चाहरदीवारी,साज–सज्जा आदि की उपलब्धता करायी जाएगी। नगर क्षेत्र देहरादून में **10** प्रा0वि0 को एवम् दो उ0प्रा0वि0 को माडल कलस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा तथा

	अध्यापक/अभिभावक संघ की सहभागिता से मेज–कुर्सी,कम्प्यूटर आदि सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएगी तथा कक्षा **1** से अंग्रेजी का शिक्षण कराया जाएगा। अध्यापक–अभिभावक संघ के प्रस्तावनुसार अतिरिक्त शुल्क का प्राविधान किया जाएगा।
बः– नामांकन सम्बन्धी समस्या 1–अभिभावकों में शिक्षा के प्रति अरूचि।	बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों की रूचि जागृत करने के लिए माह जुलाई में प्रथम **15** दिन तक स्कूल चलो अभियान, जनसम्पर्क, अभिभावक गोष्ठी, नुक्कड़नाटक आदि कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा।
2–भौगोलिक कठिनाई जैसे नदी, नाले एवम् आदि के कारण शिक्षा में अवरोध	जनपद के चकराता, कालसी एवम् जंगल रायपुर विकास खण्ड के पर्वतीय भाग के ऐसे बस्तियों/मजरों में जहाँ भौगोलिक अवरोध के कारण विद्यालय में नामांकित नहीं हो पाते हैं वहाँ मानक के अनुसार

	ई.जी.एस. व ए.आई.ई. केन्द्र खोले जायेगें तथा कालान्तर में मुख्य धारा से जोड़ें जायेगें।
3. अध्यापकों का समुदाय से अलगाव।	अध्यापक एंव समुदाय में पारस्परिक सद्भावना जागृत करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति को सकिय बनाया जाएगा। विद्यालय के अध्यापकों द्वारा लक्ष्य क्षेत्र में अभिभावकों से संपर्क किया जाएगा। महिला अध्यापिका द्वारा ग्राम या बस्ती की महिलाओं से संपर्क किया जाएगा तथा उन्हें शिक्षा के गुणों के बारे में बताया जाएगा।
4.अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति रूचि में कमी	बालक को शिक्षित करना एक व्यक्ति को शिक्षित करना है तथा बालिका को शिक्षित करना एक परिवार को शिक्षित करना है इस संदेश के द्वारा जनपद में सेमिनार,गोष्ठी एंव फोकस ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा।

5 विद्यालय के कियाकलापों के प्रति बच्चों की अरूचि	कक्षा शिक्षण को रूचिपूर्ण बनाने के लिए आकर्षक सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण रिया जाएगा तथा शिक्षकों को रूचिपूर्ण शिक्षण विधाओं का कक्षा शिक्षण में योग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
(स) ठहराव 1–विद्यालय का वातावरण अनाकर्षक होना	जनपद के प्रा0वि0 एवम् उवप्रा0वि0 के विद्यालय भवन के अग्रभाग पर तथा कक्षा–कक्ष की दीवारों पर नैतिक वचन एवम् सूक्तियों को लिखवाया जायेगा । कक्षा कक्ष का आन्तरिक सौन्दीकरण किया जायेगा जो सहायक शिक्षण सामग्री से सम्बन्धित होगा । विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण एवम् पुष्प वाटिका की व्यवस्था की जायेगी जिसमें ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जायेगा।
2. अभिभावकों द्वारा बच्चों की अन्य सुविधाओं को अधिक महत्व देना	शिक्षा के प्रति उदासीनता को दूर करने के लिए अभिभावकों

	की गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा तथा शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी।
3. अध्यापकों द्वारा अपने विभाग के साथ साथ अन्य शासकीय / विभागीय कार्यो का निष्पादन करना।	अपरिहार्य परिस्थितियों में ही राष्ट्रीय महत्व के कार्य कराए जाए। पठन–पाठन के लिए निर्धारित समय का पूर्ण उपयोग की स्थिति बनाई जायेगी।
4. विद्यालयों में फर्नीचर उपकरण एवम् पेयजल, शौचालय एवम् विद्युतीकरण,चाहरदीवारी का अभाव	विद्यालयों में शिक्षकों के सापेक्ष कुर्सी मेज व्यवस्था बच्चों को बैठने हेतु टाट पट्टी तथा शिक्षण कार्यो में सहायक उपकरणों की व्यवस्था की जायेगी। ऐसे विद्यालय जो विधुतीकृत ग्रामों मे स्थिति है, वहाँ विधुतीकरण की व्यवस्था की जायेगी तथा चाहरदीवारी, पेयजल एवम् शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति की सहायता ली जाएगी।

द. गुणवत्ता सम्बन्धी 1. ग्राम शिक्षा समिति के पदाधिकारी एंव सदस्यों को दायित्वों की जानकारी न होना। के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा अपने ग्राम प्रधान पंचायत के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी जिसमे भवननिर्माण रखरखाव , नामांकन एंव ठहराव सम्बन्धी सम्बन्धी कार्यो में सम्बन्धी कार्यो में गुणवत्ता प्रदान करने की जानकारी दी जाएगी।
2. विद्यालयों में बच्चों की अनियमित उपस्थिति	विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति बनाए रखने के लिए अभिभावकों एवम् बच्चों को प्रेरित किया जाएगा। ऐसे बालकों या बालिकाओं को अपने छोटे भाई या बहिनों की देखभाल के लिए धर पर ही रह जाते हैं उनके लिए ई0सी0सी0ई0 तथा ई0जी0एस0 केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
3. अध्यापकों की शिक्षण कार्य में अरूचि	अध्यापकों की शिक्षण कार्य में रूचि उत्पन्न हो इसके लिए अध्यापक मूल्यांकन प्रणाली का विकास किया जाएगा। शिक्षण कार्य में रूचि रखने वाले

	शिक्षकों की पहचान कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा तथा शिक्षण कार्य में रूचि न रखने वाले एंव खराब परीक्षाफल देने वाले शिक्षकों के लिए दण्ड का प्राविधान किया जाएगा।
4. अध्यापक की व्यवहार कुशलता एंव व्यक्तित्व में ह्रास।	अध्यापक का व्यवहार मधुर हो,बच्चों के दैनिक जीवन के प्रति संवेदनशील हो तथा उनके मस्तिष्क में अध्यापक की छवि सकारात्मक आत्मीय एवम् प्रभावी हो इसके लिए अभिप्रेरण कार्यक्रम चलाया जाएगा।
5. विद्यालय,शिक्षक एंव विशिष्ट विषयों पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का न होना।	प्राथमिक स्तर पर बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण विशिष्ट विषयों पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाएगी।
6. उपयुक्त निरीक्षण का अभाव	जनपद के निरीक्षक वर्ग के लिए नियोजन एवम् प्रबन्धन तथा एम0आई0एस0 से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

7.. विद्यालयों में सहायक शिक्षण सामग्री का अभाव	विद्यालय अनुदान तथा शिखक अनुदान के उपयोग से कक्षावार तथा विषय वस्तु पर आधारित सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करवाया जाएगा।
य. संस्थागत क्षमताओं सम्बन्धी 1.जनपद में संसाधन केन्द्रों का अभाव	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में **6** बी0आर0सी0, **01** एन0आर0सी0 तथा **89** सी0आर0सी0 की स्थापना/निर्माण किया जाएगा।

उपरोक्त समस्याओं के अलावा जनपद में भविष्य में आने वाली समस्याओं की पहचान की जाएगी तथा उनके समाधान के लिए रणनीति बनाई जाएगी।

योजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

अध्याय – 4

योजना क्रियान्वयन एवम् अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की योजना वर्तमान व्यवस्था की समपूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 – 2010 तक ही होगी । इस अवधि में 6 – 14 वय वर्ग के सभी बालक बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी । इस अवधि में प्रर्याप्त क्षमता एवम् प्रबन्धन कौशल विकसित कर लिये जाने का प्रस्ताव है। प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगा इसमे व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगे। प्रबन्धन लोकतान्त्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिशचित हो सके। समय समय पर समीक्षा और रणनितियों में परिर्वतन के लिये तत्पर रहना होगा। इसमे सबसे निचले स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी तथा प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा तथा अध्यापकों एवम् छात्रों की उपस्थित सुनिशचित की जायेगी ।

(4.1) प्रबन्ध तंत्र

प्रबन्ध तंत्र संवेदनशील एवम् लचीली प्रणाली के अन्तर्गत सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए विकेन्द्रित शैक्षिक प्रबन्धन प्रणाली स्थापित की जायेगी। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली को स्थापित किया जायेगा। वित्तीय निवेशों को अबाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारपरक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक प्रबन्ध तन्त्र तैयार किया गया है जो निम्नवत है:–

निर्णय कर्ता	**प्रबन्ध तन्त्र**	**अकादमिक संस्थाएं**
साधारण सभा और कार्य कारणी	राज्य परियोजन कार्यालय	एस.सी.ई.आर.टी.एवम् सीमेट
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट, एन.जी.ओ.
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय प्रधानाध्यापक/अध्यापिका	सी.आर.सी.

संगठनात्मक ढाँचा

(4.2) ग्राम शिक्षा समिति

ग्राम्य स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कार्यो के सम्पादन के लिये बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अर्न्तगत ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना की गयी है।

समिति का स्वरूप निम्नवत है :–

- ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम पंचायत का प्रधान होगा ।
- ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहाँ एक से अधिक स्कूल हो तो उनके मुख्य अध्यापको मे से ज्येष्ठतम् अध्यापक सचिव ग्राम शिक्षा समिति होगा ।
- बेसिक स्कूल के छात्रों के तीन अभिभावक (जिसमें एक अभिभावक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगे, सदस्य होगे।

अधिकार एवम् दायित्व

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी :–

- पंचायत क्षेत्र के स्कूलों का प्रशासन नियन्त्रण एवम् प्रबन्धन करना ।
- बेसिक स्कूलो में प्रचार प्रसार और सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना ।
- बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना ।
- ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिऐ आवश्यक समझें जायेंगे।
- पंचायत की सीमाओं के अंदर अनियमितताओं के लिये, बेसिक स्कूल के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों के लिए लघु दण्ड देने की सिफारिश करना ।
- बेसिक शिक्षा से संम्बन्धित ऐसे अन्य कार्यो को करना जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उन्हे सौंपा जायें ।

कार्यक्रमों में सक्रिय सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने तथा उसे प्रणालीगत स्वरूप प्रदान करने के लिए पी.टी.ए., महिला अभिप्रेरण समूह भी स्थापित किये जाऐगें । इन कार्यो के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो की मांग तथा शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का कार्य एंवम् दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यो, आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा किया जायेगा । छात्रवृत्तियों का वितरण पोषाहार वितरण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

(4.3) क्षेत्र पंचायत समिति

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत समिति के दर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है, जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगा ।

क्षेत्र सहायक समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित हैः–

1. ब्लाक प्रमुख – अध्यक्ष
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य सचिव
3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान – सदस्य
4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम् अध्यापक – सदस्य

अधिकार एवम् दायित्व

इस समिति का मुख्य कार्य क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दूर करना तथा ग्राम पंचायत समिति एवम् जिला पंचायत समिति के बीच सम्पर्क सूत्र स्थापित करना है।

ब्लाक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की एक कोर टीम का गठन गया है इस कोर टीम के निम्नलिखित सदस्य है –:

1. खण्ड विकास अधिकारी – अध्यक्ष
2. ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित प्रतिनिधि – सदस्य
3. क्षेत्र पंचायत समिति की भी सदस्यता हो 01 वर्ष के लिये नामित – सदस्य

4. क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा नामित अनु0जाति/अनु0जनजाति पिछड़े वर्ग का ग्राम प्रधान 01 वर्ष के लिये नामित – सदस्य

5. प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका उ0प्रा0वि0 (1) – सदस्य

6. प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका प्रा0वि0 (1) – सदस्य

7. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य /सचिव

अधिकार एवम् दायित्व

इस कोर टीम का प्रमुख कार्यक्षेत्र सम्बन्धित विकास खण्ड होगा । विकास खण्ड स्तर पर जिला परियोजना या जिला कोर टीम द्वारा प्रदत्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवम् अनुश्रवण करना विधालयों शिक्षकों बच्चों एवम् ग्राम शिक्षा समितियो के बारें में सूचनाओं / आँकड़ो का संकलन करना तथा प्रत्येक माह ब्लाक स्तर पर संकलन, समन्वयकों के साथ बैठक का आयोजन करना, इस टीम के प्रमुख दायित्वों के रूप में संदर्भित है।

4.4 संकुल संसाधन केन्द्र (सी.आर.सी.)

जनपद की भौगेलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन एवम् अनुश्रवण हेतु संकुल संसाधन केन्द्रों का चयन कर लिया गया है। एक संकुल केन्द्र से अधिकतम **12** विधालय सम्बद्ध होगें। प्रत्येक संकुल संसाधन केन्द्र पर संकुल समन्वयक की नियुक्ति की जाऐगी तथा इस केन्द्र पर वांछित शैक्षिक उपकरण उपलब्ध कराये जायेगे। संकुल संसाधन केन्द्रों पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी तथा संकुल समन्वयकों को प्रशिक्षित किया जायेगा ।

कार्य एवम् दायित्व

- संकुल केन्द्र से सम्बद्ध विधालयों का अकादमिक निरीक्षण करना ।
- अध्यापकों की सप्ताहिक बैठक करना तथा उनकी व्यक्गित कठिनाईयों पर विचार विमर्श करना ।
- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के लिये प्रशिक्षण का आयोजन करना ।
- ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से, संकुल केन्द्रों से सम्बद्ध विधालयों में गुणवत्ता सुधार की दिशा में परिवेश निर्माण की योजना बनाना। संकुल स्तरीय सूचनाओं/ आँकड़ों का संकलन करना ।

(4.5) एम0 टी0 ए0/ पी0 टी0 ए0 का गठनः

प्राथमिक शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों मे एम0 टी0 ए0/ पी0 टी0ए0 का गठन किया जायेगा। विद्यालयो में होने वालें शैक्षिक कार्यो, विद्यालयों में भौतिक सुविधा उपलब्ध कराने में, विद्यालयो में होने वाले निर्माण कार्यो तथा विद्यालय स्तर पर अनुभूत समस्याओं कें निराकरण में यह संगठन सक्रिय भूमिका निभायेगें। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एम0 टी0 ए0 का गठन किया जायेगा।

(4.6) ब्लाक संसाधन केन्द्र एवम् नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र

इस जनपद के सभी विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्रों एवम् नगर क्षेत्रों में नगर संसाधन केन्द्रों के लिये भवन निर्माण कराया जायेगा। इन संसाधन केन्द्रों को उपकरणों, विधुतीकरण,कम्प्यूटर एवम् अन्य मूल भूत सुविधा से सुसज्जित किया जायेगा । प्रत्येक केन्द्र पर एक समन्वयक की नियुक्ति की जायेगी । विकास खण्डों एवम् नगर क्षेत्रों की विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों एवम् कार्यक्रम की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए समन्वयक के अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड एवम् नगर क्षेत्र में सह समन्वयक की नियुक्ति की जायेगी । समन्वयकों एवम् सहसमन्वयकों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाऐगी।

कार्य एवम् दायित्व

- अध्यापकों के लिए अभीनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- विकास खण्डों की शैक्षिक आवश्कताओं की पूर्ति हेतु सूक्ष्म नियोजन करना।
- विधालयों के शैक्षिक कार्यक्रमों का अनुश्रवण करना नवीन विधियों एवम् सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग की स्थिति सुनिश्चित करना ।
- ब्लाक स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना ।
- संकुल केन्द्रों तथा जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
- ब्लाक स्तर पर अधिकारियों एवम् अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना ।
- विकास खण्ड में स्कूल से बाहर विभिन्न वय वर्ग के बच्चों का बस्तीवार कम्प्यूटरीकृत आँकडें तैयार करना

- विधालय से सम्बन्धित आँकडों का संकलन जाँच एवम् विश्लेषण करना ।
- प्रत्येक माह में शैक्षिक प्रगति हेतु संकुल समन्वयकों के साथ बैठक करना।
- विकास खण्ड में संकुल एवम् विधालय स्तरीय शैक्षिक कठिनाईयों तथा प्रगति से जिला परियोजना कार्यालय एवम् डायट को अवगत कराना है।

(4.7) जनपद स्तरीय समिति

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवम् रणनितियों के निर्धारण हेतु जिला स्तर पर, जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन निम्नवत है –:

जिलाधिकारी	**अध्यक्ष**
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव
प्राचार्य/डायट	सदस्य
वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ता	सदस्य
जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
वित्त एवम् लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता (आर.ई.एस)	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता (पी.डब्लू.डी)	सदस्य
जिला विधालय निरीक्षक	सदस्य
दो शिक्षा विद् (अवकाश प्राप्त अधिकारी)	सदस्य

विश्व विधालय व महाविधालय से	
दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष (वर्ण माला क्रम से)	सदस्य
दो शिक्षक (राष्ट्रीय/ राज्य पुरस्कार प्राप्त)	सदस्य
स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिला अधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य

जिला शिक्षा परियोजना के अधिकारी एवम् दायित्व

यह समिति जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति होगी । जिले स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुऐ इसे सभी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार होगा। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य गुणवत्ता में सुधार एवम् जनसहभागिता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में इसके निर्णय सभी प्रशासनिक एवम् शैक्षिक अंगों को मान्य होगें। प्रवेश,धारण, गुणवत्ता सम्बधी निर्माण की तकनीक के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारण किये जाएगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान के संरचना, संचालन एवम् निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी । जनपद में ई.जी.एस./ए.आई.ई. से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा ।

(4.8) जिला बेसिक शिक्षा समिति

बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद् अधिनियम 1972 के अर्न्तगत जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गई है जिसका स्वरूप निम्नवत है –

जिला पंचायत अध्यक्ष	**अध्यक्ष**
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/ सचिव
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
जिला हरिजन कल्याण एवम् समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
जिला विधालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला)	पदेन सदस्य

तीन व्यक्ति जो जिला पंचायत के सदस्यों में से सदस्य

राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट

विधालय उप निरीक्षक (पदेन) सदस्य

जो समिति का सहायक उप सचिव होगा

जिला बेसिक शिक्षा समिति परिषद अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी ।

1. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

2. नये बेसिक स्कूल स्थापित करना ।

3. बेसिक स्कूल के विकास, प्रचार प्रसार एवम् सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना ।

(4.9) प्रशासनिक तन्त्र

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगें। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवम् कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्गदर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, करेगें। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिये जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी । जिसमे अभिकर्मियों के पद सृजित करतैनाती सुनिश्चित की जायेगी ।

1.	जिला परियोजना अधिकारी	पदेन– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
2.	सहायक लेखाधिकारी	6500–10500 प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	04 (रू0 6500–10500) राजपत्रित प्रतिनियुक्ति पर
4	लेखाकार/वरिष्ठ लिपिक	01 (रू0 5000–8000)
5	कम्प्यूटर आपरेटर	01 (रू0 5000–8000)

उपर्युक्त सभी अधिकारी एवम् कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण एवम् पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रम क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें । जनपद में कार्यरत उप बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होगें।

(4.10) शैक्षिक प्रबन्धन एवम् सूचना प्रणाली (ई.एम.आई.एस.)

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण के लिये जिला परियोजना में एम.आई.एस. स्थापित किया जायेगा । कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था की जायेगी। कम्प्यूटर आपरेटरों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जायेगी। कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षा गांरटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गति विधियों का अनुश्रवण आकड़ों का संकलन एवम् विश्लेषण किया जायेगा । विद्यालय सांख्यिकी कार्य के लिये कम्प्यूटर आपरेटर ,प्रधानाध्यापक,संकुल समन्वयक बी.आर.सी. समन्वयक,सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और ई.एम.आई.एस. सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हें भरने व संकलन विश्लेषण आदि की जानकारी दी जाऐगी।

आँकड़ों का उपयोग

ई.एम.आई.एस. आँकड़ों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण सूचक जैसे, जी.ई.आर., एन.ई.आर., ड्राप आउट दर, छात्र अध्यापक अनुपात, कक्षा कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विधालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगे। इन सूचको का उपयोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में किया जायेगा, ताकि बार बार सूचनाओं के संकलन में समय की बचत हो सके और कार्य के योजना की संरचना में तदनुसार समावेश/संशोधन किया जा सके ।

आँकड़ों का उपयोग नवीन विद्यालय हेतु असेवित बस्तियों की पहचान करने में, शिक्षा गांरटी केन्द्र/ नवाचार वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान में, एकल अध्यापकीय विद्यालयों के चिन्हीकरण में, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति में, बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों के चिन्हीकरण में, पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थियों की संख्या के आकलन में, शिक्षकों के विवरण में विकलांग बच्चों के चिन्हीकरण तथा उन्हें उपलब्ध करायी गई सुविधा के बारे में, आंकड़ों, का प्रयोग उपयोगी सिद्ध होगा।

(4.11) जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान

शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिऐ जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। वर्तमान में नवसृजित उत्तरांचल राज्य के अस्तित्व में आने के फलस्वरूप इस संस्थान के भूमि एवम् भवन पर उत्तरांचल राज्य का सचिवालय स्थापित हो चुका है।सम्प्रति यह संस्थान स्पोर्टस कालेज रायपुर (देहरादून) के प्रशासनिक भवन में अस्थाई रूप से संचालित हो रहा है, इसके फलस्वरूप भौतिक सुविधाओं का अभाव है। सर्वशिक्षा अभियान की व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए इसको सुदृढ़ किया जायेगा ।

इस योजना के अर्न्तगत इस संस्थान के निम्नलिखित कार्य होगे।

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर, संदर्भ व्यक्तियों को चयनित करना, तथा उन्हे प्रशिक्षित करना।

2. राज्य एवम् राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थानों कें सम्पर्क में रहना, तथा शिक्षा में नवाचार अभिनव प्रवृत्तियों अनुसंधानों, क्रियात्मक शोधों, शोध अध्ययनों के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना,ताकि जिला स्तर पर उसका क्रियान्वयन किया जा सके ।

3. ब्लाक स्तर के संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षत करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना ।

4. जिला स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवम् उपचार के लिये शोध कार्य करना और उसके परिणामों का क्रियान्वयन करना ।

5. जिले के समस्त विद्यालयों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण एवम् अनुश्रवण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों का निर्देशन एवम् नियन्त्रण करना ।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागों एवम् अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

8. न्यूनमत अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिये वेस लाइन सर्वे करना।

9. जिले स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना ।

10. शिक्षा के गुणवत्ता विकास के लिये नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शिक्षकों, समन्वयकों ई.सी.सी.ई., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, तथा निरीक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना।

12. शैक्षिक आँकड़ों (ई.एम.आई.एस. के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनका उपयोग करना।

13. जिले में एक वर्षीय कार्य योजना के अनुसार क्रियान्वित कार्यक्रमों की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार हेतु स्मारिका, फोल्डर एवम् सांख्यिकी का प्रकाशन ।

(4.12) परियोजना प्रबन्धन एवम् योजना प्रणाली

एम.आई.एस के द्वारा जनपद के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवम् वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है, उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति सुनिश्चित करने वाले करकों की पहचान कर, प्रभावी कार्य योजना का निर्माण किया जायेगा।

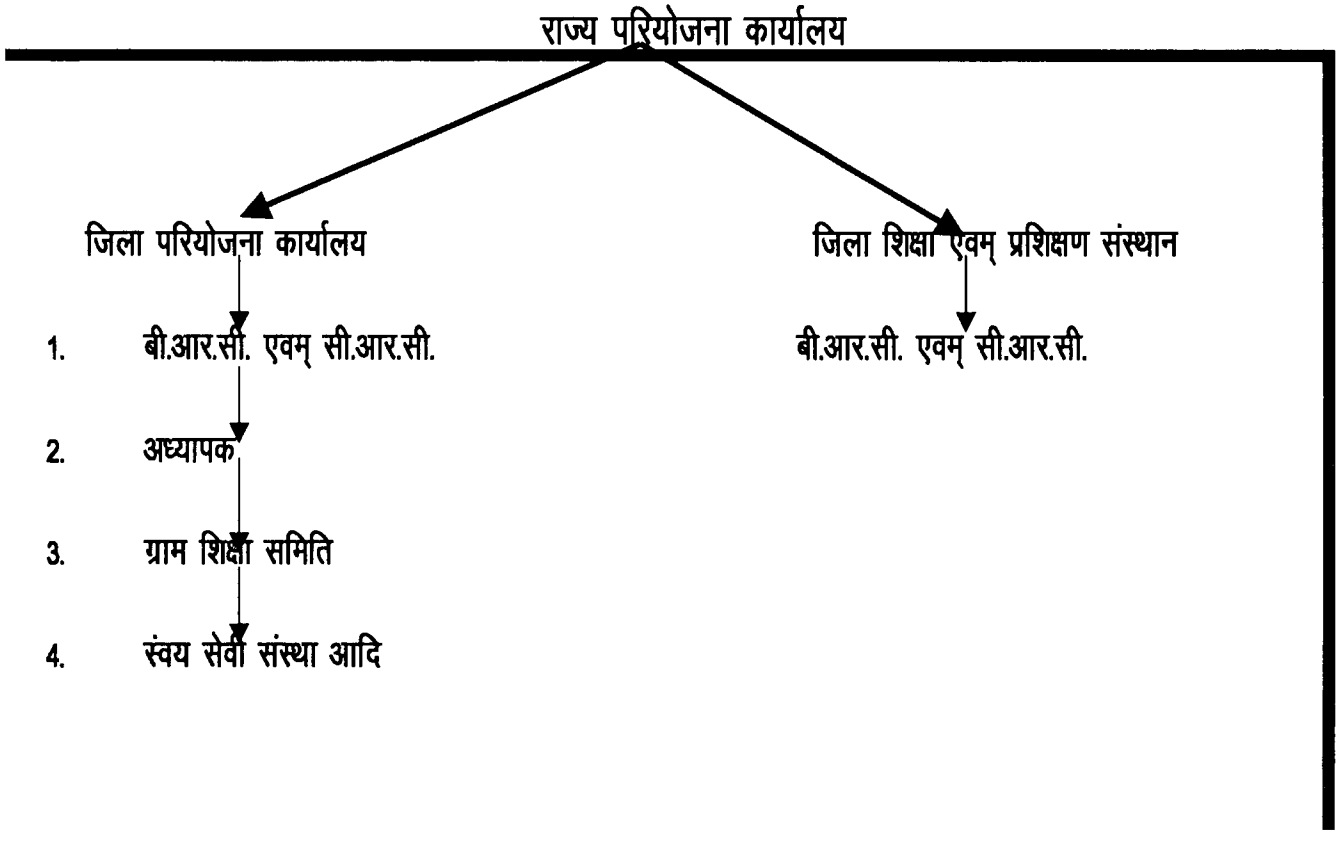

जनपद देहरादून के सर्व शिक्षा योजना के कार्यक्रमों में गोष्ठी हेतु व्यय का निर्धारण

उदाहरण – 3.5 प्रतिभागी के अनुसार

वर्किंग लंच एवं जलपान – 35 x 50 = 1750.00 रू0

स्टेशनरी – 35 x 25 = 875.00 रू0

टी0ए0 – 35 x 100 = 3500.00 रू0

वाहन किराया – 700.00 रू0

मनदेय (विषय विशेषज्ञ) – 200 x 4 = 800.00 रू0

मैटिंग हाल किराया = 2000.00 रू0

= 825.00 रू0

= 9400.00 रू0

2 कार्यशाला हेतु व्यय निर्धारण –

3.5 प्रतिभागियों के मानक के अनुसार

वर्किंग लंच एवं जलपान – 50.00 x 35 = 1750

आवास – 35 x 150 = 52.50

स्टेशनरी – 70 x 35 = 2450

टी0ए0 – 200 x 35 = 7000

वाहन किराया – 700.00

मनदेय संदर्भदाता – 300 x 4 = 1200

मैटिंग द्वारा किराया – 2000 x 1 = 2000

आकस्मिक व्यय – 2000

योग – 22350

3. सेमिनार हेतु व्यय निर्धारण

उदाहरणतः 35 के अनुसार

वर्किंग भोजन	=	35 x रू0 50	= 1750
आवास	=	35 x रू0 150	= 5250
स्टेशनरी	=	35 x रू0 70	= 2450
टी0ए0	=	35 x रू0 200	= 7000
वाहन किराया	=		= 1750
स्दर्भदाता का मानदेय	=	रू0 300 x 4	= 1200
अन्य व्यय	=	2500 x 2	= 5000
			= 23350

4. प्रशिक्षण हेतु व्यय निर्धारण

वर्किंग भोजन	=	35 x रू0 50	= 1750
आवास	=	35 x रू0 150	= 5250
स्टेशनरी	=	35 x रू0 100	= 3500
टी0ए0	=	35 x रू0 200	= 7000
वाहन किराया	=		= 700
स्दर्भदाता का मानदेय	=	रू0 200 x 4	= 800

अन्य व्यय = = 2000

योग = 21000

डी0पी0ओ0 के लिए इक्यूपमैंट (रू0 हजार में)

Coloured TV	=	50.00
D.V.D. - 7	=	70.00
Video Camera	=	50.00
Digital Cemera	=	28.00
Slide Projector	=	30.00
Amplifier System with chordless	=	50.00
Cooler (3)	=	45.00
Casettes of CDS	=	30.00
O.H.P.	=	50.00

वर्ष 2004-05
की कार्ययोजना
एवं
बजट

2004–05 की कार्य योजना में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के लिए 78 पेयजल सुविधा का प्रस्ताव किया गया है। इसका निर्माण ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।

5. **चाहरदीवारी :** वर्ष 2004–05 की कार्ययोजना व बजट में 70 प्राथमिक विद्यालयों तथा 20 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी का प्रस्ताव किया गया है। इसका निर्माण ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।

6. **ब्लाक संसाधन केन्द्र :** जनपद के 02 ब्लाक संसाधन केन्द्र 2002–03 में स्वीकृत हुए है तथा 02 ब्लाक संसाधन केन्द्र 2003–04 में स्वीकृत किये गये है। वर्ष 2004–05 में 01 ब्लाक संसाधन केन्द्र का प्रस्ताव रखा गया है।

7. **स्कुल संसाधन केन्द्र :** जनपद में वर्ष 2002–03 तथा 2003–04 में 17 संकुल संसाधन केन्द्र स्वीकृत किये गये है। तथा वर्ष 2004–05 में 17 संकुल संसाधन केन्द्र निर्माण का प्रस्ताव किया गया है।

8. **मरम्मत व रखरखाव :** सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत 831 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, 210 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 50 राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के लिए 5 हजार प्रति विद्यालय की दूर से मरम्मत एवं रखरखाव हेतु धनराशि का प्रस्ताव वर्ष 2004–05 की कार्ययोजना में किया जायेगा।

9. **विद्यालय विकास अनुदान :** जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत वर्ष 2004–05 की वार्षिक कार्ययोजना के अर्न्तगत 1228 विद्यालयों राजकीय व सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेजों सहित में रू0 2000.00 रू0 प्रति विद्यालय की दर से विद्यालय विकास अनुदान का प्रस्ताव किया गया है।

सारणी 5.1 के अनुसार

अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत 2004–05 की कार्य योजना बजट में जनपद देहरादून के अध्यापकों का 20 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है जिसमें 10 दिवसीय सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अध्यापक की सामुदायिक सहभागिता दक्षता हेतु 02 (दो दिन), विद्यालय सौन्दर्यीकरण के स्वरूप बनाये रखने एवं पर्यावरण चेतना हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण, सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता, कार्यक्रम हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण जनपद के विकलांग विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्व रोजगार एवं दैनिक कार्यो के निस्तारण

हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण तथा लिग भेद संवेदीकरण हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण, कार्यक्रम की योजना प्रस्तावित की गयी है, विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण पैकेज निर्माण कार्य जिला परियोजना द्वारा किया जायेगा।

शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण : सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत वर्ष 2004–05 में नियुक्त 47 शिक्षा मित्रों की 30 (तीस) दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित की गयी है"।

अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण : जपपद में कार्यरत 50 अप्रशिक्षित अध्यापको की कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु सन् 2004–05 की कार्ययोजना में (60 दिन) साठ दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित किया गया है।

शिक्षा मित्रों के लिए रिफ्रेशर कोर्स : जनपद में कार्यरत 116 शिक्षा मित्रों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत वर्ष 2004 –05 में 15 दिन (पन्द्रह दिवसीय) रिफ्रेशर कोर्स का प्रस्ताव रखा गया है।

ग्राम शिक्षा समिति व विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण छात्रों के नामांकन, ठहराव बालिका शिक्षा गुणवत्ता संर्वधन विद्यालय सौन्दर्यीकरण तथा निर्माण कार्यो में सामुदायिक भागीदारी को अधिकाधिक रूप में सुनिश्चित करने तथा सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत किये जाने वाले विभिन्न कार्यो की जानकारी व समुदाय की विद्यालय के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए जनपद के 1262 ग्राम शिक्षा समिति व विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित किया गया है।

निर्माण कार्यो में गुणवत्ता बढ़ाने व निरीक्षण हेतु JE व AE को दिशा निदेर्शन हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण का प्रस्ताव रखा गया है।

3. जनपद के सभी ब्लाक समन्वयक सहायक ब्लाक समन्वयक संकुल समन्वयक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के कार्यक्षमता वृद्धि हेतु चार दिवसीय प्रशिक्षण का प्रस्ताव रखा गया है।
4. **नवाचारी शिक्षा :** इसके अर्न्तगत इस वर्ष 04 विद्यालयों में भवन की स्थिति, छात्राओं की संख्यानुसार कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। यह शिक्षा कन्या पूर्व माध्यमिक आराघर नगरक्षेत्र, देहरादून के अलावा उन विकासखण्डों के कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जारी होगी जहाँ पर विगत वर्ष (2003–04) में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ नहीं की गयी है। ये विकासखण्ड इस प्रकार हैं– कालसी, नगरक्षेत्र मंसूरी, नगरक्षेत्र दे0दून एवं सहसपुर।

(ब) जनपद की 100 आँगनबाड़ी केन्द्रों का समन्वयक ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के रूप में किया जाना प्रस्तावित है।

(स) जनपद ने कुंजापुरी पैटर्न पर जनपद के 10–10 प्रारंभिक विद्यालयों में नवाचारी शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है।

(द) जनपद के दो विकासखण्ड़ो में एम0सी0डी0ए0 के अर्न्तगत कार्ययोजना प्रस्तावित है।

(इ) जनपद के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए खेलकूद व शैक्षिक गतिविधियों के कार्यक्रम की योजना प्रस्तावित है।

अध्यापक अनुदान : इस वर्ष में 3591 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अध्यापकों हेतु अध्यापक अनुदान प्रस्तावित। सारणी के अनुसार।

शिक्षा गारण्टी योजना : इसके अर्न्तगत प्राथमिक स्तर पर 1000 बच्चों तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 920 बच्चें को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

638 बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर तथा 1033 बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा की सुविधा को स्वंय सेवी सम्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा ये केन्द्र अध्याय दो पर सारणी न0 28 के अनुसार खोले जाने प्रस्तावित हैं।

जनपद के 49702 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 74304 प्राथमिक विद्यालय के बच्चों अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का विवरण प्रस्तावित है। सारणी न0 5.2 में छात्र / छात्राओं का विवरण किया गया है।

समेकित शिक्षा के अर्न्तगत सारणी न0 5.5 के अनुसार जनपद के 1230 बच्चों के लिए विकलांगता शिविर, उपकरण वितरण, इत्यादि सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

एन0पी0ई0जी0एल0: जनपद में शैक्षिक रूप से पिछड़े हुये दो विकासखण्ड़ो कालसी एवं चकराता में एन0पी0ई0जी0एल0 योजना प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। यह योजना सर्व शिक्षा अभियान के अतिरिक्त अंग के रूप में क्रियान्वित होगी, जिसके अर्न्तगत विकासखण्ड चकराता में 18 एवं कालसी में 17 मॉड्ल कलस्टर विद्यालयों की स्थापना की जायेगी।

अध्यापकों का वेतन निर्धारण : इस वर्ष सारणी 5.4 के अनुसार नव निर्मित प्राथमिक एवं 7 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए वेतन कर निर्धारण प्रस्तावित है।

अधिशासी अभियन्ता (जे0ई0) हेतु 02–03 03–04 तथा 04 – 05 के कुल निर्माण कार्य का एक प्रतिशत, मानदेय दिया जाना प्रस्तावित है।

सारणी 5.1

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	परिषदीय/राजकीय विद्यालय संख्या	सहायता प्राप्त विद्यालयों की संख्या
1	प्राथमिक	831 + 32 = 863	–
2	उच्च प्राथमिक	210 + 26 = 236	45
3	हाईस्कूल	36	17
4	इण्टर	44	43
	योग	**1179**	**105**

टिप्पणी : 22 ऐसी माध्यमिक विद्यालय हैं जिसमें 6 से 8 की कक्षाऐं संचालित नहीं है। विद्यालय अनुदान केवल 1262 विद्यालयों में ही वितरित होगा।

विद्यालय मरम्मत अनुदान : अनुदान जनपद के सहायता प्राप्त विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों को दी जायेगी।

अध्यापक अनुदान का विवरण :

विद्यालय	**अध्यापकों की संख्या**
प्राथमिक विद्यालय	1988
उच्च प्राप्त विद्यालय	1024
हाईस्कूल /इण्टर	354
उच्च प्राथमिक सहायता	225

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण विवरण : सारणी 5.2

प्राथमिक स्तर

कक्षा	**बालिकाओं की संख्या**	**अनुसूचित जाति छात्र संख्या**	**अनुसूचित जनजाति छात्र संख्या**	**योग**
प्राथमिक स्तर	52038	18683	8586	79307
उच्च प्राथमिक स्तर	36042	8837	4823	49702

अध्यापकों का विवरण (वेतन हेतु) सारणी 5.4

अध्यापकों का विवरण	गत वर्ष तक		2004–05	
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
पूर्णकालिक	32	26	15	63
शिक्षामित्र	32	–	15	–
अतिरिक्त	–	28	–	24
योग	**64**	**54**	**30**	**87**

कुल अध्यापकों का विवरण टी0एल0एम0 हेतु (5.5)

क्र0सं0	परिषदीय	उच्च प्राथमिक विद्यालय		हाईस्कूल	इण्टर	ई0जी0एस0 के लिए	शिक्षा मित्र (प्राथमिक हेतु)	योग
		परिषदीय	मान्यता प्राप्त					
1	1857	1083	225	159	261	61	183	3829

सारणी 5.6

स्कूल ग्रान्ट के लिए

क्र0सं0	प्राथमिक परिषदीय	उच्च प्राथमिक विद्यालय		हाईस्कूल		इण्टर		योग
		परिषदीय	मान्यता प्राप्त	राजकीय	मान्यता प्राप्त	राजकीय	मान्यता प्राप्त	
1	889	273	45	36	17	44	43	1347

प्र0 वि0 की संख्या = 831 + 58 नये स्वीकृत विद्यायलयों की संख्या = 889

उच्च प्रा0 की संख्या = 210 + 53 नये उ0 प्रा0 वि0 की संख्या = 273

सारणी 5.7

मरम्मत के लिए सारणी :

प्राथमिक परिषदीय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल	इण्टर	योग
889	273	36	44	1242

सारिणी 5.8

प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता

क0स	विकासखण्ड नगर क्षेत्र	बी0आर0सी	सी0आर0सी	अतिरिक्त कक्ष	चाहरदीवारी	भवन की आवश्यकता (पुनःनिर्माण)		पेयजल की आवश्यकता		शौचालय की आवश्यकता	
		2004– 05 प्रस्तावित	2004– 05 प्रस्तावित	2004– 05 प्रस्तावित	2004– 05 प्रस्तावित	2001–10 प्रस्तावित	2004– 05 प्रस्तावित	2001–10 प्रस्तावित	2004– 05 प्रस्तावित	2001–10 प्रस्तावित	2004– 05 प्रस्तावित
1	चकराता	00	02	12	10	46	04	106	09	85	06
2	कालसी	00	02	12	10	50	04	101	09	88	06
3	विकासनगर	01	01	13	10	22	04	48	09	42	06
4	सहसपुर	00	01	13	10	25	04	54	09	55	06
5	रायपुर	01	01	12	10	40	01	47	09	39	06
6	डोईवाला	00	01	12	10	22	01	52	08	55	06
7	न0क्षे0दे0दून	00	01	03	04	10		06	03	06	02
8	न0क्षे0मसूरी	00	00	02	03	2		04	02	12	01
9	न0क्षे0 ऋषिकेश	00	01	02	03	4		04	02	10	01
	योग	02	10	80	70	221	20	422	60	392	40

सारिणी 5.9

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता

क्र0स	विकासखण्ड नगर क्षेत्र	अतिरिक्त कक्ष		चाहरदीवारी		भवन की आवश्यकता (पुनःनिर्माण)		पेयजल की आवश्यकता		शौचालय की आवश्यकता	
		2001–10 प्रस्तावित	2004–05 प्रस्तावित	2001–10 प्रस्तावित	2004–05 प्रस्तावित	2001–10 प्रस्तावित	2004–05 प्रस्तावित	2001–10 प्रस्तावित	2004–05 प्रस्तावित	2001–10 प्रस्तावित	2004–05 प्रस्तावित
1	चकराता	03	05	24	04	14	01	12	03	21	03
2	कालसी	02	05	16	03	12	01	10	03	22	03
3	विकासनगर	09	05	25	04	4	01	12	03	11	03
4	सहसपुर	10	05	29	03	9	01	11	03	8	03
5	रायपुर	09	04	16	03	10	01	8	02	19	03
6	डोईवाला	07	04	26	04	10	01	7	02	7	03
7	हा0/इ0 से	.	.	.	.	सम्बद्ध उ0प्रा0वि0	0	12	00	37	00
7	न0क्षे0दे0दून	03	01	01	00	1	0	3	01	22	00
8	न0क्षे0मसूरी	.	01	.	.	0	0	0	00	1	00
9	न0क्षे0ऋषिकेश	.	00	.	.	0	0	0	01	1	00
	योग	43	30	137	20	60	06	75	18	149	18

सारिणी 5.10

वर्ष	अनु0जाति बालक		अनु0जनजाति बालक		सभी वर्ग की बालिकाएँ		कुल योग	
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
2001–02	14520	4814	7948	2795	59083	28812	81551	36421
2002–03	14844	4921	8125	2858	60401	29454	83370	37233
2003–04	15175	5031	8306	2921	61748	30111	85229	38063
2004–05	15513	5143	8491	2986	63125	30782	87129	38911
2005–06	15859	5258	8680	3052	64533	31468	89072	39778
2006–07	16213	5375	8874	3120	65971	321670	91058	40665

सोत्र–विभागीय

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद के परिषदीय, राजकीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालकों तथा समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जायेगा। पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था हेतु रू0 75/ – प्रति बच्चा के हिसाब से प्रस्ताव किया गया है।

वर्ष 2003–04 में प्राथमिक स्तर के 85229 बच्चों तथा उच्च प्राथमिक स्तर के 38063 बच्चों के लिये निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण के लिये बजट का प्रस्ताव किया गया है।

वेतन निर्धारण हेतु : पिछले वर्ष हेतु : नये उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए: वर्ष 2003–04 में 57 स्वीकृत विद्यालयों के लिए अध्यापकों की संख्या – 57 x 2 = 114 वर्ष 2002–03 में 6 नये 50 प्राथमिक विद्यालयों हेतु अध्यापकों की संख्या 6 x 3 = 18

कुल अध्यापकों की संख्या – 114 + 18 = 132

वर्ष 2002–03 में स्वीकृत अतिरिक्त अध्यापकों की संख्या = 24

वर्ष 2003–04 में स्वीकृत दशम वित्त आयोग के लिए = 28

52

वर्तमान वर्ष हेतु अध्यापकों का वेतनमान हेतु अध्यापकों की संख्या

पूर्व में जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय दो पद की दर से कुल = 114

स्वीकृत थे, में एक अतिरिक्त अध्यापक की संख्या = 57

वर्षिक बजट में मेजेजमेंट धनराशि में परियोजना कार्यालय के समस्त स्टाफ का जे0ई0 का मानदेय, वेतन, फर्नीचर, टी0ए, कन्टिन्जेंसी, ए0डबलू0पी0बी0 (बीस हजार रू0) जे0ई0 का मानदेय आदि। मदों के लिए धनराशि सम्मिलित की गयी है। इस मद में आने वाले मदों का विवरण इस प्रकार है।

1. Salary of D.P.O Staff - 1280 thousands Rs.
2. Furniture + Equipment - 50+50= 100 thousand Rs.
3. T.A - 300 thousands
4. Contingency - 300 thousands
5. Hirring - 300 thousands
6. Capacity building of DPO 200 thousands
7. Meeting - 200 thousands
8. AWPB - 20 thousands
9. AMC + Publicity Compnigh + meeting & Seminar 100+100+100=300 thousands etc.
10. Honararium to J.E - 1000 thousands

कम्यूनीटी मोबीलाईजेशन :–

(अ) ग्राम शिक्षा समिति / विद्यालय प्रबन्धन समिति प्रशिक्षण।

1 महिला समूहों का प्रशिक्षण।

1 अध्यापकों की दक्षता वृद्धि प्रशिक्षण।

2 शैक्षिक फिल्मों का प्रदर्शन

3 बाल मेलों का आयोजन।

4 विज्ञान मेलों का आयोजन।

5 प्राकृतिक पवों हेतु मेलों की जानकारी हेतु कार्यशाला सी0आर0सी0 / बी0आर0सी0

6 बेरोजगार नवयुवकों हेतु प्रेरक कार्यशाला।

7 शिल्पी मेला।

8 स्वास्थ्य मेला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।

टीकाकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला।

9 जन जागरूकता अभियान कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हेतु कार्यशाला सी0आर0सी0 / बी0आर0सी0

10 ग्राम्य संस्कृति समारोह।

11 डी0आर0जी0, बी0आर0सी0, सी0आर0सी0 का गठन एवं प्रशिक्षण। (MONITORING का प्रशिक्षण)।

(ब) Girl's Education :

1. लिंग–विभेदीकरण के प्रति सकारात्मक सोच (कार्यशाला)
2. बालिका मनोविज्ञान कार्यशाला
3. विश्व की आदर्श महिलाओं के जीवन वृत पर पुस्तक का निर्माण
4. ग्रामीण महिलाओं के दिनचर्या पर सर्वेक्षण कार्यक्रम
5. महिलाओं के बेहतर जीवन हेतु प्रयास – कार्यशाला
6. बालिकाओं हेतु आकर्षक उपयोगी गणवेश की आवश्यकता – कार्यशाला
7. बालिका स्वास्थ्य पर कार्यशाला
8. कम्प्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण
9. घरेलू कार्य के साथ शिक्षा समन्वय कैसे – कार्यशाला
10. बालिकाओं हेतु प्रेरित प्रंसग युक्त कठिनाइयों की उपयोगिता पर कार्यशाला
11. बालिकाओं हेतु स्वरोजगार की संभावनाएं – कार्यशाला
12. बालिकाओं हेतु आवश्यक व्यायाम एवं योग.....
13. देहरादून की बालिकाओं को शांति कुंज का भ्रमण कार्यक्रम
14. स्वः सुरक्षा हेतु जुडो–कराटे प्रशिक्षण
15. गीत एवं कहानी निर्माण हेतु उत्प्रेण कार्यशाला
16. विभिन्न समाजोपयोगी उत्पादन कार्यशाला (सिलाई कढ़ाई, विद्युत, आर्ट आदि)

प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. स्टेज एवं ड्रामा प्रबन्धक कार्यशाला
2. कार्यक्रमों का संचालन गतिविधियों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण/विभिन्न विभागो के कार्यो की सामान्य जानकारी
3. प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण

4. स्कूल प्रबन्धन एवं सौन्दर्यीकरण प्रशिक्षण
5. शैक्षिक भ्रमण – एफ. आर. आई., शान्ति कुंज एवं काडक स्कूल
6. सेवानिवृत अध्यापकों का सम्मान एवं उत्तर सेवा प्रेरणा प्रशिक्षण/कार्यशाला
7. वृक्षारोपण एवं पौधशाला निर्माण प्रशिक्षण
8. झंडारोहण/राष्ट्रीयगान/राष्ट्रीय गीत/शपथ कार्यशाला
9. सुलेख कार्यशाला
10. जीव–जन्तुओं पेड पौधो के कट आउट बनाने हेतु कार्यशाला/प्रशिक्षण
11. वैज्ञानिक प्रयोग पर आधारित कार्यशाला
12. फिल्म निर्माण
13. बालिका शिक्षा पर डेकूमेन्ट्री

4. समेकित शिक्षा/निर्माण कार्य/वैकल्पिक शिक्षा

1. विकलांग बच्चे का व्यक्तिगत परिचय कार्यशाला।
2. विकलांग बच्चों के अभिभावकों का प्रशिक्षण
3. विकलांग बच्चो हेतु परिवेश प्रबन्धन कार्यशाला।
4. ई सी जी केन्द्रों में शिक्षको का प्रशिक्षण
5. झुग्गी झोपडियों में रहने वाले बच्चों हेतु मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरण कार्यशाला
6. गरीब बच्चों के स्वास्थ्य हेतु आवश्यक स्वास्थ्य रक्षा प्रशिक्षण
7. असेवित बस्तियों के बच्चों हेतु स्वरोजगार शिक्षा व्यवस्था कार्यशाला
8. वैकल्पिक शिक्षा के सामान पर पुस्तक प्रकाशन
9. विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षक का चयन एवं प्रशिक्षण (20 दिन)
10. विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा के अन्तर्गत ब्लाक स्तरीय **(समेकित शिक्षा संसाधन केन्द्र)** की स्थापना।

एन0पी0ई0जी0एल0
कार्य योजना

NPEGEL कार्ययोजना (वर्ष 2004–05)

एन.पी.ई.जी.एल कार्ययोजना के अर्न्तगत चकराता में 18 एवं कालसी में 17 मॉड्ल कलस्टर विद्यालयों की स्थापना का प्रावधान प्रस्तावित है।

- प्रत्येक कलस्टर विद्यालय में दो लाख प्रति विद्यालय धनराशि के अर्न्तगत निर्माण कार्य किया जायेगा।

  प्रत्येक कलस्टर विद्यालय में आवश्यकतानुसार दो इन्स्ट्रक्टर, की व्यवस्था का प्रावधान प्रस्तावित है। ये इन्स्ट्रक्टर छात्राओं के अधिगम में आने वाली समस्याओं का निराकरण करेंगे। इनकी व्यवस्था का प्रावधान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।

- प्रत्येक कलस्टर विद्यालय में टी.एल.ई. की सुविधा को उपलब्ध करवाया जायेगा। इन कलस्टर विद्यालयों में लाईब्रेरी, खेल सुविधा भी उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

- छात्राओं हेतु एस.यू.पी.डबलू शिक्षा प्रदान की जायेगीए जिसके अर्न्तगत पेपर मैसी बनाना, शिल्प (स्थानीय) निर्माण, बुक बाइण्डिंग सिलाई–कढ़ाई, आर्ट बिजली के स्विच बोर्ड बनाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

- इन कलस्टर विद्यालयों में श्रव्य–दृष्टि सामग्री भी उपलब्ध करवायी जायेगी।

- छात्राओं के नामांकन, ठहराव एवं संप्राप्ति में वृद्धि हेतु विभिन्न पोस्टर, मैंगजीन कार्यशाला आदि का निर्माण, जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से किया जायेगा। साथ ही इसके अर्न्तगत सर्वेक्षण का कार्य करके बालिकाओं की समस्या का निदानात्मक हल ढूंढा जायेगा।

- प्रत्येक संकुल में बहुत अच्छे कार्य करने वाले शिक्षक को पुरस्कृत किया जायेगा। यह पुरस्कार दो भागों में दिया जायेगा। पहला व्यक्तिगत एवं दूसरा संस्थागत। व्यक्तिगत पुरस्कार के रूप में अध्यापक को 500 रू0 तथा संस्था को 4500 रू0 प्रदान किये जायेंगे। संस्थाध्यक्ष इस धनराशि को बालिका शिक्षा के कार्यक्रमों पर व्यय करने हेतु अधिकृत होगी।

- **छात्राओं का मूल्यांकन :** प्रत्येक तीन महीने में छात्राओं का शैक्षणिक एवं पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में मूल्यांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रगति पत्र छपवाये जायेंगे, प्रश्न पत्र निर्माण विकासखण्ड स्तर पर तथा इसका मूल्यांकन भी विकासखण्ड स्तर पर किया जायेगा तथा अनुश्रवण जिला परियोजना डायट, विकासखण्ड अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

- क्लस्टरों में आवश्यकतानुसार E.C.C.E केन्द्र की स्थापना का प्रावधान प्रस्तावित है।

- लिंग भेद संवेदीकरण कार्यशालाओं, प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा।

- ममता ग्रुप की स्थापना की जायेगी।

नोट : बजट प्रारूप में दिये गये किसी भी मद में, क्षेत्र एवं तात्कालिक आवश्यकता को आधार पर किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए जिला परियोजना स्वतंत्र होगी।

शैक्षिक नवाचार (क)

शैक्षिक नवाचार (क)

(शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवमं नवाचार शिक्षा)

E.G.S. / A.I.E. योजना

(8.1) शिक्षा गारंटी केन्द्र (ई.जी.एस.)

इस योजना के अर्न्तगत **6–8** वय वर्ग के बच्चों को पंजीकृत कराया जायेगा जो ग्राम/बस्ती/मजरा/मोहल्ले प्राथमिक विद्यालय से **1** कि0मी0 की दूरी पर हैं तथा उस बस्ती में **20** बच्चे उपलब्ध हो, वहाँ पर इस प्रकार के केन्द्र खोले जायेगें। इन केन्द्रों के लिये अनुदेशक प्रति केन्द्र प्रस्तावित है।
माइक्रोप्लानिंग के आधार पर विकासखण्डवार ई0जी0एस0 खोलने का प्रस्ताव किया गया है।

(8.2) वैकल्पिक एवम् नवाचार शिक्षा (ए.आई.ई.)

यह कार्यक्रम **9–14** वयवर्ग के बच्चों के लिये है, जो किन्ही कारणों से न तो स्कूल गये है अथवा ड्रापआउट हो गये है। ऐसे सुविधा वंचित या अभाव ग्रस्त बच्चों के लिऐ वैकल्पिक एंव नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जिस बस्ती मजरे में बच्चे उपलब्ध होगें वहाँ ए.आई.ई. केन्द्र खोले जायेगें। ए.आई.ई. केन्द्र दो प्रकार के होगें।

1. प्राथमिक स्तर
2. उच्च प्राथमिक स्तर

प्राथमिक स्तर के केन्द्र पर एक अनुदेशक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्र पर दो अनुदेशको की व्यवस्था की जायेगी।

(8.3) माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नियोजन

1. अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति।
2. जिन बस्तियों में बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत कम है।
3. जिन क्षत्रों में ड्राप आउट के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो
4. बाल श्रमिक घुमन्तू , वनगूजर, बंजारे एवम् विकलांग बच्चों की संख्या अधिक हो।

शिक्षा गारण्टी योजना

जनपद देहरादून की बस्तियों में आज भी प्राथमिक विद्यालय 1 कि0मी0 से अधिक की दूरी में हैं तथा कई जगह दूरी के साथ–साथ ही नाले/नदी आदि प्राकृतिक अवरोध भी हैं। नगर क्षेत्र के विस्तार के कारण सरकारी क्षेत्र के विद्यालय भी बच्चों की पहुँच से दूर हो रहे हैं। इन स्थितियों के चलते ऐसी ग्रामीण व शहरी मलिन बस्तियों में शिक्षा गारण्टी विद्यालय चलाए जाने आवश्यक हैं।

वर्तमान में 39 शिक्षा गारण्टी विद्यालय स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित है। सत्र 2004–05 मे 6–11 वय वर्ग के 1204, 11–14 वय वर्ग के 1404 कुल 2608 बच्चों ग्रामीण व 2064 नगर क्षेत्र के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा गारण्टी विद्यालय प्रस्तावित किए जा रहे हैं। इनमें से 50 प्रतिशत् या अधिक विद्यालय स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किए जाऐंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर भी नगरक्षेत्र के 334 व ग्रामीण क्षेत्र में 96 बच्चों हेतु शिक्षा गारण्टी के चलाये जाने प्रस्तावित हैं।

वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा

नगरीय विकास व अधिसंख्य जनसंख्या का नगरों की ओर पलायन से नगरक्षेत्र विशेषतः राजधानी क्षेत्र देहरादून में जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। सरकारी मान्यता प्राप्त गैर सरकारी व अमान्य स्कूलों की एक बड़ी संख्या के बावजूद विद्यालयी सुविधाऐं अपर्याप्त हैं। देहरादून में 76 शहरी मलिन बस्तियाँ हैं। इसके अतिरिक्त रातों रात आबाद हो रही बस्तियों की संख्या भी कम नहीं है। बजरी खनन, फेरी, मजदूरी, होटल–ढ़ाबों, बकशार्प–कारखानों में काम तलाश में आने वाले परिवारों के लिए शिक्षा व्यवस्था अत्यन्त कठिन प्रतीत हो रही है। इसके अतिरिक्त ऐसे घुमन्तु परिवार भी हैं जो मेले में झूले आदि लगाते हैं। ये परिवार 6–8 माह तक एक स्थान में रहते हैं। अगली बार–बार छह माह बाद जरूरी नहीं रहता कि ये परिवार इसी स्थान पर वापस लौटें। ऐसी नगरीय आबादी के बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में लाने से पूर्व परामर्श, जागरूकता अभियान, स्वच्छता व स्वास्थ्य परामर्श आदि दिए जाने की भी आवश्यकता हैं। शहरी मलिन बस्तियों के 861 बच्चों के लिए गैर–आवासीय अल्पकालिक शिविर, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र चलाए जाने का प्रस्ताव हैं।

वर्तमान में बच्चों के लिए 14 अल्पकालीन गैर आवासीय शिविर, बालिकाओं के लिए एक अल्पकालीन आवासीय शिविर, 52 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित किए जाने का प्रस्ताव हैं। जिन्हें बाद में शिक्षा गारंटी विद्यालय या औपचारिक विद्यालय से जोड़ा जाएगा। वैकल्पिक योजनाओं के संचालन में स्वंयसेवी संस्थाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

एक वर्षीय योजना के अर्न्तगत वर्ष 2003–04 में इस जनपद के असेवित बस्तियाँ/मलिन बस्तियों एवम् शाला त्यागी छात्र छात्राओं के लिऐ शिक्षा गांरटी केन्द्र तथा वैकल्पिक एवम् नवाचार शिक्षा केन्द्र प्रस्तावित किये गयें है। कालम. 1 में 6 – 14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिऐ ई0जी0एस0 केन्द्र प्रस्तावित किये गये है। तथा कालम न0 2 में 6 से 14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चो के लिए ए0 आई0 ई0 केन्द्र प्रस्तावित किय गयें है।

(8.5) शिक्षा गारंटी केन्द्रों का संचालन –

ई.जी.एस. का संचालन का समय प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक होगा। ए.आई.ई. केन्द्रों का संचालन का समय प्रतिदिन चार घंटे का होगा । ये सभी केन्द्र दिन में ही ई0जी0एस0 तथा प्राथमिक विद्यालयों के समयनुसार ही संचालित किये जायेगें।

(8.6) अनुदेशकों का चयन

अनुदेशकों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा । अनुदेशक उसी स्थान व समुदाय का होगा जहाँ पर ई.जी.एस एवम् ए.आई.ई,ई0सी0सी0ई0 तथा बाल मित्र केन्द्र स्थापित होना है। ई0सी0सी0ई0 तथा बाल मित्र केन्द्र में क्रमशः महिला कार्यकत्री तथा महिला सहायिका की व्यवस्था की जाएगी। अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी तथा उम्र 18 वर्ष अनिवार्य है। महिलाओं को वीरयता दी जाएगी। चयन का आधार हाईस्कूल के प्राप्तांको का प्रतिशत होगा। अनुदेशक को आमंत्रण पत्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जाएगा । अनुदेशक का कार्य संतोष जनक न होने पर आमंत्रण पत्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निरस्त किया जाएगा । उसके स्थान पर समिति दूसरे व्यक्ति को आमंत्रण पत्र ग्राम शिक्षा समिति दूसरे व्यक्ति को आमंत्रण पत्र निर्गत करेगी ।ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

नगर क्षेत्र के ई.जी.एस. एवम् ए.आई.ई केन्द्रों पर अनुदेशेकों का चयन शिक्षा अधीक्षक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सभासद, वरिष्ठ प्रधानाध्यापक की समिति द्वारा की जायेगी। ई.जी.एस. एवम् ए.आई.ई केन्द्र मकतब एवम् मदरसों में खोले जायेगें। मकतब एवम् मदरसों के अनुदेशक मौलवी एवम् मुस्लिम समुदाय का ही सदस्य होगा। उच्च प्राथमिक केन्द्र हेतु अनुदेशक की न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट होगी तथा उम्र 21 वर्ष हो। महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।

(8.7) अनुदेशकों का प्रशिक्षण

अनुदेशकों का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान डायट में सम्पन्न होगा। यह प्रशिक्षण तीस दिन का होगा एवम् आवासीय होगा ।अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट के प्रवक्ताओं द्वारा दिया जायेगा। प्रशिक्षण में अनुदेशकों को मानदेय के रूप में कोई भी धनराशि नहीं दी जायेगी। एस0सी0ई0आर0टी0 तथा राज्य परियोजना द्वारा प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जाएगा तथा मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जाएगें।

8.8 अनुदेशकों का मानदेय विवरण :–

अनुदेशको का मानदेय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रिम रूप से एक हजार रूपये प्रति अनुदेशक की दर से 6 माह का मानदेय ग्राम शिक्षा समितियों के संयुक्त खाते में प्रेषित कर दिया जायेगा। जिसे अनुदेशक पूरे माह केन्द्र पर कार्य करने के पश्चात् ग्राम प्रधान एंव सचिव चैक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा।

नगर क्षेत्र के अनुदेशकों का मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक एंव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप दिया जायेगा। अनुदेशक का कार्य संतोषजनक होने पर ही शिक्षा अधीक्षक भुगतान की कार्यवाही करेगे। यह धनराशि वरिष्ठ प्रधानाध्यापक एंव सभासद के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। अनुदेशकों के मानदेय का चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(8.9) पर्यवेक्षण :

ई.जी. एस. एंव ए. आई. ई. केन्द्रो का पर्यवेक्षण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उपविद्यालय निरीक्षक बी0आर0.सी0 समन्वयक, संकुल समन्वयक तथा ग्राम शिक्षा समितियों के द्वारा किया जायेगा।

नगर क्षेत्र में शिक्षा अधीक्षक सहायक शिक्षा, अधीक्षक एन0 आर0 सी0 समन्वयक, संकुल समन्वयक एंव सभासद द्वारा किया जायेगा।अनुदेशकों की मासिक बैठको का आयोजन सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रतिउपविद्यालय निरिक्षक द्वारा की जायेगी। नगर क्षेत्र की मासिक बैठके शिक्षा अधीक्षक द्वारा सम्पन्न की जायेगी। अनुदेशकों के मासिक बैठकों में जनपद स्तरीय अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपबेसिक शिक्षा अधिकारी अनुश्रवण हेतु प्रतिभाग करेगे। इन केन्द्रो का पर्यवेक्षण प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों के
प्रधानाध्यापक करते रहेगें तथा शिक्षण कार्य की प्रगति अपने अधिकारियों को प्रतिमाह देते रहेगे। ग्राम शिक्षा समिति इन केन्द्रो के संचालन पर नजर रखेगी और समय समय पर अपने सुझाव अनुदेशकों को देगी। डायट के अधिकारी भी इन केन्द्रो पर समय समय पर अनुश्रवण हेतु जायेगे। पर्यवेक्षण का कार्य सभी अधिकारी से एक रोस्टर प्रणाली द्वारा किया जायेगा। जिससे सभी केन्द्रो का पर्यवेक्षण नियमित होता रहे।

(8.10) सहायक शिक्षण सामग्री

ई0 जी0 एस0/ए0 आई0 ई0 केन्द्रो की साज सज्जा एंव शिक्षण सामग्री के लिए धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खातों मे भेज दी जायेगी। ये समितियॉ अपनी आवश्यकतानुसार उपरोक्त सामग्री नियमानुसार बाजार मूल्य पर क्रय करके सीधे अनुदेशकों को उपलब्ध करायेगें। केन्द्र पर पढ़ने वाले बच्चों को पाठ्यपुस्तकें भी ग्राम शिक्षा समिति क्रय करके अनुदेशकों के माध्यम से बच्चो को उपलब्ध करायेगी। यह पाठ्यपुस्तके वहीं होगी जो प्राथमिक विद्यालय में पूर्व से ही चल रही है।

(8.11) छात्र/छात्राओं का मूल्याकंन

शिक्षा गारंटी योजना एंव वैकिल्पक शिक्षा केन्द्रो पर पढ़ने वाले बच्चों का यूनिट मूल्याकंन प्रतिमाह अनुदेशकों द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जायेगा। अनुदेशक द्वारा बच्चे का तिमाही छमाही तथा वार्षिक मूल्याकंन मौखिक तथा लिखित परीक्षा

के आधार पर किया जायेगा। अनुदेशक के शिक्षण कार्य का मूल्याकंन सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी वी0 आर0 सी0 समन्वयक एंव सकुल प्रभारियों के द्वारा की जायेगी।

(8.12) <u>प्रबन्ध लागत :</u>

ई0 जी0 एस0/ए0 आई0 ई0 केन्द्रो की अधिकतम लागत में **6** प्रतिशत धनराशि राज्य एंव जिला/ विकास खण्ड स्तर पर प्रशासनिक प्रबन्धन पर होने वाला व्यय में सम्मिलित है। विकासखण्ड स्तर पर प्रबन्धन की लागत निम्नवत होगी।

80–100 केन्द्रों के मध्य – 2.50 लाख रूपए प्रतिवर्ष

50–80 केन्द्रों के मध्य – 2 लाख रूपए प्रतिवर्ष

25–50 केन्द्रों के मध्य – 1.50 लाख रूपए प्रतिवर्ष

25 से कम केन्द्रों के मध्य – 100 रूपए प्रति छात्र प्रतिवर्ष

शैक्षिक
नवाचार
(ख)

शैक्षिक नवाचार (ख)

एस0यू0पी0डबलू0 फार गर्ल्स :

समाजोपयोगी उत्पादक कार्य/कार्य अनुभव

भूमिका :

शिक्षा को सभी स्तरों पर सामाजिक परिवर्तनों का एक शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। उत्तरांचल की शिक्षा नीति, शिक्षा को संस्कृति व पर्यावरण, के साथ जोड़ने हेतु विशेष बल, बच्चों में निहित प्रतिभा को खोजना एवं उसको रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करना है। इसकी प्राप्ति सीखने–सिखाने की प्रक्रिया एवं पाठयक्रम के पुर्नअनुस्थापन तथा अध्यापकों को विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की अभिप्रेरणा द्वारा हो सकती है।

आज हम न केवल अपनी प्राचीन धरोहर खो रहे हैं बल्कि सामाजिक संरचना के आवश्यक तत्वों का भी ह्रास हो रहा है, जो समाज को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। भारत वर्ष की विश्व में विशिष्ट पहचान यहाँ की प्राचीन वैदिक संस्कृति से है। आज यहाँ लाखों विदेशी पर्यटक यहाँ की पारम्परिक जीवन शैली, योग, आयुर्वेद व सर्वश्रेष्ठ संस्कृति की ओर आकर्षित होकर आते है। किन्तु हम अपनी इसी पहचान से विमुख हो रहे हैं।

उत्तरांचल राज्य का गठन यहाँ की अलग सांस्कृतिक व भौगोलिक स्थितियों के कारण ही हुआ है। हमारे राज्य की हस्तकलायें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की अमूल्य देने हैं। जो मानव के सौन्दर्यबोध एवं आत्मभिव्यक्ति का माध्यम है। विद्यालयों में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य कार्यान्वित करने का उद्देश्य बालकों की कल्पना शक्ति, सृजनशीलता व जीवन विकास में आर्थिक अवसर प्राप्त करने का विकास करना है। समाजोपयोगी उत्पादक कार्य से जहाँ एक ओर बालक का सम्पूर्ण विकास सम्भव है वहां दूसरी ओर इस कार्य से हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा व सांस्कृतिक विरासत को पुर्नगठित ओर पुर्नजीवित करने का अवसर प्रदान होता है। साथ ही बच्चों में श्रम का आदर करने व उसकी महत्ता को समझने में सहायक होता है।

जनपद देहरादून में कार्यक्रम की आवश्यकता

जनपद देहरादून राज्य की पहाड़ी व मैदानी संस्कृति का समन्वित केन्द्र है। यहाँ का आधा भूभाग पहाड़ी व आधा मैदानी है। एक ओर यहाँ अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान के कारण प्रसिद्ध जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर है तो दूसरी ओर विकसित शहरी जीवन पद्धति। राज्य की राजधानी होने के कारण यह जनपद उत्तरांचल की संस्कृति व सामाजिक चेतना का केन्द्र है। देहरादून अपने सुहावने मौसम के कारण हमेशा विश्व प्रसिद्ध रहा है। किन्तु आज भूमण्डलीकरण और भौतिक आकांक्षाओं के कारण यहाँ का पर्यावरण, संस्कृति और लोककलाओं का ह्रास हो रहा है। फलस्वरूप नित दिन नैतिक मूल्यों का भी ह्रास हो रहा है।

" समाजोपयोगी उत्पादक कार्य" हमारे पाठयक्रम का एक हिस्सा तो है किन्तु विद्यालयों में इस विषय को गम्भीरता से नहीं लिया जाता है। "समाजोपयोगी उत्पादक कार्य/कार्य अनुभव के माध्यम से विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता व

सृजनात्मक शक्ति का विकास करता है। इस विषय पर कार्यशाला आयोजित कर अध्यापकों को इसकी महत्ता व इसके माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा की ओर बालकों का ध्यान आकृष्ट करना, बालकों आत्मनिर्भरता का विकास करना है। इसके लिये जनपद में प्रथम चरण में 20 बालिका विद्यालयों का चयन किया गया है। इन विद्यालयों में कार्यरत एक एक अध्यापिकाओं को समाजोपयोगी उत्पादक कार्य व कार्यानुभव विषय पर आयोजित कार्यशाला में कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी जायेगी। तत्पश्चात कार्यक्रम प्रयोगिक तौर पर चयनित विद्यालयों में प्रारम्भ किया जायेगा।

कार्यक्रम के उद्देश्य :–

1. स्थानीय शिल्पकला में रूचि पुर्नजीवित करना तथा समकालीन जीवन में उसकी उपयोगिता का अध्ययन करना।
2. स्थानीय शिल्प संसाधनों की पहचान करना एवं उनका उपयोगिता सम्बन्ध ज्ञात करने में, अध्यापकों की सहायता करना।
3. पर्यावरण का सामाजिक महत्व जानना, व विद्यालयों में पाठ्यक्रम के साथ समन्वय स्थापित करना।
4. अध्यापकों के मन में नैतिक व मूल्य प्रधान शिक्षा का महत्व जगाना और समुदाय के कल्याणार्थ कार्य करते हुये आरम्भ की जा सकने वाली परियोजनाओं को सुझाना।
5. समाज सेवा के महत्व व श्रम की महिमा को जगाना।
6. भारतीय संस्कृति के लिये उपयोगितापूर्ण सौन्दर्यपरक सुग्राहयता को विकसित करना।
7. छात्र–शिक्षक सहयोग से शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना।

क्रिया कलाप

* समाजोपयोगी उत्पादक कार्य व कार्यानुभव का तात्पर्य व उद्देश्य बताना।
* स्थानीय शिल्प कार्यो की जानकारी
* चार प्रकार के शिल्पकार्य सिखाना।
    1. पेपर मैशी।
    2. प्राकृतिक अवशिष्ट के खिलौने या आकर्षक वस्तुयें बनाना।
    3. बांधनी व रंगोली का कार्य।
    4. बुक बाइण्डिंग का कार्य।
    5. बिजली के सिवच बोर्ड बनाना।

* श्रव्य दृष्य साधनों का समाजोपयोगी उत्पादक कार्य में उपयोग।
* शैक्षिक भ्रमणों का महत्व व समाज के लिये पर्यावरण का महत्व।
* शिक्षण अधिगम सामग्री का छात्रों के सहयोग से निर्माण।
* सांस्कृतिक शिक्षा का विद्यालयों में महत्व।

विद्यालयों में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य/ कार्यानुभव विषय को सशक्त बनाने हेतु बजट का प्रावधान वार्षिक कार्ययोजना व बजट में किया गया हैं।

(ब) कम्प्यूटर शिक्षा

वर्तमान समय सूचना एवं प्रौद्योगिकी का हैं। कम्प्यूटर शिक्षा वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता हैं। समाज में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रति आकर्षण है, परन्तु महँगी शिक्षा होने के कारण आम लोगों के पहुँच के बाहर हैं। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा को अनुसूचित जाति के बच्चों, जनजाति के बच्चें तथा ग्रामीण बालिकाओं तक पहुँचाने के लिये प्रस्ताव किया गया हैं। इस अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विकासखण्ड में एक कम्प्यूटर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। वर्ष 2004–05 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनु0जाति अनु0 जन जाति के छात्रों व बालिकाओं के लिये कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। कम्प्यूटर शिक्षा हेतु 04 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया जायेगा। उक्त विद्यालयों में कम्प्यूटर, अन्य सामग्री व प्रत्येक विद्यालय के 2 शिक्षकों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जायेगा। कन्या उच्च प्राथमिक स्तर के **08** अध्यापकों एवं 4 संकल समन्वयकों को **20** दिन के कम्प्यूटर प्रशिक्षण, का प्राविधान किया गया हैं, जिससे वे बच्चों को प्रभावी कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करेगें।

स) S.U.P.W के अर्न्तगत सिलाई–कढ़ाई,, बुक बाइडिंग, पेपर मैसी, बिजली के सिवच बोर्ड, हस्त शिल्प कला आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

अन्य विभागों एवं संस्थाओं से तालमेल

अध्याय 6

अन्य विभागो एवं संस्थाओं से तालमेल

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के सफल संचालन उत्तम क्रियान्वयन के लिए विभिन्न संस्थाओं से तालमेल किया जायेगा।

नवाचारी शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए शिक्षा विभाग विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं, डायट, जिला कार्यक्रम अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, राज्य परियोजना कार्यालय से सम्पर्क स्थापित किया जायेगा

समेकित शिक्षा के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग NASEO, NIVH, NION, दाहिया इंस्टीटूट, बजाज इंस्टीटयूट, राज्य परियोजना कार्यालय, डायट आदि से सम्पर्क स्थापित किया जायेगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शिक्षा विभाग डायट, SCERT, SPO, NCERT आदि से समन्वय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

Project Cost (N.P.E.G.L) Distt Dehradun

S.No		2004-05		
		Phy	Unit	APP Fin
1	**Civil Work**			
a	Additional Class room	25	135	3375
b	Toilet	28	15	420
c	Supply of Drinking Water	24	20	480
d	Electrification in MCS	25	10	250
e	Play ground			
f	Boundary wall/Barrier of Iron angle	25	20	500
g	others			
	Total 1(a to g)	**127**	**200**	**5025**
2	**Other Additional facilities in MCS**			
a	TLE/ Furniture/fixture	35	10	350
b	Library	35	10	350
c	Sport aid	35	5	175
d	Vocational trg	35	20	700
e	Others			
	Total 2 (a to e)	**140**	**45**	**1575**
3	**Intervention in MCS**		60	
3A	Recurring grant to MCS			
a	Maintenance of MCS	15	5.00	75.00
b	Remuneration of 2 Instructor for 10 r	35	1.0	700
c	Audio Visual grant per Cluster 10 months.	15	5.00	75.00
d	development of awareness material	35	20	700
e	Others.Workshop & Seminar	35	2	700
	Total 3 a(atoe)	**135**	**33**	**2250**

3B	**Award to School/teacher**	35	5.00	175
	Total	**35**	**5**	**175**
3C	**St.Eva/Rem.Teaching/Bridge course/AS**			
a	Student Evaluation	35	2	70
b	Remedial teaching	24	4	96
c	Bridge course	10	13	130
d	Alternative School			
	Total (3 a to d)	**69**	**19**	**296**
3D	**Learning through Open Schools**			
	Total			
3E	**Teachers training**	35	4	140
3F	**Child care Centre (2 Centre per Mcs)**	10	6	60
	Total	**45**	**10**	**200**
3G	**Community Mobilization**			
a	Orientation/trg at Mcs level for 5 days	770	0.03	115.5
b	TA/DA for Worker	35	5	175
c	Documentation	35	4	140
	Honorarium fo Resource Person	35	2	70
	TA/DA for Coordinator	35	2	70
	Meeting	35	2	70
	Total	**945**	**15.03**	**640.5**
	Grand Total	**1496**	**327.03**	**10161.5**

Project Cost (N.P.E.G.L) Distt Dehradun

S.No		2003-04			2004-05			2005-06			2006-07			Total		
		Phy Target	Unit Cost	App. Fin	Phy	Unit	APP Fin	Phy	Unit	APP Fin	Phy	Unit	APP Fin	Phy	Unit	APP Fin
1	**Civil Work**															
a	Additional Class room	10	135	1350	15	135	2025							25	135	3375
b	Toilet	10	15	150	18	15	270							28	15	420
c	Supply of Drinking Water	10	20	200	14	20	280							24	20	480
d	Electrification in MCS	10	10	100	15	10	150							25	10	250
e	Play ground							15	40	600	10	40	400	25	40	1000
f	Boundary wall/Barrier of Iron angle	10	20	200	15	20	300	10	20	200				35	20	700
g	others															
	Total 1(a to g)	**50**	**200**	**2000**	**77**	**200**	**3025**	**25**	**60**	**800**	**10**	**40**	**400**	**162**	**240**	**6225**
2	**Other Additional facilities in MCS**		30													
a	FLE/ Furniture/fixture	35	10	350										35	10	350
b	Library	35	10	350				35	10	350				70	10	700
c	Sport aid	35	5	175	35	5	175	35	5	175	35	5	175	140	5	700
d	Vocational trg				35	20	700	35	20	700	35	20	700	105	20	2100
e	Others															
	Total 2 (a to e)	**105**	**25**	**875**	**70**	**25**	**875**	**105**	**35**	**1225**	**70**	**25**	**875**	**350**	**45**	**3850**
3	**Intervention in MCS**		**60**			60			60			60				
3A	Recurring grant to MCS															
a	Maintenance of MCS	20	5.0	100	15	5.00	75.00	35	5	175	35	5	175	105.00	5	525
b	Remuneration of 2 Instructor for 10 months	35	1.0	700	35	1.0	700	35	1.0	700	35	1.0	700	140	1	2800
c	Audio Visual grant per Cluster 10 months.	20	5.00	100	15	5.00	75.00							35	5.00	175
d	development of awareness material	35	20	700	35	20	700	35	20	700	35	20	700	140	20	2800
e	Others.Workshop & Seminar	35	20.00	700	35	2	700	35	2	700	35	2	700	140	20	2800
	Total 3 a(atoe)	**145**	**51**	**2300**	**135**	**33**	**2250**	**140**	**28**	**2275**	**140**	**28**	**2275**	**560**	**51**	**9100**
3B	**Award to School/teacher**	35	5	175	35	5.00	175	35	5	175	35	5	175	140	5.00	700
	Total	**35**	**5**	**175**	**35**	**5**	**175**	**35**	**5**	**175**	**35**	**5**	**175**	**140**	**5**	**700**
3C	**St.Eva/Rem.Teaching/Bridge course/AS**		20													
a	Student Evaluation	35	2	70	35	2	70	35	2	70	35	2	70	140	2	280
b	Remedial teaching	2	4	8	24	4	96	10	4	40	10	4	40	46	4	184
c	Bridge course				10	13	130	10	13	130	5	13	65	25	13	325
d	Alternative School															
	Total (3 a to d)	**37**	**26**	**78**	**69**	**19**	**296**	**55**	**19**	**240**	**50**	**19**	**175**	**211**	**19**	**789**
3D	**Learning through Open Schools**															
	Total															

3E	Teacners training	35	4	140	35	4	140	35	4	140	35	4	140	140	4	560
3F	**Child care Centre (2 Centre per Mcs)**				10	6	60	15	6	90	10	6	60	35	6	210
	Total	**35**	**4**	**140**	**45**	**10**	**200**	**50**	**10**	**230**	**45**	**10**	**200**	**175**	**10**	**770**
3G	**Community Mobilization**		35.0 for1st . year, 20 for 2nd&3rd year,10 for 4th&5th year													
a	Orientation/trg at Mcs level for 5 days	770	0.03	115.5	770	0.03	115.5	770	0.03	115.5	770	0.03	115.5	3080	0.03	462
b	TA/DA for Worker	35	5	175	35	5	175	35	5	175	35	5	175	140	5	700
c	Documentation	35	4	140	35	4	140	35	4	140	35	4	140	140	4	560
	Honorarium fo Resource Person	35	2	70	35	2	70	35	2	70	35	2	70	140	2	280
	TA/DA for Coordinator	35	2	70	35	2	70	35	2	70	35	2	70	140	2	280
	Meeting	35	2	70	35	2	70	35	2	70	35	2	70	140	2	280
	Total	**945**	**15.03**	**640.5**	**945**	**15.03**	**640.5**	**945**	**15**	**640.5**	**945**	**15**	**640.5**	**3780**	**15.03**	**2562**
	Grand Total	**1317**	**321.03**	**6208.5**	**1376**	**307.03**	**7461.5**	**1355**	**172**	**5585.5**	**1295**	**142**	**4740.5**	**5378**	**385.03**	**23996**

BUDGET
AT
AGANCE

BUDGET AT A GLANCE YEAR 2004-05

DISTRICT DEHRADUN

S.NO	Budget of the last years 2003-04 with spill over	Total Expenditure	Balanced Amount	Spill over	Budget of year 2004-05	Total Budget for the year 2004-05
	164776.09	105798.52	58977.57	1810	192932.24	194742.24

Note : The amount 2268 thousand Rs.not spilled in the last year budget.

BUDGET FOR YEAR 2004-05

S.NO	Budget in thousand Rs. For year 2004-05	Spill over of last year 2003-04	Total budget	Civil work percentage	Management cost percentage
	192932.24	1810	194742.24	32.26	2.8

Sl. No.	Head	Phy. Target	Last Year Sanctioned Amount with Spill Over	Appropriate Amount	Revised Sanctioned Amount	Phy. Achievement		Expenditure		Approx. Saving and Balancing Amount (D-J)	Previous Particulars with Note (Remark)
						Till 31st Dec,	Till 31st March	Till 31st Dec,	Till 31st March		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)
I	**Civil Works**										
1	New Primary School	20.00	10860.00				20.00	3300.00	10860.00	0.00	
2	New Upper Primary School	20.00	14400.00			20.00	20.00	2400.00	14400.00	0.00	
3	Reconstruction PS	15.00	7070.00			15.00	15.00	6253.00	7070.00	0.00	Amount not Balance last year
4	Reconstruction UPS	6.00	7200.00			6.00	6.00	6480.00	7200.00	0.00	
5	Additional Classrooms PS	100.00	13500.00			100.00	100.00	8748.00	13500.00	0.00	
6	Additional Classrooms UPS	25.00	3375.00			25.00	25.00	432.00	3375.00	0.00	
7	Toilets PS	33.00	495.00			33.00	33.00	396.00	495.00	0.00	
8	Toilets UPS	12.00	180.00			12.00	12.00	144.00	180.00	0.00	
9	Drinking Water PS	45.00	900.00			45.00	45.00	720.00	900.00	0.00	3 PS not spiled last year
10	Drinking Water UPS	13.00	260.00			13.00	13.00	208.00	260.00	0.00	
11	Construction of Boundary walls	15.00	600.00			15.00	15.00	480.00	600.00	0.00	
12	Construction of separation walls	6.00	300.00			6.00	6.00	240.00	300.00	0.00	
13	Major Repairs PS									0.00	
14	Major Repairs UPS									0.00	
15	Construction of BRCs	2.00	3660.00						3660.00	0.00	
16	Construction of CRCs	12.00	5800.00				12.00		5800.00	0.00	
17	Electrification									0.00	
18	Any Other									0.00	
	Total	**324.00**	**68600.00**	**0.00**	**0.00**	**290.00**	**322.00**	**29801.00**	**68600.00**	**0.00**	**0.00**
II	**Teaching Learning Equipments**										
1	TLE New Primary School	46.00	580.00						320.00	260.00	
2	TLE New Upper Primary School	57.00	2850.00						1300.00	1550.00	
3	TLE UPS (not covered under OBB)	78.00	3900.00						3900.00	0.00	
	Total	**181.00**	**7330.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5520.00**	**1810.00**	**0.00**
III	**School Grant**										
1	School Improvement Grants PS	1204.00	2408.00			1204.00	1204.00	2252.00	2252.00	156.00	
2	School Improvement Grants UPS										
	Total	**1204.00**	**2408.00**	**0.00**	**0.00**	**1204.00**	**1204.00**	**2252.00**	**2252.00**	**156.00**	**0.00**
IV	**Maintenance Grant**										
1	Primary School (PS)	1091.00	5455.00			1091.00	1091.00	4925.00	4925.00	530.00	
2	Upper Primary School (UPS)										
	Total	**1091.00**	**5455.00**	**0.00**	**0.00**	**1091.00**	**1091.00**	**4925.00**	**4925.00**	**530.00**	**0.00**
V	**Teacher Grant (TLM)**										
1	Teacher Grant PS	3061.00	1530.50			3061.00	3061.00	1372.50	1401.00	129.50	
2	Teacher Grant UPS										
	Total	**3061.00**	**1530.50**	**0.00**	**0.00**	**3061.00**	**3061.00**	**1372.50**	**1401.00**	**129.50**	**0.00**
VI	**Education Guarantee Scheme (EGS)**										
1	EGS Primary (No. of children)	980.00	828.10					164.00	340.00	488.10	
2	EGS Upper Primary (No. of children)	240.00	288.00							288.00	
	Total	**1220.00**	**1116.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**164.00**	**340.00**	**776.10**	**0.00**
	Alternative & Innovative Education (AIE)										
1	AIE (PS) (No. of Children)	500.00	15000.00							15000.00	
2	Non-Residential Bridge Courses (No. of children)	500.00	422.50							422.50	

Sl. No.	Head	Phy. Target	Last Year Sanctioned Amount with Spill Over	Appropriate Amount	Revised Sanctioned Amount	Phy. Achievement		Expenditure		Approx. Saving and Balancing Amount (D-J)	Previous Particulars with Note (Remark)
						Till 31st Dec,	Till 31st March	Till 31st Dec,	Till 31st March		
3	Residential Bridge Courses (No. of children)	200.00	240.00							240.00	
4	Any Other										
	Total	**1200.00**	**15662.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15662.50**	**0.00**
VII	**Free Text Books**										
1	Free Text Books PS	73970.00	5178.39			73970.00	73970.00	2501.00	2501.00	2677.39	
2	Free Text Books UPS	59319.00	5918.28			59319.00	59319.00	3438.75	3500.00	2418.28	
	Total	**133289.00**	**11096.67**	**0.00**	**0.00**	**133289.00**	**133289.00**	**5939.75**	**6001.00**	**5095.67**	**0.00**
VIII	**IED**	943.00	1131.60				943.00	41.98	100.00	1031.60	
	Total	**943.00**	**1131.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**943.00**	**41.98**	**100.00**	**1031.60**	**0.00**
IX	**Innovative Activities**										
1	Computer Education		1500.00						1500.00	0.00	
2	Early Childhood Care and Education (ECCE)		1500.00					318.00	350.00	1150.00	
3	Girl Education		500.00						432.00	68.00	
4	SC/ST Intervention		1500.00						100.00	1400.00	
5	Tea garden / Special areas										
6	Any other										
	Total	**0.00**	**5000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**318.00**	**2382.00**	**2618.00**	**0.00**
X	**Salary of Teachers Recruited in Past Years**										
1	Salary of Teachers PS	12.00	1056.00						34.00	1022.00	
2	Salary of Teachers UPS	42.00	4032.00							4032.00	
3	Salary of Additional Teachers PS										
4	Salary of Additional Teachers UPS									0.00	
5	Salary of Para Teachers	12.00	264.00							264.00	
6	Any other										
	Total	**66.00**	**5352.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34.00**	**5318.00**	**0.00**
XI	**Salary Grant (Teachers Sanctioned in the Present Year)**										
1	Salary of Teachers PS	46.00	4048.00				32.00			4048.00	
2	Salary of Teachers UPS	114.00	10944.00				24.00			10944.00	
3	Salary of Additional Teachers PS	12.00	1056.00							1056.00	
4	Salary of Additional Teachers UPS									0.00	
5	Salary of Para Teachers	46.00	1012.00				32.00			1012.00	
6	Any other	28.00	2688.00				28.00		250.00	2438.00	
	Total	**246.00**	**19748.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116.00**	**0.00**	**250.00**	**19498.00**	**0.00**
XII	**Teacher Training**										
1	Teachers Training	3061.00	2142.70				3061.00		2142.70	0.00	
2	20 days in-service course	852.00	596.40				852.00		596.40	0.00	
3	30 days orientation for freshly trained recruits	58.00	121.80							121.80	
4	60 days refresher course for untrained teachers										
5	Any other										
	Total	**3971.00**	**2860.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3913.00**	**0.00**	**2739.10**	**121.80**	**0.00**
XIII	**Strengthening of VEC**										
1	VEC Training	1204.00	577.92				1204.00		577.92	0.00	
2	Any other										
	Total	**1204.00**	**577.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1204.00**	**0.00**	**577.92**	**0.00**	**0.00**

Sl. No.	Head	Phy. Target	Last Year Sanctioned Amount with Spill Over	Appropriate Amount	Revised Sanctioned Amount	Phy. Achievement		Expenditure		Approx. Saving and Balancing Amount (D-J)	Previous Particulars with Note (Remark)
						Till 31st Dec,	Till 31st March	Till 31st Dec,	Till 31st March		
XIV	**BRC (Administrative)**										
1	Salary for Coordinator	6.00	768.00			6.00	6.00	259.86	500.00	268.00	
2	Salary for Astt. Coordinator	12.00	1152.00			12.00	12.00	412.21	775.00	377.00	
3	Furniture / fixture & Equipments	6.00	650.00					0.00	600.00	50.00	
4	Travelling Allowance & Meeting	18.00	36.00			18.00	18.00	24.00	36.00	0.00	
5	Maintenance of equipments										
6	Maintenance of Building										
7	TLM	6.00	30.00			6.00		30.00	30.00		
8	Contingency	6.00	75.00			6.00		75.00	75.00		
9	Any other										
	Total	**48.00**	**2711.00**	**0.00**	0.00	**42.00**	**30.00**	**801.07**	**2016.00**	**427.00**	**0.00**
XV	**CRC (Administrative)**										
1	Salary Coordinator	89.00	8544.00			44.00	44.00	1930.22	3746.00	4798.00	
2	Furniture / fixture & Equipments	89.00	890.00			89.00	89.00		890.00		
3	Travelling Allowance & Meeting	89.00	213.60			89.00	89.00	142.40	213.00	0.60	
4	Maintenance of equipments										
5	Maintenance of Building										
6	TLM	89.00	89.00			89.00	89.00	89.00	89.00		
7	Contingency	89.00	222.50			89.00	89.00	222.50	222.50		
8	Any other										
	Total	**445.00**	**9959.10**	**0.00**	**0.00**	**400.00**	**400.00**	**2384.12**	**5160.50**	**4798.60**	**0.00**
XVI	**Research, Monitoring & Evaluation**										
1	PS	1204.00	1685.60			1204.00	1204.00	164.57	1000.00	685.60	
2	UPS										
	Total	**1204.00**	**1685.60**	**0.00**	**0.00**	**1204.00**	**1204.00**	**164.57**	**1000.00**	**685.60**	**0.00**
XVII	**Management Cost**		2551.20					376.37	2500.00	51.20	
	Total	**0.00**	**2551.20**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	376.37	**2500.00**	**51.20**	**0.00**
	Grand Total	**149697.00**	**164776.09**	**0.00**	**0.00**	**140581.00**	**146777.00**	**48540.36**	**105798.52**	**58709.57**	**0.00**

(Rs. in thousand)

Sl. No.	Head	Approximate		Balance Continue (Spill Over0 Phy. Target	Unit Cost	Financial Expenditure for Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remarks
		Balance Phy. Target Balance	Balancing Amount					
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
I	**Civil Works**							
1	New Primary School							
2	New Upper Primary School							
3	Reconstruction PS							Amount not spilled last year
4	Reconstruction UPS							
5	Additional Classrooms PS							
6	Additional Classrooms UPS							
7	Toilets PS							
8	Toilets UPS							
9	Drinking Water PS							
10	Drinking Water UPS							
11	Construction of Boundary walls							
12	Construction of separation walls							
13	Major Repairs PS							
14	Major Repairs UPS							
15	Construction of BRCs							
16	Construction of CRCs							
17	Electrification							
18	Any Other							
	Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II	**Teaching Learning Equipments**							
1	UPS	57.00	2850.00	31.00	50.00	1550.00	DEPTT	
2	TLE New Primary School	58.00	580.00	26.00	10.00	260.00		
3	TLE UPS (not covered under OBB)	78.00	3900.00					
	Total	**193.00**	**7330.00**	**57.00**	**60.00**	**1810.00**	**0.00**	**0.00**
III	**School Grant**							
1	School Improvement Grants PS							
2	School Improvement Grants UPS							
	Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV	**Maintenance Grant**							
1	Primary School (PS)							
2	Upper Primary School (UPS)							
	Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V	**Teacher Grant (TLM)**							
1	Teacher Grant PS							
2	Teacher Grant UPS							
	Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VI	**Education Guarantee Scheme (EGS)**							
1	EGS Primary (No. of children)							
2	EGS Upper Primary (No. of children)							
	Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

(Rs. in thousand)

Sl. No.	Head	Approximate Balance Phy. Target Balance	Approximate Balancing Amount	Balance Continue (Spill Over0 Phy. Target	Unit Cost	Financial Expenditure for Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remarks
	Alternative & Innovative Education (AIE)							
3	AIE (PS) (No. of Children)							
4	Non-Residential Bridge Courses (No. of children)							
5	Residential Bridge Courses (No. of children)							
6	Any Other							
	Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VII	**Free Text Books**							
1	Free Text Books PS							
2	Free Text Books UPS							
	Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII	**IED**							
	Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IX	**Innovative Activities**							
1	Computer Education							
2	Early Childhood Care and Education (ECCE)							
3	Girl Education							
4	SC/ST Intervention							
5	Tea garden / Special areas							
6	Any other							
	Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
X	**Salary of Teachers Recruited in Past Years**							
1	Salary of Teachers PS							
2	Salary of Teachers UPS							
3	Salary of Additional Teachers PS							
4	Salary of Additional Teachers UPS							
5	Salary of Para Teachers							
6	Any other							
	Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
XI	**Salary Grant (Teachers Sanctioned in the Present Year)**							
1	Salary of Teachers PS							
2	Salary of Teachers UPS							
3	Salary of Additional Teachers PS							
4	Salary of Additional Teachers UPS							
5	Salary of Para Teachers							
6	Any other							
	Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
XII	**Teacher Training**							
1	Induction Training							

Sl. No.	Head	Phy. Target	Last Year Sanctioned Amount with Spill Over	Appropriate Amount	Revised Sanctioned Amount	Phy. Achievement		Expenditure		Approx. Saving and Balancing Amount (D-J)	Previous Particulars with Note (Remark)
						Till 31st Dec,	Till 31st March	Till 31st Dec,	Till 31st March		
XIV	BRC (Administrative)										
1	Salary for Coordinator	6.00	768.00			6.00	6.00	259.86	500.00	268.00	
2	Salary for Astt. Coordinator	12.00	1152.00			12.00	12.00	412.21	775.00	377.00	
3	Furniture / fixture & Equipments	6.00	650.00					0.00	600.00	50.00	
4	Travelling Allowance & Meeting	18.00	36.00			18.00	18.00	24.00	36.00	0.00	
5	Maintenance of equipments										
6	Maintenance of Building										
7	TLM	6.00	30.00			6.00		30.00	30.00		
8	Contingency	6.00	75.00			6.00		75.00	75.00		
9	Any other										
	Total	**48.00**	**2711.00**	**0.00**	**0.00**	**42.00**	**30.00**	**801.07**	**2016.00**	**427.00**	**0.00**
XV	CRC (Administrative)										
1	Salary Coordinator	89.00	8544.00			44.00	44.00	1930.22	3746.00	4798.00	
2	Furniture / fixture & Equipments	89.00	890.00			89.00	89.00		890.00		
3	Travelling Allowance & Meeting	89.00	213.60			89.00	89.00	142.40	213.00	0.60	
4	Maintenance of equipments										
5	Maintenance of Building										
6	TLM	89.00	89.00			89.00	89.00	89.00	89.00		
7	Contingency	89.00	222.50			89.00	89.00	222.50	222.50		
8	Any other										
	Total	**445.00**	**9959.10**	**0.00**	**0.00**	**400.00**	**400.00**	**2384.12**	**5160.50**	**4798.60**	**0.00**
XVI	Research, Monitoring & Evaluation										
1	PS	1204.00	1685.60			1204.00	1204.00	164.57	1000.00	685.60	
2	UPS										
	Total	**1204.00**	**1685.60**	**0.00**	**0.00**	**1204.00**	**1204.00**	**164.57**	**1000.00**	**685.60**	**0.00**
XVII	Management Cost		2551.20					376.37	2500.00	51.20	
	Total	**0.00**	**2551.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**376.37**	**2500.00**	**51.20**	**0.00**
	Grand Total	**149697.00**	**164776.09**	**0.00**	**0.00**	**140581.00**	**146777.00**	**48540.36**	**105798.52**	**58709.57**	**0.00**

SPILL OVER WORKPLAN FOR COMING (NEXT) YEAR 2004-2005

TABLE - B

Name of District

Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)

(Rs. in thousand)

Sl. No.	Head	Phy. Target	Unit Cost in thousand Rs.	Approximate Financial	Time Schedule / Empl. Ag.	Remarks
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
I	**Civil Works**					
1	New Primary School	15	378.00	5670.00	V.E.C	
2	New Upper Primary School	21	600.00	12600.00	V.E.C	
3	Reconstruction PS	10	378.00	3780.00		
4	Reconstruction UPS	6	600.00	3600.00		
5	Additional Classrooms PS	60	135.00	8100.00		
6	Additional Classrooms UPS	20	135.00	2700.00		
7	Toilets PS	40	15.00	600.00		
8	Toilets UPS	18	15.00	270.00		
9	Drinking Water PS	60	20.00	1200.00		
10	Drinking Water UPS	18	20.00	360.00		
11	Construction of Boundary walls PS	70	40.00	2800.00		
12	Construction of Boundary walls UPS	20	50.00	1000.00		
13	Major Repairs PS					
14	Major Repairs UPS					
15	Construction of BRCs	1	930.00	930.00		
16	Construction of CRCs	17	450.00	7650.00		
17	Electrification					
18	Any Other					
	Total	**376**	**3766.00**	**51260.00**	**0.00**	**0.00**
II	**Teaching Learning Equipments UPS**					
1	TLE New Primary School	15	10.00	150.00		
2	TLE UPS (not covered under OBB)	21	50.00	1050.00		
	Total	**36**	**60.00**	**1200.00**	**0.00**	**0.00**
III	**School Grant**					
1	School Improvement Grants PS	863	2.00	1726.00		
2	School Improvement Grants UPS+HS+I.C	421	2.00	842.00		
	Total	**1284**	**4.00**	**2568.00**	**0.00**	**0.00**
IV	**Maintenance Grant**					
1	Primary School (PS)	863	5.00	4315.00		

Name of District

Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)

(Rs. in thousand)

2	Upper Primary School (UPS)	316	5.00	1580.00		
	Total	**1179**	**10.00**	**5895.00**	**0.00**	**0.00**
V	**Teacher Grant (TLM)**					
1	Teacher Grant PS	1857	0.50	928.50		
2	Teacher Grant UPS	1972	0.50	986.00		
	Total	**3829**	**1.00**	**1914.50**	**0.00**	**0.00**
VI	**Education Guarantee Scheme (EGS)**					
1	EGS Primary (No. of children)	1000	0.85	845.00		
2	EGS Upper Primary (No. of children)	920	1.20	1104.00		
	Total	**1920**	**2.05**	**1949.00**	**0.00**	**0.00**
	Alternative & Innovative Education (AIE)					
3	Residential Bridge Courses (No. of children) long term	685	3.00	2055.00		
4	AIE (PS) (No. of Children)	638	0.85	539.11		
5	Non-Residential Bridge Courses (No. of children) Short term	348	1.20	417.60		
6	Any Other					
	Total	**1671**	**5.05**	**3011.71**	**0.00**	**0.00**
VII	**Free Text Books**					
1	Free Text Books PS	79307	0.07	5551.49	5293.68	
2	Free Text Books UPS	49702	0.15	7455.30	6049.92	
	Total	**129009**	**0.22**	**13006.79**	**11343.60**	**0.00**
VIII	**IED**	1500	1.20	1800.00		
	Total	**1500**	**1.20**	**1800.00**	**0.00**	**0.00**
IX	**Innovative Activities**					
1	Computer Education		1500.00	1500.00		
2	Early Childhood Care and Education (ECCE)		1500.00	1500.00		
3	Girl Education		500.00	500.00		
4	SC/ST Intervention		1500.00	1500.00		
5	Tea garden / Special areas					
6	Any other					
	Total	**0**	**5000.00**	**5000.00**	**0.00**	**0.00**
X	**Salary of Teachers Recruited in Past Years**					
1	Salary of Teachers PS	32	14.00	5376.00		

Name of District

Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)

(Rs. in thousand)

2	Salary of Teachers UPS	26	16.00	4992.00		
3	Salary of Additional Teachers PS					
4	Salary of Additional Teachers UPS	28	16.00	5376.00		
5	Salary of Para Teachers	32	3.00	1152.00		
6	Any other					
	Total	**118**	**49.00**	**16896.00**	**0.00**	**0.00**
XI	**Salary Grant (Teachers Sanctioned in the Present Year)**					
1	Salary of Teachers PS	15	14.00	2520.00		
2	Salary of Teachers UPS	63	16.00	12096.00		
3	Salary of Additional Teachers PS					
4	Salary of Additional Teachers UPS	24	16.00	4608.00		
5	Salary of Para Teachers	15	3.00	540.00		
6	Any other					
	Total	**117**	**49.00**	**19764.00**	**0.00**	**0.00**
XII	**Teacher Training**					
1	Induction Training of Para teacher 30 day	47	0.07	98.70		
2	20 days in-service course PS+UPS	3995	0.07	5593.00		
3	30 days orientation for freshly trained recruits 15 days	116	0.07	121.80		
4	60 days refresher course for untrained teachers	50	0.07	210.00		
5	Training of Para teacher (proposed by Govt.) 30 days378.0779	378	0.07	793.80		
	Total	**4586**	**0.35**	**6817.30**	**0.00**	**0.00**
XIII	**Strengthening of VEC**					
1	VEC Training 2 days	1204	0.03	577.92		
2	B.R.C,A.B.R.C,ABSA tng 4 day	220	0.07	15.40		
	Total	**1424**	**0.10**	**593.32**	**0.00**	**0.00**
XIV	**BRC (Administrative)**					
1	Salary for Coordinator	6	16.00	1152.00		
2	Salary for Astt. Coordinator	12	14.00	2016.00		
3	Furniture / fixture & Equipments					
4	Travelling Allowance & Meeting	6	6.00	36.00		
5	Maintenance of equipments					
6	Maintenance of Building					
7	TLM	6	5.00	30.00		
8	Contingency	6	12.50	75.00		

Name of District Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)

(Rs. in thousand)

9	Any other					
	Total	**30**	**37.50**	**3309.00**	**0.00**	**0.00**
XV	**CRC (Administrative)**					
1	Salary Coordinator	89	13.00	13884.00		
2	Furniture / fixture & Equipments	1	10.00	10.00		
3	Travelling Allowance & Meeting	89	2.40	213.60		
4	Maintenance of equipments					
5	Maintenance of Building					
6	TLM	89	1.00	89.00		
7	Contingency	89	2.50	222.50		
8	Any other					
	Total	**357**	**28.90**	**14419.10**	**0.00**	**0.00**
XVI	**Research, Monitoring & Evaluation PS+UPS**	1304	1.50	1956.00		
1	PS					
2	UPS					
	Total	**1304**	**1.50**	**1956.00**	**0.00**	**0.00**
XVII	**Management Cost**					
1	Salary of District Coordinator			848.00		
2	Salary of AAO			169.00		
3	Salary of Accountant			130.00		
4	Salary of Computer Operator			130.00		
5	Furniture / Meting Hall Equipment			503.00		
6	T.A			300.00		
7	Contirgency			300.00		
8	Hiring			300.00		
9	Capancity Building of DPO Staff			300.00		
10	Meetings			200.00		
11	AWP & B			20.00		
12	A.M.C.			100.00		
13	Publicity Campaign			300.00		
14	Printing			184.00		
15	Seminers			140.00		
16	Workshop			190.00		
17	Honararium J.E. & A.E.			1000.00		
18	Meeting of DRG & SRG			386.00		

Name of District

Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)

(Rs. in thousand)

	Total	**0**	**0.00**	**5500.00**	**0.00**	**0.00**
	Grand Total	**148740**	**9015.86**	**156859.72**	**11343.60**	**0.00**
	Budget for NPEGEL	**1496**	**227.03**	**10161.5**	**VEC , CRC , PS**	
	Total Budget including NPEGEL	**150236.00**	**9242.89**	**167021.22**		

LAST YEAR ACTIVITES PROGRESS

TABLE - A

Sl. No.	Head	Phy. Target	Unit Cost in thousand Rs.	Approximate Financial	Time Schedule / Empl. Ag.	Remarks
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
I	**Civil Works**					
1	New Primary School	15	378.00	5670.00	V.E.C	
2	New Upper Primary School	21	600.00	12600.00	V.E.C	
3	Reconstruction PS	20	378.00	7560.00		
4	Reconstruction UPS	6	600.00	3600.00		
5	Additional Classrooms PS	80	135.00	10800.00		
6	Additional Classrooms UPS	30	135.00	4050.00		
7	Toilets PS	40	15.00	600.00		
8	Toilets UPS	18	15.00	270.00		
9	Drinking Water PS	60	20.00	1200.00		
10	Drinking Water UPS	18	20.00	360.00		
11	Construction of Boundary walls PS	70	40.00	2800.00		
12	Construction of Boundary walls UPS	20	50.00	1000.00		
13	Major Repairs PS					
14	Major Repairs UPS					
15	Construction of BRCs	1	930.00	930.00		
16	Construction of CRCs	19	450.00	8550.00		
17	Electrification					
18	Amount for Reconstrution of PS not saved and not spilied in last year budget	6	378.00	2268.00		
	Total	**424**	**4144.00**	**62258.00**	**0.00**	**0.00**
II	**Teaching Learning Equipments UPS**					
1	TLE New Primary School	6	50.00	300.00		
2	TLE UPS (not covered under OBB)					
	Total	**6**	**50.00**	**300.00**	**0.00**	**0.00**
III	**School Grant**					
1	School Improvement Grants PS	889	2.00	1778.00		
2	School Improvement Grants UPS+HS+I.C	458	2.00	916.00		
	Total	**1347**	**4.00**	**2694.00**	**0.00**	**0.00**
IV	**Maintenance Grant**					
1	Primary School (PS)	889	5.00	4445.00		
2	Upper Primary School (UPS)	353	5.00	1765.00		
	Total	**1242**	**10.00**	**6210.00**	**0.00**	**0.00**
V	**Teacher Grant (TLM)**					
1	Teacher Grant PS	1857	0.50	928.50		
2	Teacher Grant UPS	1972	0.50	986.00		

Sl. No.	Head	Phy. Target	Unit Cost in thousand Rs.	Approximate Financial	Time Schedule / Empl. Ag.	Remarks
	Total	**3829**	**1.00**	**1914.50**	**0.00**	**0.00**
VI	**Education Guarantee Scheme (EGS)**					
1	EGS Primary (No. of children)	4672	0.845	3947.84		
2	EGS Upper Primary (No. of children)	500	1.20	600.00		
	Total	**5172**	**2.05**	**4547.84**	**0.00**	**0.00**
	Alternative & Innovative Education (AIE)					
3	Residential Bridge Courses (No. of children) long term	60	3.00	180.00		
4	AIE (PS) (No. of Children)	1261	1.20	539.11		
5	Non-Residential Bridge Courses (No. of children) Short term	1500	2.00	3000.00		
6	Any Other Maktaba	600	0.845	507.00		
	Total	**3421**	**7.05**	**4226.11**	**0.00**	**0.00**
VII	**Free Text Books**					
1	Free Text Books PS	79307	0.07	5551.49		
2	Free Text Books UPS	49702	0.15	7455.30		
	Total	**129009**	**0.22**	**13006.79**	**0.00**	**0.00**
VIII	**IED**	1500	1.20	1800.00		
	Total	**1500**	**1.20**	**1800.00**	**0.00**	**0.00**
IX	**Innovative Activities**					
1	Computer Education		1500.00	1500.00		
2	Early Childhood Care and Education (ECCE)		1500.00	1500.00		
3	Girl Education (MCDA + SUPW)		900.00	900.00		
4	SC/ST Intervention		1100.00	1100.00		
5	Tea garden / Special areas					
6	Any other					
	Total	**0**	**5000.00**	**5000.00**	**0.00**	**0.00**
X	**Salary of Teachers Sanctioned in Past Years**					
1	Salary of Teachers PS	58	14.00	9744.00		
2	Salary of Teachers UPS	132	16.00	25344.00		
3	Salary of Additional Teachers PS					
4	Salary of Additional Teachers UPS	52	16.00	9984.00		
5	Salary of Para Teachers	58	3.00	2088.00		
6	Any other					
	Total	**300**	**49.00**	**47160.00**	**0.00**	**0.00**

Sl. No.	Head	Phy. Target	Unit Cost in thousand Rs.	Approximate Financial	Time Schedule / Empl. Ag.	Remarks
XI	**Salary Grant (Teachers Sanctioned in the Present Year)**					
1	Salary of Teachers PS					
2	Salary of Teachers UPS					
3	Salary of Additional Teachers PS					
4	Salary of Additional Teachers UPS	57	16.00	10944.00		
5	Salary of Para Teachers					
6	Any other					
	Total	**57**	**16.00**	**10944.00**	**0.00**	**0.00**
XII	**Teacher Training**					
1	Induction Training of Para teacher 30 day	58	0.07	121.80		
2	20 days in-service course PS+UPS	3995	0.07	5593.00		
3	30 days orientation for freshly trained recruits 15 days	116	0.07	121.80		
4	60 days refresher course for untrained teachers	50	0.07	210.00		
5	B.R.C,A.B.R.C,ABSA tng 4 day	220	0.07	15.40		
	Total	**4439**	**0.35**	**6062.00**	**0.00**	**0.00**
XIII	**Strengthening of VEC**					
1	VEC Training 2 days	1324	0.03	635.50		
	Total	**1324**	**0.03**	**635.50**	**0.00**	**0.00**
XIV	**BRC (Administrative)**					
1	Salary for Coordinator	6	16.00	1152.00		
2	Salary for Astt. Coordinator	12	14.00	2016.00		
3	Furniture / fixture & Equipments					
4	Travelling Allowance & Meeting	6	6.00	36.00		
5	Maintenance of equipments					
6	Maintenance of Building					
7	TLM	6	5.00	30.00		
8	Contingency	6	12.50	75.00		
9	Any other					
	Total	**36**	**54**	**3309**	**0**	**0**
XV	**CRC (Administrative)**					
1	Salary Coordinator	89	14.00	14952.00		
2	Furniture / fixture & Equipments	1	10.00	10.00		
3	Travelling Allowance & Meeting	89	2.40	213.60		
4	Maintenance of equipments					
5	Maintenance of Building					
6	TLM	89	1.00	89.00		

Sl. No.	Head	Phy. Target	Unit Cost in thousand Rs.	Approximate Financial	Time Schedule / Empl. Ag.	Remarks
7	Contingency	89	2.50	222.50		
8	Any other					
	Total	**357**	**30**	**15487**	**0**	**0**
XVI	**Research, Monitoring & Evaluation PS+UPS**	1341	1.40	1877.40		
1	PS					
2	UPS					
	Total	**1341**	**1**	**1877.4**	**0**	**0**
XVII	**Management Cost**			5500.00		
	Total	**0**	**0.00**	**5500.00**	**0.00**	**0.00**
	Grand Total	**153804.00**	**9369.69**	**192932.24**	**0.00**	**0.00**
	Budget for NPEGEL	**1496**	**227.03**	**10161.5**	**VEC , CRC , PS**	
	Total Budget including NPEGEL	**155300.00**	**9596.72**	**203093.74**		

PLAN FOR THE YEAR 2004 - 2005

TABLE - C-1

(NPEGL PLAN 2003-04 TO 2006-07)

Sl. No.	Head	AWP&B Last Year	Re-appropriation	Revised Sanctioned Amount	Expenses of the Last year		Approximate Balance Amount	Approximate Saving Amount	Spill Over for Next Year	New Proposals	Total (J+K)	Remarks
					Till 31st Dec	Till 31st March,						
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)		(L)
I	**Civil Works**											
1	New Primary School	10860.00			3300.00	10860.00	0.00	0.00	0.00	5670.00	5670.00	
2	New Upper Primary School	14400.00			2400.00	14400.00	0.00	0.00	0.00	12600.00	12600.00	
3	Reconstruction PS	7070.00			6253.00	7070.00	0.00	0.00	0.00	7560.00	7560.00	
4	Reconstruction UPS	7200.00			6480.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	3600.00	
5	Additional Classrooms PS	13500.00			8748.00	13500.00	0.00	0.00	0.00	10800.00	10800.00	
6	Additional Classrooms UPS	3375.00			432.00	3375.00	0.00	0.00	0.00	4050.00	4050.00	
7	Toilets PS	495.00			396.00	495.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	
8	Toilets UPS	180.00			144.00	180.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	
9	Drinking Water PS	900.00			720.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	1200.00	
10	Drinking Water UPS	260.00			208.00	260.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	
11	Construction of Boundary walls	600.00			480.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	2800.00	
12	Construction of separation walls	300.00			240.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	
13	Major Repairs PS										0.00	
14	Major Repairs UPS										0.00	
15	Construction of BRCs	3660.00				3660.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	
16	Construction of CRCs	5800.00				5800.00	0.00	0.00	0.00	8550.00	8550.00	
17	Electrification										0.00	
18	Amout for reconstruction of PS not saved and not spiled in last year budget									2268.00	2268.00	
	Total	**68600.00**	**0.00**	**0.00**	**29801.00**	**68600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62258.00**	**62258.00**	**0.00**
II	**Teaching Learning Equipments**											
1	TLE New Primary School	580.00				320.00	260.00	0.00	260.00	300.00	560.00	
2	TLE UPS	2850.00				1300.00	1550.00	0.00	1550.00	0.00	1550.00	
3	TLE UPS (not covered under OBB)	3900.00				3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	**7330.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5520.00**	**1810.00**	**0.00**	**1810.00**	**300.00**	**2110.00**	**0.00**
III	**School Grant**											
1	School Improvement Grants PS	2408.00			2252.00	2252.00	156.00	156.00	0.00	1778.00	1778.00	
2	School Improvement Grants UPS									916.00	916.00	
	Total	**2408.00**	**0.00**	**0.00**	**2252.00**	**2252.00**	**156.00**	**156.00**	**0.00**	**2694.00**	**2694.00**	**0.00**
IV	**Maintenance Grant**											
1	Primary School (PS)	5455.00			4925.00	4925.00	530.00	530.00	0.00	4445.00	4445.00	
2	Upper Primary School (UPS)									1765.00	1765.00	
	Total	**5455.00**	**0.00**	**0.00**	**4925.00**	**4925.00**	**530.00**	**530.00**	**0.00**	**6210.00**	**6210.00**	**0.00**
V	**Teacher Grant (TLM)**											
1	Teacher Grant PS	1530.50			1372.50	1401.00	129.50	129.50	0.00	928.50	928.50	
2	Teacher Grant UPS									986.00	986.00	
	Total	**1530.50**	**0.00**	**0.00**	**1372.50**	**1401.00**	**129.50**	**129.50**	**0.00**	**1914.50**	**1914.50**	**0.00**
VI	**Education Guarantee Scheme (EGS)**											
1	EGS Primary (No. of children)	828.10			164.00	340.00	488.10	488.10	0.00	3947.84	3947.84	
2	EGS Upper Primary (No. of children)	288.00					288.00	288.00	0.00	600.00	600.00	
	Total	**1116.10**	**0.00**	**0.00**	**164.00**	**340.00**	**776.10**	**776.10**	**0.00**	**4547.84**	**4547.84**	**0.00**
	Alternative & Innovative Education (AIE)											
3	AIE (PS) (No. of Children)	15000.00			0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	539.11	539.11	
4	Non-Residential Bridge Courses (No. of children)	422.50				0.00	422.50	422.50	0.00	3000.00	3000.00	
5	Residential Bridge Courses (No. of children)	240.00					240.00	240.00		180.00	180.00	
6	Any Other MAKTABA									507.00	507.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
	Total	**15662.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15662.50**	**15662.50**	**0.00**	**4226.11**	**4226.11**	**0.00**
VII	**Free Text Books**											
1	Free Text Books PS	5178.39			2501.00	2501.00	2677.39	2677.39	0.00	5551.49	5551.49	

Sl. No.	Head	AWP&B Last Year	Re-appropriation	Revised Sanctioned Amount	Expenses of the Last year		Approximate Balance Amount	Approximate Saving Amount	Spill Over for Next Year	New Proposals	Total (J+K)	Remarks
					Till 31st Dec	Till 31st March,						
2	Free Text Books UPS	5918.28			3438.75	3500.00	2418.28	2418.28	0.00	7455.30	7455.30	
	Total	**11096.67**	**0.00**	**0.00**	**5939.75**	**6001.00**	**5095.67**	**5095.67**	**0.00**	**13006.79**	**13006.79**	**0.00**
VIII	**IED**	1131.60			41.98	100.00	1031.60	1031.60	0.00	1800.00	1800.00	
	Total	**1131.60**	**0.00**	**0.00**	**41.98**	**100.00**	**1031.60**	**1031.60**	**0.00**	**1800.00**	**1800.00**	**0.00**
IX	**Innovative Activities**											
1	Computer Education	1500.00				1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	
2	Early Childhood Care and Education (ECCE)	1500.00			318.00	350.00	1150.00	1150.00	0.00	1500.00	1500.00	
3	Girl Education	500.00				432.00	68.00	68.00	0.00	900.00	900.00	
4	SC/ST Intervention	1500.00				100.00	1400.00	1400.00	0.00	1100.00	1100.00	
5	Tea garden / Special areas										0.00	
6	Any other										0.00	
	Total	**5000.00**	**0.00**	**0.00**	**318.00**	**2382.00**	**2618.00**	**2618.00**	**0.00**	**5000.00**	**5000.00**	**0.00**
X	**Salary of Teachers Recruited in Past Years**											
1	Salary of Teachers PS	1056.00				34.00	1022.00	1022.00	0.00	9744.00	9744.00	
2	Salary of Teachers UPS	4032.00				0.00	4032.00	4032.00	0.00	25344.00	25344.00	
3	Salary of Additional Teachers PS									0.00	0.00	
4	Salary of Additional Teachers UPS									9984.00	9984.00	
5	Salary of Para Teachers	264.00					264.00	264.00		2088.00	2088.00	
6	Any other										0.00	
	Total	**5352.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34.00**	**5318.00**	**5318.00**	**0.00**	**47160.00**	**47160.00**	**0.00**
XI	**Salary Grant (Teachers Sanctioned in the Present Year)**											
1	Salary of Teachers PS	4048.00				0.00	4048.00	4048.00	0.00	0.00	0.00	
2	Salary of Teachers UPS	10944.00				0.00	10944.00	10944.00	0.00	0.00	0.00	
3	Salary of Additional Teachers PS	1056.00				0.00	1056.00	1056.00	0.00	0.00	0.00	
4	Salary of Additional Teachers UPS									10944.00	10944.00	
5	Salary of Para Teachers	1012.00				0.00	1012.00	1012.00	0.00	0.00	0.00	
6	Any other	2688.00				250.00	2438.00	2438.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	**19748.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**19498.00**	**19498.00**	**0.00**	**10944.00**	**10944.00**	**0.00**
XII	**Teacher Training**											
1	Induction Training	2142.70				2142.70	0.00	0.00	0.00	121.80	121.80	
2	20 days in-service course	596.40				596.40	0.00	0.00	0.00	5593.00	5593.00	
3	30 days orientation for freshly trained recruits	121.80				0.00	121.80	121.80	0.00	121.80	121.80	
4	60 days refresher course for untrained teachers									210.00	210.00	
5	Any other BRC / ABRC / CRC / ABSA Tng. 4 day									15.40	15.40	
	Total	**2860.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2739.10**	**121.80**	**121.80**	**0.00**	**6062.00**	**6062.00**	**0.00**
XIII	**Strengthening of VEC**											
1	VEC Training	577.92				577.92	0.00	0.00	0.00	635.50	635.50	
2	Any other									0.00	0.00	
	Total	**577.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**577.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**635.50**	**635.50**	**0.00**
XIV	**BRC (Administrative)**											
1	Salary for Coordinator	768.00			259.86	500.00	268.00	268.00	0.00	1152.00	1152.00	
2	Salary for Astt. Coordinator	1152.00			412.21	775.00	377.00	377.00	0.00	2016.00	2016.00	
3	Furniture / fixture & Equipments	650.00				600.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
4	Travelling Allowance & Meeting	36.00			24.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	
5	Maintenance of equipments										0.00	
6	Maintenance of Building										0.00	
7	TLM	30.00			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
8	Contingency	75.00			75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	
9	Any other										0.00	
	Total	**2711.00**	**0.00**	**0.00**	**801.07**	**2016.00**	**695.00**	**427.00**	**0.00**	**3309.00**	**3309.00**	**0.00**
XV	**CRC (Administrative)**											
1	Salary Coordinator	8544.00			1930.22	3746.00	4798.00	4798.00	0.00	14952.00	14952.00	
2	Furniture / fixture & Equipments	890.00				890.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	

Sl. No.	Head	AWP&B Last Year	Re-appropriation	Revised Sanctioned Amount	Expenses of the Last year		Approximate Balance Amount	Approximate Saving Amount	Spill Over for Next Year	New Proposals	Total (J+K)	Remarks
					Till 31st Dec	Till 31st March,						
3	Travelling Allowance & Meeting	213.60			142.40	213.00	0.60	0.60	0.00	213.60	213.60	
4	Maintenance of equipments										0.00	
5	Maintenance of Building										0.00	
6	TLM	89.00			89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	
7	Contingency	222.50			222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	222.50	222.50	
8	Any other										0.00	
	Total	**9959.10**	**0.00**	**0.00**	**2384.12**	**5160.50**	**4798.60**	**4798.60**	**0.00**	**15487.10**	**15487.10**	**0.00**
XVI	**Research, Monitoring & Evaluation**											
1	PS + UPS	1685.60			164.57	1000.00	685.60	685.60	0.00	1877.40	1877.40	
2	UPS										0.00	
	Total	**1685.60**	**0.00**	**0.00**	**164.57**	**1000.00**	**685.60**	**685.60**	**0.00**	**1877.40**	**1877.40**	**0.00**
XVII	**Management Cost**	2551.20			376.37	2500.00	51.20	51.20	0.00	5500.00	5500.00	
	Total	**2551.20**	**0.00**	**0.00**	376.37	**2500.00**	**51.20**	**51.20**	**0.00**	**5500.00**	**5500.00**	**0.00**
	Grand Total	**164776.09**	**0.00**	**0.00**	**48540.36**	**105798.52**	**58977.57**	**56899.57**	**1810.00**	**192932.24**	**194742.24**	**0.00**
	Budget for NPEGEL										**10161.5**	
	Total Budget including NPEGEL										204903.74	